खण्ड–24, अंक–03
बुधवार, 26 अग्रहायण, शक संवत्, 1930
(17 दिसम्बर, 2008 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2008)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 24 में 06 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2010

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	'क'
नियम–310 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं के विषय पर चर्चा किये जाने की माँग	1–54
प्रश्नोत्तर	
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं :–	54
विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत पट्टूगाड़–चैलूसैंण मोटर मार्ग के शेष भाग को हॉट मिक्स करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	54
जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अधूरे पड़े हुए मोटर मार्गों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	55
जनपद टिहरी गढ़वाल विकास खण्ड जौनपुर की काण्डी पम्पिंग योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	55
उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री सूरत चन्द रमोला के निधन पर शोकोद्‌गार	55–58
नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा	58–104
"भारत का संविधान" के अनुच्छेद–323(2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के षष्ठम वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक) (सदन के पटल पर रखा गया)	104
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष, 2006–07 (सदन के पटल पर रखा गया)	104
लोक लेखा समिति (2007–08) का तृतीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	104
लोक लेखा समिति (2007–08) का चतुर्थ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	105

विषय	पृष्ठ–संख्या
लोक लेखा समिति (2007–08) का पंचम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	105
लोक लेखा समिति (2007–08) का छठा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	105
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (2007–08) का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	105
आश्वासन समिति (2007–08) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	105
आश्वासन समिति (2007–08) का बारहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	105
आश्वासन समिति (2007–08) का तेरहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	105
याचिका समिति (2007–08) का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	106
विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य सुविधाओं पर विचार कर संस्तुति दिये जाने हेतु लोक सभा की भांति एक सात सदस्यीय समिति के गठन हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	106–107
उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित)	107
उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित)	107
उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित) ...	108
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश	108–109
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	109–115
उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित)	115–117
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित)	117–125

विषय पृष्ठ–संख्या.

वित्तीय वर्ष 2008–2009 के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान :–

अनुदान संख्या–01, विधान सभा, अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–07, वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं, अनुदान संख्या–08, आबकारी विभाग, अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल विभाग, अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग, अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग, अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं, अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग, अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग, अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग, अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग, अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण विभाग, अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग, अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग, अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या–27, वन विभाग, अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य, अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास विभाग, अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों एवं कल्याण, अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। (स्वीकृत) 125–134

उत्तराखण्ड विनियोग (2008–09 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित एवं पारित) 134–138

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं 138–139

उत्तराखण्ड में पैरामैडिकल काउन्सिल का गठन कर विभिन्न स्नातक तथा परास्नातक पाठ्यक्रमों के पंजीकरण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द लाल सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य – 138–139

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किये जाने के उपरान्त इसके अंशकालिक शिक्षकों को उचित प्रकार से समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री यशपाल बेनाम, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य – 139

नत्थियां 140–161

'क'

<u>उपस्थिति</u>

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अरविन्द पाण्डे
3—श्री अनिल नौटियाल
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्रीमती आशा
6—श्री ओम गोपाल
7—सुश्री कैरन गेयर
8—श्री किशोर उपाध्याय
9—श्री केदार सिंह रावत
10—श्री केदार सिंह फोनिया
11—श्री खजान दास
12—श्री खड़क सिंह बोहरा
13—श्री गगन सिंह
14—श्री गणेश जोशी
15—श्री गोपाल सिंह राणा
16—श्री गोपाल सिंह रावत
17—श्री गोविन्द लाल
18—श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल
19—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20—श्री चन्दन राम दास
21—श्री जोगा राम टम्टा
22—श्री जोत सिंह गुनसोला
23—श्री तिलक राज बेहड़
24—श्री दिनेश अग्रवाल
25—श्री दिवाकर भट्ट
26—श्री दिवान सिंह
27—श्री नारायण पाल
28—काजी मौ0 निजामुद्दीन
29—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30—श्री प्रकाश पन्त
31—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32—श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
33—श्री प्रेमानन्द महाजन
34—श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
35—श्री बलबीर सिंह नेगी
36—श्री बिशन सिंह चुफाल
37—श्री बंशीधर भगत
38—श्री बृज मोहन कोटवाल
39—मे0जन0(अ0प्रा0) भुवन चन्द खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0
40—श्री मदन कौशिक
41—श्री मनोज तिवारी
42—श्री मयूख सिंह
43—श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"
44—श्री मातबर सिंह कण्डारी
45—श्री मुन्ना सिंह चौहान
46—श्री यशपाल आर्य
47—श्री यशपाल बेनाम
48—चौ0 यशवीर सिंह
49—श्री रणजीत रावत
50—डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
51—श्री राजकुमार
52—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
53—श्री राजेश उर्फ राजेश जुवाँठा
54—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
55—श्रीमती वीना महराना
56—श्री शहजाद
57—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
58—शैलेन्द्र सिंह रावत
59—श्री सुरेन्द्र राकेश
60—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
61—श्री सुरेश चन्द जैन
62—डा0 हरक सिंह रावत
63—श्री हरभजन सिंह चीमा
64—श्री हरिदास
65—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषय पर चर्चा किये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा मित्रों के साथ जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ है, इस पर चर्चा करा ली जाय और नियमों को शिथिल करते हुए...। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बातें कहने लगे। जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री तिलक राज बेहड़ तथा डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश, काजी निजामुद्दीन, श्री हरिदास, श्री शहजाद तथा चौ0 यशवीर सिंह, तीसरी सूचना डा0 हरक सिंह रावत, श्री मनोज तिवारी, श्री केदार सिंह रावत तथा डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, चौथी सूचना श्री करन मेहरा, श्री यशपाल आर्य, श्री रणजीत रावत, श्री राजेश जुवॉठा तथा महेन्द्र सिंह माहरा, पाँचवीं सूचना श्री नारायण पाल की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया अपने सदस्यों को सदन को चलाने में सहयोग करने के लिए कहें। आपकी जो सूचना है, वे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं आपकी ही बात कहने जा रहा हूँ। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ''वेल' में अपनी बात कहने लगे और नारे लगाने लगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(सदन की कार्यवाही 11 बजकर 14 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद नियम–310 में सुन लेंगे। आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री तिलक राज बेहड़ तथा डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश, काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्री हरिदास, श्री शहजाद तथा चौ0 यशवीर सिंह, तीसरी सूचना डा0 हरक सिंह रावत, श्री मनोज तिवारी, श्री केदार सिंह रावत, तथा डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, चौथी सूचना श्री करन मेहरा, श्री यशपाल आर्य, श्री रणजीत रावत, श्री राजेश जुवाँठा तथा श्री महेन्द्र सिंह माहरा, पाँचवी सूचना श्री नारायण पाल की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इन नियम–310 की सभी सूचनाओं को नियम–58 में सुन लूँगा। नियम–310 की उक्त सूचनाओं के अतिरिक्त नियम–58 में भी आज 06 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री दिनेश अग्रवाल की सूचना, जो देहरादून में लागू किए जा रहे मास्टर प्लान की विसंगतियों के सम्बन्ध में है, को भी ग्राह्यता पर सुन लूँगा। नियम–58 की शेष सूचनायें अस्वीकार की गयीं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, पी0टी0ए0 शिक्षकों के बारे में मैंने भी नियम–58 में दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष–

जब नियम–58 की बात आयेगी तब देख लूँगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

राज्य के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों का समायोजन

**1–श्री गणेश जोशी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में 234 कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं, जो कि ग्राम्य विकास से सम्बन्धित योजनाओं के संचालन का कार्य करते हैं ?

क्या यह सत्य है कि भारत सरकार इन कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए वर्ष 1999 से बराबर राज्य सरकार को पत्र लिख रही है। क्या यह भी सत्य है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कर्मी ग्राम्य विकास विभाग/पंचायत राज विभाग में समायोजन की माँग को लेकर आन्दोलनरत् हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन्हें समायोजन किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

जी नहीं।

229 कर्मिक कार्यरत हैं।

जी हाँ।

भारत सरकार द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के कार्मिकों को रेखीय विभाग में समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में विचार किये जाने से पूर्व अन्य प्रदेशों की व्यवस्थाओं के अध्ययन एवं प्रदेशों द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के कार्मिकों की रेखीय विभागों में समायोजन तथा इन कार्मिकों के हितार्थ की गई कार्यवाही एवं इन कार्मियों के लिए निर्धारित की गई नीतियों सम्बन्धी सूचना प्राप्त किये जाने हेतु आयुक्त कार्यालय से दो अधिकारियों को क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश से सूचना प्राप्त किये जाने हेतु नामित किया गया है। उक्त दोनों अधिकारियों द्वारा प्रदेशों से वांछित अभिलेख प्राप्त कर सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। तदनुसार परामर्शीय विभागों यथा कार्मिक, वित्त व न्याय विभाग से परामर्श प्राप्त करने के उपरान्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, जैसाकि उन्होंने अपने जवाब में कहा कि अन्य प्रदेशों से जानकारी हासिल कर इसमें निर्णय लिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि यह कब तक हो जायेगा ? दूसरा, मेरा कहना है कि इसमें जब 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है तो यहाँ पर लागू करने में क्या कठिनाई है ? तीसरा, इन कर्मचारियों के हड़ताल से जनहित के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, दो सदस्यीय टीम को अन्य प्रांतों में इसकी जानकारी के लिए भेजा गया है। इसके बाद उनकी रिपोर्ट को न्याय विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग से राय लेने के बाद कैबिनेट में प्रस्तुत करेंगे।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, जो वर्तमान में इन कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है उससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि यह रिपोर्ट कितनी जल्दी आ जायेगी और कब लागू किया जायेगा ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, इन कर्मचारियों से वार्ता हो रही है, वे सहमत हैं। वे काम पर लौटने को तैयार हैं और जैसे ही रिपोर्ट आ जायेगी तब हम इनके ग्रेच्युटी और पेंशन के बारे में कार्यवाही करेंगे।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, इसकी समय सीमा क्या होगी ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने डी0आर0डी0ए0 कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी नियुक्त करने के लिए निर्देशित किया है या नहीं, यदि किया है तो उसे लागू क्यों नहीं किया जाता है?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने डी0आर0डी0ए0 कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने के लिए कोई आपको पत्र लिखा है या कोई निर्देश दिये हैं ? यदि दिये हैं तो आप उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं और करेंगे तो कब तक करेंगे ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, 13 जून, 2008 को भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय ग्राम्य विकास मंत्रालय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है और उसमें अनुरोध किया है कि डी0आर0डी0ए0 के जो कर्मचारी हैं उनको 3 से 5 साल के अन्तर्गत, इनकी जो समस्या है उनको समायोजित करें, उनका यह पत्र आया है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, कब तक कर दिया जायेगा, क्योंकि 75 प्रतिशत अनुदान उन्होंने दिया है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, 3 से 5 साल का समय भारत सरकार ने दिया है, जल्द से जल्द रिपोर्ट आने तक कर दिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, समय सीमा कब तक की है, रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह तक रिपोर्ट आ जायेगी।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, डी0आर0डी0ए0 से सम्बन्धित जो बात हो रही है तो इस सम्बन्ध में आज भी मेरी कुछ आफीसर्स से बात हुई है और इसमें अगर हम अपनी विधायक निधि का पैसा जो डी0आर0डी0ए0 से होकर उसके कार्य के क्रियान्वयन के लिए जाता है, तो अगर ये हड़ताल चलती रही और एक–दो महीने के बाद लोक सभा का चुनाव भी होने जा रहा है फिर आचार संहिता लागू हो जायेगी तो बड़ी प्राब्लम हो जायेगी। तो क्या सरकार इसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी और अगर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इसका समाधान निकाल लिया जायेगा तो कोई समयबद्ध है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि वार्ता चल रही है और उसमें समाधान हो जायेगा, दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह तक रिपोर्ट भी आ जायेगी और वार्ता भी चल रही है।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि अधिकारियों को क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश से सूचना प्राप्त किए जाने हेतु नामित किया गया है, यह तो सीधे–सीधे हमारे प्रदेश के अधिकारों का अतिक्रमण है। अगर उन्होंने कोई नीति नहीं बनाई तो हमारी सरकार कोई नीति नहीं बनायेगी ? यह तो सारे प्रकरण को टालने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो बता दें।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, उत्तर में कहा कि डी0आर0डी0ए0 के कर्मचारियों के विषय में राजस्थान, मध्य प्रदेश में कार्यवाही चल रही है। इसलिए हमने कहा कि भारत सरकार के अधीन है और भारत सरकार ने सीधे दिशानिर्देश भी दिये हैं, इस हिसाब से काम कर रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत मेलाघाट सिसैमा में जगबूढ़ा नदी के कारण भूमि कटाव रोकने के उपाय

*1–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर में भारत–नेपाल सीमा में बहने वाली जगबूढ़ा नदी के कारण ग्राम मेलाघाट सिसैमा में भारत–नेपाल सीमा की भूमि कटाव से प्रभावित हो रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार भारत–नेपाल सीमा में बहने वाली जगबूढ़ा नदी से होने वाले भूमि कटाव को रोकने के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

जी हाँ, जगबूढ़ा नदी के कारण भारत–नेपाल सीमा का वन क्षेत्र भूमि कटाव से प्रभावित है।

जगबूढ़ा नदी तराई पूर्वी वन प्रभाग के खटीमा रेंज के अन्तर्गत बहती है। भू–कटाव की रोकथाम हेतु वन क्षेत्र में स्पर निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हर साल जगबूढ़ा नदी के कारण भारत की भूमि नेपाल में कट कर जा रही है, तो कितनी भूमि नेपाल में चली गयी है, नेपाल की सीमा में समाहित हो गई है ? दूसरा, जो जमीन हमारी नेपाल सीमा में चली गई है उसको वापस लेने के क्या उपाय किये जा रहे हैं, सीमाँकन का क्या उपाय किया जा रहा है और जो भूमि हर साल कट रही है उसके लिए कितने बजट का प्राविधान किया गया है, कितने बारकेट बनाने हैं और कब तक बन जायेगा जिससे कि हमारी भूमि कटाव रूक जाए और हमारी सैकड़ों बीघा भूमि हर साल कट रही है और नेपाल की सीमा में जा रही है। उसके बचाव के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं, उसको वापस लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, सीमाँकन का जहाँ तक प्रश्न है तो वह अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का सीमाँकन तो होता ही है। नदी द्वारा निश्चित रूप से भूमि कटान किया जा रहा है, कुछ इधर के क्षेत्र का कुछ उधर के क्षेत्र का। अब इसमें यह कह पाना कि कितनी भूमि यहाँ की कटकर नेपाल चली गयी है, यह तो अभी कोई आकलन नहीं किया गया है।

लेकिन यह निश्चित है कि भूमि का कटान हो रहा है और सीमांकन अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का है। इस समय वर्तमान में राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और वन विभाग तीनों विभागों ने संयुक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद यह अनुभव हुआ कि इसमें तत्कालीन रोकथाम के लिए.... (सदन में मोबाईल की घंटी बजने पर व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सभी माननीय सदस्य अपना मोबाईल स्विच ऑफ कर दें, या मोबाईल को सदन से बाहर रखें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, संयुक्त निरीक्षण के बाद यह तय किया गया कि इस समय तत्कालीन राहत के लिए वहाँ 30 स्पर का निर्माण किया जाय। जिसके लिए वन विभाग द्वारा एक 48 लाख रु0 की योजना बनाकर, जिला मुख्य विकास अधिकारी को दी गयी है और वर्तमान में इसको राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत टाईअप कर रहे हैं। मान्यवर, यदि इस पर 30 स्पर निर्माण कार्य होता है तो मैं समझता हूँ कि माननीय विधायक जी की समस्या का निस्तारण हो जायेगा।

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो भूमि का हर साल कटाव हो रहा है, उसको वापस लेने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? सीमाँकन की बात तो भारत सरकार की है, यह तो बाद में देखा जायेगा। अभी जो भूमि हमारी कट कर हर साल नेपाल में जा रही है, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, यह प्रश्न कि भूमि कट कर नेपाल जा रही है, इसका कोई आकलन तो है नहीं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी की बात पहले आने दीजिए।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, अभी माननीय विधायक जी ने कहा, 'बहुत हल्के में ले रहे हैं।' मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि हल्का और भारी क्या होता है। (व्यवधान) मान्यवर, हमने यह

स्वीकार किया कि नदी के द्वारा कटाव हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं और वर्तमान में तीनों विभागों द्वारा इसका सर्वे कर, इसका आगणन बनाया गया है और मुख्य विकास अधिकारी को इसका स्टीमेट दिया है और हम इसको राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत टाईअप कर रहे हैं। 30 स्पर इस पर बनाने की एक योजना बनायी है, जिससे कि वहाँ पर तत्काल राहत हो जायेगी।

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इस पर जो मैंने कहा कि कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, 48 लाख रु0 का आगणन बनाकर स्वीकृति हेतु भेजा गया है। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना है कि क्या माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में यह स्टीमेट बनने का कार्यक्रम पूरा हो जायेगा, या रह जायेगा ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य अपने अनुभवों के आधार पर कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों इनको ऐसा ही दिखा होगा, हमने अभी इस स्टीमेट को बनवाकर भेजा है और मुख्य विकास अधिकारी को दिया है और इस पर हमने कहा है कि इसको राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत टाईअप कर दें। (व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, हर साल अतिवृष्टि में सैकड़ों बीघा भूमि चली जाती है। मैं इसमें माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसमें कितने बजट का प्राविधान किया गया है, और यह तट कब तब बना दिया जायेगा ? मान्यवर, फिर बरसात आने वाली है और फिर सैकड़ों बीघा भूमि बह जायेगी। तब तक आपका स्टीमेट बनता रहेगा। यह कार्य कब तक हो जायेगा ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इसके लिए 48 लाख रु0 का स्टीमेट हमने वर्तमान में बनाकर भेजा हुआ है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, स्टीमेट तो आपने भेज दिया है परन्तु यह स्टीमेट आपने जिस विभाग को भेजा है, वह विभाग इसको कब तक लागू कर देगा ? क्या आप बरसात से पहले वहाँ पर किसी भी योजना के तहत निर्माण कार्य करा देंगे ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, हमने मामले को बड़ी गम्भीरता से लिया है, पिछले कई दसियों वर्षों से नदी का कटाव चल रहा है किसी ने इसको देखा नही है, हमने इसको गम्भीरता से लिया है। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है कब तक इस कार्य को करा देंगे, क्या बरसात से पहले इस कार्य को करा देंगे ? इस बात का उत्तर माननीय मंत्री जी दें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं यह सोच रहा था कि मैंने इस ओर ध्यान दिया और इसका स्टीमेट बनाया इसके लिए माननीय सदस्य मुझे धन्यवाद देंगे। पिछले दसियों वर्षों से किसी ने इसका स्टीमेट बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया। (व्यवधान)

वन विभाग द्वारा पहाड़ी नदियों में ''बायोमास'' पैदा करने हेतु योजना

*2–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पहाड़ी नदियों से तट एवं तलों पर ''बायोमास'' पैदा करने की कोई योजना वन विभाग द्वारा बनाई जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा पहाड़ी नदियों के तट सहित उपयुक्त स्थलों पर वृक्षारोपण कराया जाता है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उत्तराखण्ड के अन्दर बहने वाली बोल्डर बैडेट नदियाँ, जिन्हें पहाड़ी नदियाँ या पथरीली नदियाँ कहते हैं, उनके तटों का कुल क्षेत्रफल कितना है ? आपने कहा कि वृक्षारोपण का कार्य कराया जाता है, मैं यह जानना चाहूँगा कि कौन–कौन से वृक्षों की प्रजाति इन नदियों में आप बो रहे हैं और क्या वन विभाग या किसी अन्य सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा ऐसा शोध कार्य कराया गया, जिससे यह जानकारी मिले कि कौन–कौन सी प्रजातियाँ के लिए ये उपयुक्त हैं, क्या विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया गया ? इसके अलावा चूँकि आपने

उत्तर में लिखा है, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण का कार्य कराया जा रहा है, मैं यह जानना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार की ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं हैं, जिसके अन्तर्गत यह कार्य कराया जा रहा है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, विभिन्न योजनाओं से हमारा मतलब है.. (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि क्रमवार उत्तर आ जाए। पहले क्षेत्रफल के बारे में बताएं।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, क्षेत्रफल का निश्चित आँकड़ा मैं आपको तत्काल कल तक उपलब्ध करा दूँगा। अभी मेरे पास क्षेत्रफल के पूरे आँकड़े नहीं है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, इससे तो इस प्रश्न की गम्भीरता ही खत्म हो जाती है।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, बायोमास पैदा करने की बात है और क्षेत्रफल के आँकड़े नहीं दे रहे हैं। इससे तो इस प्रश्न की गम्भीरता समाप्त हो जाती है। आगे इस पर चर्चा करने का क्या फायदा ? (व्यवधान) मान्यवर, इन्हें यही नहीं पता है कि कितना क्षेत्रफल है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, सारी योजनाओं का जो क्षेत्रफल है, उसमें लगभग 20 से 28 हजार हेक्टेयर प्रतिवर्ष हम नियमित वृक्षारोपण करते हैं। नदी के तलहट, पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र, सब मिलाकर यह क्षेत्रफल है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न पथरीली नदियों से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, हमने इसमें नदी के तटों का अलग से बाईफरकेशन नहीं किया है। मैं कल तक आपको इसकी जानकारी उपलब्ध करा दूँगा। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह प्रश्न स्थगित किया जाय, इसका उत्तर ही नही आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि "विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा पहाड़ी नदियों के तट सहित उपयुक्त स्थलों पर वृक्षारोपण कराया जाता है।" मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या कभी वन विभाग ने इस बात का कोई आकलन किया कि वन क्षेत्र में बहने वाली नदियों की चौड़ाई के फाट कहाँ–कहाँ बढ़ रहे हैं और जो वर्षा में टॉप सॉयल नदी में बह जाती है, क्या उसको रिक्लेम करने की कोई योजना वन विभाग के पास है ?

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, नदियों की फाटों की चौड़ाई के बारे में कहना है कि जितनी हमारी नदियाँ हैं, वर्षाकाल में उन सभी के फाटों की चौड़ाई बढ़ी है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में खैर, शीशम और जामुन का प्लांटेशन हम सब जगह करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कटान रूक सके।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जो माननीय सदस्य ने कहा कि वहाँ से जो सॉयल डिस्ट्रॉय हुई है, क्या उसको रिक्लेम करने के लिए आप लोगों ने कोई योजना बना रखी है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, उसको रोकने के लिए हम चैक डैम और वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, कितनी जगह चैक डैम और वृक्षारोपण हुआ है ? अभी तक इसके लिए कितना बजट स्वीकृत हुआ ? (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का अभी उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी भिज्ञ होंगे कि इस प्रकार से रिवर ट्रेनिंग का काम चलाया जाता है, जिससे नदियाँ अपनी जगह पर रहें और दायें–बायें का क्षेत्र उसकी चपेट में न आये। तो मेरा आशय यह था कि भिन्न–भिन्न स्थानों पर जिन नदियों का फैलाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है, उसका रिवर ट्रेनिंग कराके उसको सीमित करने का, जो उसका फाट है, उसको रोकने का कोई प्रयास किया जा रहा है ? क्या कोई कार्य योजना है और जो दरियाबूद हो गई है, जैसा कि आपने मार्ग–निर्देशन किया, क्या उस जमीन को रि–क्लेम करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, वर्तमान में जो योजना है, वह चैक डैम लगाकर जमीन के कटाव को रोकने की योजना है। अलग से किसी विशेष क्षेत्र की बात माननीय सदस्य करेंगे, तो उसे मैं बता दूँगा।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरा बायोमॉस प्रोडक्शन के ऊपर है, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा कि ऐसी नदियों का कितना क्षेत्रफल है, मुझे इसका जवाब नहीं मिला। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा, मैं जंगल की बात नहीं कर रहा कि आप कौन–कौन सी प्रजातियाँ उगा रहे हैं। मैंने यह पूछा कि इन नदियों के तटों पर तलों पर आप कौन–कौन से पेड़ लगा सकते हैं ? उनकी प्रजातियाँ मैं जानना चाह रहा हूँ इसका भी जवाब मुझे नहीं मिला। मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोई शोध कार्य प्रदेश सरकार या किसी एजेंसी के द्वारा किया गया है कि कौन सी प्रजातियाँ इन बोल्डर ब्रेडेड नदियों के अन्दर उपयुक्त साबित हो सकती हैं, पैदा हो सकती हैं ? ताकि हमारी उत्तराखण्ड की जनता वहाँ से जलाने के लिए ईंधन और पशुओं के लिए चारा ला सकें। क्या इस तरह का कोई प्रयास किया गया ? मुझे बड़ा दुःख है कि इतना गम्भीर प्रश्न, क्योंकि पथरीली नदियाँ पहाड़ी प्रदेश में ही होती हैं, कोशिश होनी चाहिए कि हम इन नदियों के तटों तथा तलों का सदुपयोग कर सकें, तो हम बहुत बड़ी मात्रा में बायोमॉस का उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रश्न को बहुत हल्के से लिया गया है, मैं अनुरोध करूँगा कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की जिज्ञासा का समाधान कर दें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जहाँ तक बायोमॉस का प्रश्न है, बायोमॉस केवल नदियों के तट पर ही पैदा नहीं होते। बायोमॉस तो जहाँ भी जीवित प्लांटेशन है, वहाँ पर भी हम करते हैं। नदियों के तट पर जो प्रजातियाँ हम लगा रहे हैं, विशेष रूप से शीशम, खैर और जामुन की लगा रहे हैं। क्षेत्रफल की बात जो आपने कही है, मैंने एक लम–सम बात कही है कि 20 और 28 हजार हैक्टेयर में हम प्रतिवर्ष प्लांटेशन करते हैं, आपने कहा कि पथरीली नदियों के तट पर, उसको मैं आपको बता दूँगा।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, यही तो मेरा प्रश्न है। हम पूरे जंगल की बात ही नहीं कर रहे, हमारा तो पिन प्वाइंटेड प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि बता देंगे। (व्यवधान)

मान्यवर, यह उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बलबीर सिंह नेगी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं ?

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पहाड़ी नदियों के तट एवं तलों पर गाद भरने का अनुपात प्रतिवर्ष क्या है ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं आया, हम आपसे निवेदन करेंगे कि या तो इस पर चर्चा स्वीकार कर लें या इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, जो प्रश्न मैंने किया था, उसका उत्तर नहीं आया है, मैंने पूछा था कि पहाड़ी नदियों के तट और तलों पर गाद भरने का अनुपात प्रतिवर्ष क्या है ? मतलब प्रतिवर्ष कितना मलबा उसमें भर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रीमन्।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया इतना और बता दीजिये, माननीय सिंघल जी का जो प्रश्न है, मूल प्रश्न से सीधा सम्बन्धित है कि तट का कितना आकार है और कितना उसका क्षेत्रफल है ? क्या–क्या प्रजातियाँ उसमें उगा रहे हैं ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, हमारे प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किन–किन प्रजातियों का रोपण किया गया है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैंने बताया तो नदी तट है, तो पथरीला क्षेत्र है, वहाँ तो कोई वृक्षारोपण नहीं हो सकता है। हमने कहा शीशम, खैर, जामुन ये प्रजातियाँ वहाँ हम लगाते हैं। जहाँ तक क्षेत्रफल का मामला है मैंने कहा कि टोटल जो क्षेत्रफल है 28 हजार हैक्टेयर तक वनीकरण, वृक्षारोपण हम प्रतिवर्ष करते हैं। अब केवल नदियों के तट पर कितना करते हैं, इसे मैं अलग से बता दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

तटों का क्षेत्रफल जानना चाह रहे हैं। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी कल आपको दे देंगे इसकी सूचना। (घोर व्यवधान) मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

जनपद हरिद्वार में औद्योगिक क्षेत्र में सटे गाँवों में दूषित पेयजल

*3–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में औद्योगिक क्षेत्रों से सटे हुए गाँव में पीने का पानी दूषित हो गया है ?

क्या सरकार द्वारा इन गाँवों में पीने के पानी की जाँच कराई गई ?

यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम रहे तथा पानी दूषित होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार जनहित में इन कारणों को दूर करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पेयजल मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

जी नहीं।

जी हाँ।

जाँच रिपोर्ट में कोई रासायनिक प्रदूषण नहीं पाये गये। जीवाणु परीक्षण में फीकल कालीफार्म की कुछ मात्रा पाई गई, जो हैण्डपम्प के समीप गन्दगी होने के कारण सम्भव है।

जी हाँ।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार से जल के नमूनों की पुनः जाँच कराई जा रही है साथ ही केन्द्रीय भूगर्भ जल गुणवत्ता विभाग देहरादून को भी प्रकरण सन्दर्भित किया गया है। जाँच रिपोर्ट में दूषित जल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसे दूर किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरा जो मूल प्रश्न था कि क्या सरकार द्वारा गाँवों में पीने के पानी की जाँच कराई गई ? उत्तर आया जी हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि हरिद्वार जनपद के किन–किन गाँवों के पानी की जाँच कब–कब कराई गयी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार से मार्च, 2008 में और दूसरी बार दिसम्बर, 2008 में पानी की जाँच करायी गयी और जैसा कि मैंने बताया प्रथम बार जाँच रिपोर्ट में कोई रासायनिक प्रदूषण नहीं पाये गये, जीवाणु नहीं पाये गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बात आने दीजिए। यह बता दीजिए कि किन–किन क्षेत्रों में जाँच करायी गयी?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हरिद्वार में छः ग्रामों क्रमशः लच्छर रिवा, चोली सहाबुद्दीन, श्री बलबीन सिंह हाऊस, श्री किसलय हाऊस, गनौली एवं शेखपुरी के जो हैण्ड पम्प हैं उनकी जाँच करायी गयी।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जो गाँव बताये गये हैं, वे औद्योगिक क्षेत्र के गाँव हैं ही नहीं। (विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा शेम–शेम के नारे लगाये गये) मेरा प्रश्न यह है कि औद्योगिक

क्षेत्र के गाँवों का पानी दूषित हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया 'हाँ' मैंने इनकी जाँच कराई, मेरा कहना है कि किन–किन गाँवों की जाँच करायी गयी जो औद्योगिक क्षेत्र से सटे हुए हैं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जो माननीय सुरेन्द्र राकेश जी ने प्रश्न पूछा है, भगवानपुर से सम्बन्धित है। (घोर व्यवधान) मैंने कहा कि भगवानपुर भी है, रुड़की, लक्सर है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है जो औद्योगिक क्षेत्र से सटे हुए गाँव है, उनमें से किन–किन गाँवों की जाँच करायी गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यह बता दीजिए जो औद्योगिक क्षेत्र से लगे हुए गाँव हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, 4–5 औद्योगिक क्षेत्र हैं, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, 6 गाँवों के हैण्डपम्पों की दिसम्बर में जाँच कराई गई और वे सही पाये गये।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के इसी जवाब को ज्यों का त्यों सही मान लें तो आप इसके पहले भाग को पढ़ें तो उसमें माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है कि क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में औद्योगिक क्षेत्रों से सटे हुए गाँव में पीने का पानी दूषित हो गया है ? माननीय मंत्री जी जवाब देते हैं कि जी नहीं। इसी प्रश्न का तीसरा भाग है, तो आप उसे पढ़ें, यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम रहे तथा पानी दूषित होने के क्या कारण हैं ? माननीय मंत्री जी पहले भाग में उत्तर देते हैं जी नहीं और तीसरे भाग में उत्तर देते हैं–जाँच रिपोर्ट में कोई रसायनिक प्रदूषण नहीं पाये गये। जीवाणु परीक्षण में फीकल कालीफार्म की कुछ मात्रा पाई गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी के अपने ही उत्तर में विरोधाभास है, उसमें इम्प्यूरिटी भी पाते हैं, माननीय मंत्री जी एक बात कहा करें, एक बात पर स्टैण्ड लिया करें। कौन सा स्टैण्ड इनका सही है, 'जी नहीं' वाला या 'इसमें पाया गया' वाला? दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र जो हरिद्वार जनपद में है उनसे लगे हुए कौन से गाँवों की जाँच आपने कराई है जिसकी जाँच रिपोर्ट आपके पास है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, सिडकुल का जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर कुछ नलकूपों की जाँच करवायी गयी और पानी सही पाया गया। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, हम गाँव पूछ रहे हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मन्यवर, रामनगर क्षेत्र का पानी सही पाया गया।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, रामनगर हरिद्वार में गाँव ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पर भी नलकूप और हैण्डपम्प लगे हुए है वहाँ पर पानी सही पाया गया। जिन 6 गाँवों के नामों का उल्लेख किया है, उन गाँवों में........ (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी वहाँ पर जमीन में छोड़ा जा रहा है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, प्रश्न स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, और स्पष्ट कर दीजिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, ट्यूबवैल के जल का नमूना ग्राम–राऊली महदूत, श्री शोभा राम सैनी के घर के पास पानी सही पाया गया। सिडकुल में भी पानी सही पाया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बात आने दीजिए, वह भी औद्योगिक क्षेत्र है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय सदस्य सुन तो लें, उन्होंने 5–6 गाँवों के नमूने लिये हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, पूरे जनपद की बात नहीं 12–13 गाँवों का प्रश्न है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य सुनने को तैयार नहीं हैं, मैं कहने को तैयार हूँ। मैंने कहा कि ट्यूबवैल जल का नमूना ग्राम राऊली महदूत, शोभाराम सैनी के घर के पास लिया गया, दूसरा ग्राम चोली, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिद्वार और ग्राम श्यानापुर, श्री ज्ञान चन्द्र के घर के समीप हमने परीक्षण किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी की पूरी बात आने दीजिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, नन्दबिहार कालोनी, रूड़की, श्री हरपाल सैनी, ग्राम लाकर रेवा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय.......... (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट लिखा है 'दूषित नही पाया गया'। जिन–जिन जगहों में जाँच कराई गई माननीय मंत्री जी बता रहे हैं। (घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय मंत्री जी औद्योगिक क्षेत्र से सटे हुए गाँवों के नाम बतायें। (बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे। जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी बता तो रहे हैं। जिन गाँवों का जिक्र माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। वे भी निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र के समीप हैं। बाकी जिन गाँवों में आप लोग जाँच चाहते हैं उन गाँवों की जाँच भी माननीय मंत्री जी करवा देंगे। आप उन गाँवों के नाम बता दें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर नहीं आया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, गाँवों के नाम बता दें। जिन गाँवों का वे जिक्र कर रहे हैं, उन गाँवों की जाँच करवा दें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं बता चुका हूँ। यह सुनना ही नहीं चाहते हैं।

(घोर व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, पेयजल का मसला है, सबसे गम्भीर मसला है। बहुत अधिक मात्रा में पानी दूषित हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में लगी फैक्ट्रियाँ जमीन से निकाल कर पानी का इस्तेमाल करती हैं, और जब वह पानी दूषित हो जाता है तो फिर उस पानी को ज्यों का त्यों पुनः जमीन में बोर करके नीचे उतार रही हैं। वे दूषित जल को पुनः जमीन में छोड़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी इसमें गम्भीरता नहीं दिखा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, उस दूषित पानी के इस्तेमाल से बहुत गम्भीर बीमारियाँ हो रही हैं। बहुत गम्भीर बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, एक बार पुनः स्पष्ट कर दें।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ नहीं आये हैं। इस बात को माननीय मंत्री जी मान लें कि वे पढ़ कर नहीं आये हैं। वे स्पैसिफिक उत्तर नहीं दे रहे हैं। हमारा तो सीधा सा प्रश्न है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। कृपया प्रश्न स्थगित कर दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ गाँवों के नाम माननीय मंत्री ने बताये हैं। माननीय सदस्यगण आप जिस–जिस गाँव की रिपोर्ट चाहते हैं। उनके नाम आप दे दीजिए। उनकी जाँच करवा ली जायेगी।

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी मूल प्रश्न का उत्तर चाहते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न का उत्तर आ तो गया है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा जा रहा है माननीय मंत्री जी उसका उत्तर नही दे पा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, उत्तर नहीं आया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, एक बार उत्तर फिर से बता दें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ सदन में नहीं आये हैं। एक–एक प्रश्न के उत्तर देने में इतना समय लगा रहा है। जब कि प्रत्येक प्रश्न अपने आप में स्पैसिफिक है, मूल प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है।

(घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जिन–जिन नलकूपों की शिकायत हमारे पास आई कि पानी दूषित पाया गया। हमने उनकी पुनः जाँच कराई। पानी सही पाया। मान्यवर, जहाँ भी पानी के दूषित होने की शिकायत हमें प्राप्त होगी, उसकी जाँच कराई जायेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं जाँच कराई गई तो वह किन गाँव की जाँच कराई गई ?

श्री अध्यक्ष–

औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए गाँवों के नाम एक बार पुनः बता दें।

(घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य अनावश्यक विवाद कर रहे हैं। मैं उन्हीं क्षेत्रों के नाम बता रहा हूँ।

उत्तराखण्ड की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पेयजल योजनाओं का निर्माण

*5—श्री सुरेन्द्र राकेश—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि उनके द्वारा उत्तराखण्ड की प्रत्येक विधान सभा में दो—दो पेयजल योजना बनवाने की घोषणा की गई है ?

यदि हाँ, तो उत्तराखण्ड की कितनी विधान सभा क्षेत्र में अब तक पेयजल योजना का निर्माण कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

पेयजल ग्रसित क्षेत्र की दो—दो पेयजल योजना देने के लिए मा0 विधायकगणों से अनुरोध किया था।

39 पेयजल योजनायें निर्माणधीन हैं, 15 योजनायें विरचित हैं, जिनकी स्वीकृति तथा धनावंटन की कार्यवाही की जानी हैं एवं 64 ग्रामीण योजनाओं के प्राक्कलनों के गठन की कार्यवाही स्वैप पद्धति के आधार पर करायी जा रही है तथा 04 नगरीय पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन विरचनाधीन हैं।

नगरीय क्षेत्र की योजनायें धन की उपलब्धता तथा ग्रामीण क्षेत्र की योजनायें सकल क्षेत्र में सगरूप नीति के अन्तर्गत समितियों के गठन तथा ग्राम समितियों से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त प्राक्कलन विरचित कर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

श्री सुरेन्द्र राकेश—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो पिछले प्रश्न संख्या—03 का ही उत्तर सही नहीं आया है। मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो आने दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

उत्तर आ गया है, इसके अतिरिक्त जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि आप जिन गाँवों की जाँच कराना चाहते हैं, उनकी जाँच करा लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, जाँच तो हम आई0आई0टी0. रुड़की से पैसे देकर करा लेंगे। सवाल इस बात का है कि चूँकि मान्यवर माननीय विधायक जी के प्रश्न की गरिमा की बात है। माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य के उस प्रश्न का जवाब सही न दें, तो मान्यवर, सदन में आने का कोई औचित्य ही नहीं रहता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण बड़ी गम्भीरता से इस विषय को उठा रहे हैं। इस पर माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया कि यदि हम मूल प्रश्न के उत्तर को देखें, इसमें कहा गया कि औद्योगिक क्षेत्र से सटे हुए गाँव में पीने का पानी दूषित हो गया है ? उत्तर आया 'जी नहीं।' अब क्या सरकार द्वारा इन गाँवों में पीने के पानी की जाँच कराई गई ? उत्तर आया 'जी हाँ।' अब इसमें शिकायत मिली की इन गाँवों में दूषित पेयजल था, तो उन गाँवो के पेयजल के हैण्ड पम्प की जाँच करायी गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने इसके उत्तर में बता दिया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

किन–किन गाँवों की जाँच करायी गयी है ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, 6 गाँवों में शिकायत पायी गयी, इन 6 गाँवों की जाँच रिपोर्ट आयी और जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि रसायनिक प्रदूषण इनमें नहीं हैं और यह स्पष्ट हो गया। अगर माननीय सदस्यगणों के संज्ञान में कोई विषय है तो माननीय मंत्री जी को सदन में अवगत करा दें और वे जाँच करा देंगे। इसमें विवाद का मतलब ही नहीं होता है। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि आप अवगत करा दें तो उसकी भी जाँच करा देंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या पानी दूषित है ? हमने कहा। 'जी नहीं।' हमने इसलिए कहा, पी0सी0आर0आई0 के द्वारा मान्यवर, हमने दो बार जाँच की कार्यवाही करायी और जिन गाँवों की शिकायत की गयी, उनका मैं नाम ले रहा हूँ, मान्यवर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप मंत्री जी की बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं आप उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं। (घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, ये क्रमशः लक्कर रिवा, चोली सहाबुद्दीन, श्री बलबीन सिंह हाऊस, श्री किसलय हाऊस गनौली एवं शेखपुरी इन गाँवों की शिकायत मिली मान्यवर, और जाँच की गयी। इसके बाद पुनः जाँच कराई गयी और 15 दिसम्बर को हमको रिपोर्ट मिली है कि पानी सही है। हरिद्वार के अन्य जगहों पर जो नलकूप हैं या हैण्ड पम्प हैं, उनकी भी हमने जाँच जल संस्थान, जल निगम द्वारा करायी और पानी सही पाया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी मो० निजामुद्दीन जी, और कहीं अन्य दूषित जल का प्रकरण हो तो आप बता दें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूँ यदि हैण्ड पम्प या नलकूप द्वारा दूषित पानी आ रहा हो तो बता दें उसकी जाँच करा देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यह पेयजल का मामला है जो बहुत महत्वपूर्ण मामला है। माननीय सदस्य जिन–जिन गाँव के बारे में बता रहे हैं या जिज्ञासा है। सूची लेकर आप उनकी जाँच करा दें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मुझे सूची मिल जायेगी तो मैं जाँच करवा दूँगा। पेयजल ग्रसित दो–दो पेयजल योजना देने के लिए माननीय विधायकों से अनुरोध किया गया था। मैं पूरा पढ़ूँगा क्योंकि आप पर भरोसा नहीं है। (हँसी के ठहाके) ये कहाँ पर खीच लें।

श्री अध्यक्ष–

बिना भरोसे के काम नहीं चलेगा, भरोसा करना पड़ेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, 39 पेयजल योजनाएँ निर्माणाधीन हैं। 15 योजनाएँ विरचित हैं जिनकी स्वीकृति तथा धन आवंटन की कार्यवाही की जानी है एवं 64 ग्रामीण योजनाओं के प्राक्कलन के गठन की कार्यवाही स्वैप पद्धति के आधार पर कराई जा रही है तथा 4

नगरीय पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन विचाराधीन हैं। नगरीय क्षेत्र की योजनाएँ धन उपलब्धता तथा ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएँ सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अन्तर्गत समितियों के गठन तथा ग्राम समितियों से प्रस्ताव आने के उपरान्त प्राक्कलन विरचित कर सक्षम स्तर पर अनुमोदनार्थ के उपरान्त योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव होगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मूल प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि घोषणा की गयी या नहीं, उत्तर आपका आया कि अनुरोध किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, पहला तो यह है कि मैं जानना चाहता हूँ कि घोषणा और अनुरोध में क्या अन्तर है ? दूसरी बात यह है कि किन–किन विधान सभा क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं का निर्माण अनुरोध के बाद और घोषणा के बाद शुरू किया गया और कितनी अवशेष हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की जिज्ञासा को बता दीजिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, ऐसा था, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनें, अगर उतावले न हों आप। मेरा निवेदन है कि मैंने यह चाहा था कि माननीय विधायकगण जो पेयजल संकट से ग्रसित आपके क्षेत्र में कोई गाँव हो, कोई कस्बा हो उसकी सूची मुझे दे दीजिए, यह मैंने अनुरोध किया था, घोषणा नहीं की थी और अगर घोषणा की है तो माननीय नारायण पाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप स्वयं बोल रहे थे घोषणा कब हुई है। अगर आपने नहीं बोला है तो आप बता दीजिए। जी, आपने मेरे से बोला है। मान्यवर, जरा धैर्य से सुन लीजिए। मेरी मंशा पेयजल संकट से ग्रसित गाँव, कस्बों और शहरों में पानी देने की है। यदि आप सहयोग दें। इसमें जो विलम्ब हो रहा है उसका कारण बताता हूँ और इसको ध्यान से सुन लीजिए। सारी पेयजल योजनाएँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनायी जायेंगी वे स्वैप के माध्यम से बनायी जायेंगी। अब उसका चरण देख लीजिए कि क्या चरण है प्रथम चरण है पूर्ण नियोजन चरण, जो नियोजन का चरण होगा उसकी अवधि है 2 माह, उसके बाद नियोजन चरण और सर्वे आगणन, जो आगणन बनेगा उसकी समयावधि है 6 माह, उसके बाद क्रियान्वयन चरण, तीसरा चरण है 6–18 माह। स्वैप के अन्तर्गत विश्व बैंक के साथ हमारा अनुबन्ध है।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया यह बता दें कि यह कौन सी सरकार करेगी ?

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हमारे पास माननीय विधायकों से 122 पेयजल योजनाएँ प्राप्त हुई हैं। 18 पेयजल योजना नगरीय क्षेत्र की मिली हैं, 104 योजना ग्रामीण क्षेत्र की मिली हैं। 18 नगरीय पेयजल योजना में 11 निर्माणाधीन हैं, उसकी सूची भी मैं दूँगा और 3 विरचित हैं अर्थात् इनका आगणन बन चुका है और 4 विचाराधीन हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, यह योजना किस विधान सभा की है, विधान सभा क्षेत्र भी बता दें।

श्री अध्यक्ष–

बता देंगे, माननीय पेयजल मंत्री जी, कृपया पूरी सूची इसकी उपलब्ध करा दें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इसकी सूची मैं दे दूँगा।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय विधायकों से आपने सूची माँगी और आपने कहा कि इसका निर्माण स्वैप के माध्यम से होना है। स्वैप से निर्माण का एक सिद्धान्त है कि उसकी समिति बनेगी, समिति से उसके प्रस्ताव जायेंगे, यदि माननीय विधायक के प्रस्ताव से समिति का तालमेल नहीं होता है, यदि वह उसको मान्य नहीं करती है तो तब क्या करेंगे ? समिति यदि माननीय विधायक के प्रस्ताव से अपने को सम्मिलित नहीं करती है उसको मान्य नहीं करती, ग्राम सभा नहीं मानती तो क्या करेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस योजनाओं के लिए गाँव चिन्हित करने के लिए माननीय विधायकों से प्राथमिकता माँग ली गई, ताकि उन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, प्राथमिकता तो हो गयी, पर स्वैप की समितियाँ यदि उसको अनुमन्य नहीं करती तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ उत्तर में आया है कि स्वैप से होगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी, आपने उस ग्राम सभा की योजना दी जहाँ पर पीने के पानी का अभाव है। अब उस योजना का आगणन और क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभा में बैठक होगी, सर्वे होगा, उसका आगणन बनेगा और मैंने कहा कि आगणन तैयार हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि माननीय सदस्यों द्वारा जिन योजनाओं को दिया गया है, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी क्या ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आगणन बन चुके हैं बहुत सारों के, निर्माण कार्य शुरू हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी की बात पूरी होने दें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी ने माननीय विधायकों से नये प्रस्ताव माँगे थे तो उस वक्त मैंने पूर्व में पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप चमड़खाल पम्पिंग पेयजल योजना के लिए एक प्रस्ताव भेजा था जो 3 विधान सभा क्षेत्रों को लाभान्वित करती है, माननीय श्री जीना के भिकियासैंण क्षेत्र को, माननीय श्री रणजीत रावत जी के सल्ट क्षेत्र को और मेरे रानीखेत क्षेत्र को लाभान्वित करती है जिसका टोकन मनी भी पूर्ववर्ती सरकार का 50 लाख आ चुका था और उसका आगणन और स्वैप समिति का जो पैसा जमा होना है, 15 ग्राम सभा का पैसा भी जमा हो चुका है और आज तक आगणन जमा होने के बाद, उसके प्रस्ताव जमा होने के बाद, स्वैप की रिपोर्ट जमा होने के बाद भी आज 6 महीने बाद भी, विभाग के पास एन0जी0ओ0 ने जमा कर दिया है, लेकिन उसमें आज तक एक कुदाल तक नहीं लगी है, कोई कार्यवाही नहीं हुई है और क्षेत्रीय जनता आन्दोलन करने के लिए उद्वेलित है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि विभाग पेयजल पम्पिंग योजना में कहाँ तक पहुँची है और क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, स्पेसिफिक बता दें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, चमड़खाल की बात कही है तो उस योजना का निर्माण होना है, पहले ग्राम सभा का चुनाव होने वाले थे, उन्होंने कहा कि अभी समिति का गठन नहीं करते हैं। अब चुनाव हो गया है।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, समिति का गठन हो गया है, टोकन मनी भी हो गई है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, टोकन मनी पहले हो गया था और स्वैप उसके बाद लागू हुआ है, तो स्वैप के आधार पर समिति का गठन होगा। (घोर व्यवधान)

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, अंशदान जमा हो चुका है, टोकन मनी तो सरकार ने दी है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी, मेरी बात सुन लें, मैं अपनी एक पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ।

"किस–किस की नजर को देखूँ, मैं सबकी नजर में रहता हूँ,

और किस्मत ही ऐसी मिली है, हर वक्त निशाने पर रहता हूँ।" (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अगर आप पेयजल मंत्री हैं तो निशाने पर रहेंगे ही। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आपने जो प्रश्न मेरे से पूछा है इसमें मैं यह कहना चाहता हूँ यदि उसकी समिति का गठन हो गया हो तो खाता खुल गया होगा, तो उसके पुनर्निर्माण की कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान)

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, यह चमड़खान परियोजना के बारे में है। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, इसमें अंशदान जमा हो चुका है, फिर भी इस पर कार्यवाही नहीं हुई हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब सिर्फ 10 मिनट मेरे पास शेष हैं और अभी 09 प्रश्न मेरे पास और हैं। 70 विधान सभाओं से सम्बन्धित जो पेयजल योजनाएँ हैं, माननीय विधायकों को उनसे सम्बन्धित जो दो–दो योजनाएँ माँगी थीं उनसे सम्बन्धित, प्रगति की रिपोर्ट भिजवा दें। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, यह बता दें कि यह रिपोर्ट कब तक भिजवा देंगे ? (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, 20 तारीख को मैं माननीय विधायकों के साथ बैठकर बात करूँगा (व्यवधान) मान्यवर, मेरे पास तो सूचना यह है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

प्रदेश की वन भूमि में बसे लोगों हेतु अन्यत्र पुनर्वास योजना

*6–श्री नारायण पाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वन भूमि पर बसे लोगों को अन्यत्र बसाने के लिए कितने ग्रामों को पुनर्वास की परिधि में लिया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

प्रदेश में वन भूमि पर बसे लोगों को अन्यत्र बसाने के लिए राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत तीन ग्राम लिए गये हैं। कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग के बफर क्षेत्र में स्थित दो ग्रामों, बद्रीनाथ वन प्रभाग के अन्तर्गत चार ग्रामों के पुनर्वास का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से पूछा है कि कितने ग्रामों को पुनर्वास की परिधि में लिया जा रहा है तो माननीय मंत्री जी ने बताया कि पुनर्वास की परिधि में तो लिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों का पुनर्वास कर दिया गया है और उनको मूलभूत अधिकार दिये जा रहे हैं या नहीं ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जो विशेष रूप से पुनर्वास किया है वह राष्ट्रीय पार्कों के भीतर किया गया है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्दर, 1315 गूजर परिवारों को बसाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। अन्य स्थानों पर सोना नदी, वन्य जीव विकास के 181 गूजरों को और कालसी के अन्तर्गत 61 गूजर परिवारों को अन्यत्र बसाये जाने की योजना विचाराधीन है।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अधिकार अधिनियम, 2006 जो 2007 में लागू हुआ था उसके तहत प्रदेश के अन्दर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या इसमें ग्राम स्तरीय, तहसील स्तरीय और जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया है, घोषित की गयी हैं और क्या वे दावे प्राप्त कर रही हैं। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है और उत्तराखण्ड

के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि परम्परागत वनवासियों को और जनजातियों को जिनका कि वन भूमि पर कब्जा है तीन पीढ़ियों से, दादा के समय से और वन उत्पाद के दोहन का भी अधिकार दिया गया है तो क्या ये जो केन्द्रीय अधिनियम जनवरी, 2007 में लागू हो चुका है, क्या यह इस प्रदेश में लागू हुआ है और क्या ग्राम स्तरीय, तहसील स्तरीय और जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक ये कमेटियाँ गठित की जायेंगी ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, अभी वर्तमान में जो पुनर्वास की योजना है एक राजाजी पार्क के अन्दर है, जिसके अन्दर तीन गाँवों को पुनर्वास करने की योजना है।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, मैं अधिनियम के बारे में जानकारी चाहता हूँ। जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अधिकार अधिनियम, 2006, जो 2007 में लागू हुआ है, यह सेंट्रल एक्ट है, इसके तहत वनों में रहने वाले परम्परागत वनवासियों को जो तीन पीढ़ियों से वन भूमि पर काबिज हैं, रिजर्व फॉरेस्ट लैण्ड पर और जो वन उत्पादों का पीढ़ियों से विदोहन कर रहे हैं, उनको विदोहन का अधिकार और वन भूमि पर काबिज होने वालों को भूमिधरी का अधिकार दिया गया है। उसके तहत राज्य सरकारों को तीन स्तरीय कमेटियों का गठन करना है, ग्राम स्तरीय कमेटियाँ, तहसील स्तरीय कमेटियाँ और जिला स्तरीय कमेटियाँ, क्या हमारे यहाँ इन कमेटियों का गठन हो चुका है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मूल प्रश्न से इसका दूर तक भी कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, वनों पर जो परम्परागत रूप से काबिज हों, उनके अधिकार से सम्बन्धित यह प्रश्न है और यह उस अधिनियम के तहत आता है। पिछली बार सदन में इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से आश्वासन आ चुका है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, यह प्रश्न पुनर्वास से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह तारांकित प्रश्न पुनर्वास से सम्बन्धित है। यदि इसके अतिरिक्त आप कुछ जानना चाह रहे हैं तो उसकी जानकारी माननीय मंत्री जी बाद में उपलब्ध करा देंगे। (व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, यह वन भूमि पर बसे लोगों के अधिकार का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, राजाजी नेशनल पार्क में जो पुनर्वास हुआ है, इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि वे कैसे और कहाँ बसाये गये, इसका मापदण्ड क्या है ? (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि हरिद्वार में राजाजी रौंचुरी के लोगों को बसाने के लिए तीन गाँव लिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वन गूजर परिवारों की जो बस्ती है, क्या उनमें गैंडीखाता और पथरी सम्मिलित हैं ? यदि ये सम्मिलित नहीं हैं, तो वे तीन गाँव कौन–कौन से है, जिनका उल्लेख उत्तर में किया गया है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जो राजाजी पार्क के तीन गाँव बसाये जाने हैं उनमें टीला टोंगिया, रसूलपुर टोंगिया और हजारा टोंगिया है और जो गाँव अभी पुनर्वास किये गये हैं उनमें गैंडीखाता और पथरी हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि जो गूजर परिवार राजाजी नेशनल पार्क से हटाये जाने हैं, उनका पुनर्वास कहाँ पर कर रहे हैं और कितनी लैण्ड उनको दे रहे हैं, उनके परिवार की परिभाषा क्या होगी, किस प्रकार से परिवार की परिभाषा में उनको बसाया जाएगा ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जो राजाजी नेशनल पार्क के बसाये हुए लोग हैं, वे सभी गैंडीखाता और पथरी में बसाये गये हैं। उनको वहाँ पर हैण्डपम्प आदि की सुविधा दी गयी है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इनको कितनी लैण्ड दी गयी है और इनके परिवार की परिभाषा क्या है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, एक मुखिया के परिवार में जो सदस्य हैं, उनको परिवार माना है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह जो परिवार का निर्धारण आपने किया है, यह कब से किया है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, अभी इस वर्ष हमने जो 1390 गूजर परिवार वहाँ से हटाए हैं, इनमें से 1297 परिवारों को गैंडीखाता और पथरी में बसाया है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इनको कितनी लैण्ड दी गयी है ? (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन परिवारों को पथरी में बसाया गया है, क्या उनको मूलभूत सुविधाएं दी गयी हैं ? क्योंकि पथरी अभी राजस्व ग्राम नहीं है। इसको गाँव की संज्ञा किस प्रकार दे रहे हैं ? आप इसे अधिकारियों से कन्फर्म कर सकते हैं, पथरी राजस्व ग्राम नहीं है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, राजाजी नेशनल पार्क से निकाल कर इनको पथरी और गैंडीखाता में बसाया गया है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या आपने इनको राजस्व ग्राम का दर्जा दे दिया है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो कुछ पूछना चाहते हैं, एक–एक कर पूछें, तीन–तीन, चार–चार सदस्य एक साथ बोल रहे हैं।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से बताया कि पथरी में पुनर्वास हो रहा है, पथरी तो राजस्व ग्राम है ही नहीं। पुनर्वास कैसे हो जायेगा ? जब वहाँ पर अवस्थापना सुविधायें ही नहीं हैं, उनके पास जमीन ही नही है, तो क्या खायेंगे ?

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो मूल प्रश्न है, मैंने इसमें यही पूछा है कि इनको पुनर्वास की परिधि में लिया जा रहा है और पुनर्वास अगर किया जा रहा है तो किन–किन गाँवों में किया जा रहा है ? क्या उन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया जाना प्रस्तावित है या हो गया है और उनको क्या–क्या मूलभूत अधिकार दिये जा चुके हैं ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, राजाजी पार्क के जिन गाँवों को बसाने की बात कही, वह मैंने गाँव बताये कालागढ़ टाईगर रिजर्व वन प्रभाग क्षेत्र में दो गाँव है, पाण्डा और तौड़िया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त।

नैनीताल के अन्तर्गत चोरगलिया में नंधौर व देवा नदियों से बाढ़ की रोकथाम

*7–श्री नारायण पाल–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि नैनीताल जनपद के चोरगलिया में नंधौर नदी व देवा नदी का रूट/प्रवाह गलत दिशा में प्रवाहित होने के कारण बाढ़ से हजारों ग्रामवासी प्रभावित हो रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बाढ़ के प्रवाह की रोकथाम के लिए कोई कारगर कदम उठा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

नंधौर नदी व देवा नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की सुरक्षा हेतु रु0 10.89 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा की 07 योजनायें तैयार की गई हैं, 02 संख्या बाढ़ योजनाओं पर बजट की उपलब्धता के आधार पर रु0 70.00 लाख की आँशिक धनराशि विभाग को आवंटित की गई है। इन दोनों योजनाओं पर चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अन्य योजनाओं पर सुसंगत योजना में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़क दुर्घटना से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता

*8–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा किसी नीति का निर्धारण किया गया है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट तारांकित प्रश्न संख्या–6 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, अभी इस वर्ष हमने जो 1390 गूजर परिवार वहाँ से हटाए हैं, इनमें से 1297 परिवारों को गैंडीखाता और पथरी में बसाया है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इनको कितनी लैण्ड दी गयी है ? (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन परिवारों को पथरी में बसाया गया है, क्या उनको मूलभूत सुविधाएं दी गयी हैं ? क्योंकि पथरी अभी राजस्व ग्राम नहीं है। इसको गाँव की संज्ञा किस प्रकार दे रहे हैं ? आप इसे अधिकारियों से कन्फर्म कर सकते हैं, पथरी राजस्व ग्राम नहीं है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, राजाजी नेशनल पार्क से निकाल कर इनको पथरी और गैंडीखाता में बसाया गया है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या आपने इनको राजस्व ग्राम का दर्जा दे दिया है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो कुछ पूछना चाहते हैं, एक–एक कर पूछें, तीन–तीन, चार–चार सदस्य एक साथ बोल रहे हैं।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से बताया कि पथरी में पुनर्वास हो रहा है, पथरी तो राजस्व ग्राम है ही नहीं। पुनर्वास कैसे हो जायेगा ? जब वहाँ पर अवस्थापना सुविधायें ही नहीं हैं, उनके पास जमीन ही नही है, तो क्या खायेंगे ?

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो मूल प्रश्न है, मैंने इसमें यही पूछा है कि इनको पुनर्वास की परिधि में लिया जा रहा है और पुनर्वास अगर किया जा रहा है तो किन–किन गाँवों में किया जा रहा है ? क्या उन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया जाना प्रस्तावित है या हो गया है और उनको क्या–क्या मूलभूत अधिकार दिये जा चुके हैं ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, राजाजी पार्क के जिन गाँवों को बसाने की बात कही, वह मैंने गाँव बताये कालागढ़ टाईगर रिजर्व वन प्रभाग क्षेत्र में दो गाँव है, पाण्डा और तौड़िया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त।

नैनीताल के अन्तर्गत चोरगलिया में नंधौर व देवा नदियों से बाढ़ की रोकथाम

*7–श्री नारायण पाल–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि नैनीताल जनपद के चोरगलिया में नंधौर नदी व देवा नदी का रूट/प्रवाह गलत दिशा में प्रवाहित होने के कारण बाढ़ से हजारों ग्रामवासी प्रभावित हो रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बाढ़ के प्रवाह की रोकथाम के लिए कोई कारगर कदम उठा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

नंधौर नदी व देवा नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की सुरक्षा हेतु रू0 10.89 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा की 07 योजनायें तैयार की गई हैं, 02 संख्या बाढ़ योजनाओं पर बजट की उपलब्धता के आधार पर रू0 70.00 लाख की आँशिक धनराशि विभाग को आवंटित की गई है। इन दोनों योजनाओं पर चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अन्य योजनाओं पर सुसंगत योजना में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़क दुर्घटना से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता

*8–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा किसी नीति का निर्धारण किया गया है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट तारांकित प्रश्न संख्या–6 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 के नियम–30 के उप नियम (1) व (2) के प्रयोजनार्थ अनुसूची का प्रतिस्थापन करते हुए उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–253/ix/323–06/2007, दिनांक 30–04–2007 के द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम–30 के उप नियम (1) के अनुसार "किसी सार्वजनिक सेवायान, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–72, धारा–74, धारा–76, धारा–87, धारा–88 की उपधारा–(8) अथवा धारा–88 की उपधारा–(9) के अन्तर्गत जारी वैध परमिट से आच्छादित हो, के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्री या कोई अन्य व्यक्ति या ऐसे यात्री या अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकारी राहत पाने के हकदार होंगे।"

उक्त नियमावली के नियम–30 के उपनियम (2) के प्रयोजनार्थ अनुसूची का प्रतिस्थापन निम्नवत है :–

क्र०सं०	दुर्घटना/क्षति का विवरण	देय राहत की धनराशि (रुपये)
1	2	3
1.	दुर्घटना में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर	50,000
2.	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, जबकि प्रभावित यात्री/अन्य व्यक्ति, ऐसी पूर्ण स्थाई निःशक्तता जो नियोजन उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में बाधक हो। इसमें निम्नलिखित मामले भी सम्मिलित है :– (अ) दो अंगों की पूर्ण हानि (ब) दोनों नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि	50,000
3.	दुघर्टना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, यथा– (अ) टखने के ऊपर एक पैर की हानि (ब) एक नेत्र की हानि	20,000

1	2	3
	(स) दोनों कानों के सुनने की हानि	
	(द) दाहिनी कलाई या एक भुजा की हानि	
	(य) यदि घायल व्यक्ति को 20 दिवस अथवा अधिक दिवस तक चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रहना पड़े।	
4.	दुर्घटना में सामान्य रूप से घायल होने की स्थिति में (क्रमांक 2 एवं 3 से भिन्न मामलों में)	5,000

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून के रानी पोखरी (डांडी) में चूना भट्टा के कारण स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव

*9–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के रानी पोखरी (डांडी) में स्थित चूना भट्टा के कारण (मै0 भारतीय केमिकल, रानी पोखरी) वहाँ के स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो सरकार उक्त समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वैट स्क्रबर एवं 30 मीटर चिमनी की स्थापना की गयी है। उद्योग में स्थापित चिमनी द्वारा किये जा रहे उत्सर्जन का बोर्ड द्वारा किये गये अनुश्रवण में एस0पी0एम0 की मात्रा 85.8 माइक्रो ग्राम प्रति क्यूब मीटर पायी गयी जो निर्धारित मानक सीमा के अन्तर्गत है। स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 के नियम–30 के उप नियम (1) व (2) के प्रयोजनार्थ अनुसूची का प्रतिस्थापन करते हुए उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–253/ix/323–06/2007, दिनांक 30–04–2007 के द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम–30 के उप नियम (1) के अनुसार "किसी सार्वजनिक सेवायान, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–72, धारा–74, धारा–76, धारा–87, धारा–88 की उपधारा–(8) अथवा धारा–88 की उपधारा–(9) के अन्तर्गत जारी वैध परमिट से आच्छादित हो, के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्री या कोई अन्य व्यक्ति या ऐसे यात्री या अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकारी राहत पाने के हकदार होंगे।"

उक्त नियमावली के नियम–30 के उपनियम (2) के प्रयोजनार्थ अनुसूची का प्रतिस्थापन निम्नवत है :–

क्र0सं0	दुर्घटना/क्षति का विवरण	देय राहत की धनराशि (रुपये)
1	2	3
1.	दुर्घटना में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर	50,000
2.	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, जबकि प्रभावित यात्री/अन्य व्यक्ति, ऐसी पूर्ण स्थाई निःशक्तता जो नियोजन उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में बाधक हो। इसमें निम्नलिखित मामले भी सम्मिलित है :– (अ) दो अंगों की पूर्ण हानि (ब) दोनों नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि	50,000
3.	दुघर्टना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, यथा– (अ) टखने के ऊपर एक पैर की हानि (ब) एक नेत्र की हानि	20,000

1	2	3
	(स) दोनों कानों के सुनने की हानि	
	(द) दाहिनी कलाई या एक भुजा की हानि	
	(य) यदि घायल व्यक्ति को 20 दिवस अथवा अधिक दिवस तक चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रहना पड़े।	
4.	दुर्घटना में सामान्य रूप से घायल होने की स्थिति में (क्रमांक 2 एवं 3 से भिन्न मामलों में)	5,000

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून के रानी पोखरी (डांडी) में चूना भट्टा के कारण स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव

*9–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के रानी पोखरी (डांडी) में स्थित चूना भट्टा के कारण (मै0 भारतीय केमिकल, रानी पोखरी) वहाँ के स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो सरकार उक्त समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वैट स्क्रबर एवं 30 मीटर चिमनी की स्थापना की गयी है। उद्योग में स्थापित चिमनी द्वारा किये जा रहे उत्सर्जन का बोर्ड द्वारा किये गये अनुश्रवण में एस0पी0एम0 की मात्रा 85.8 माइक्रो ग्राम प्रति क्यूब मीटर पायी गयी जो निर्धारित मानक सीमा के अन्तर्गत है। स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में स्थापित स्टोन क्रेशरों द्वारा पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन

*10– श्री किशोर उपाध्याय–

क्या पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि राज्य में स्थापित 'स्टोन क्रेशरों' द्वारा पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बंशीधर भगत–

राज्य में वर्तमान में 76 स्टोन क्रेशरों द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन किया जा रहा है। 11 स्टोन क्रेशरों के आवेदन पत्र बोर्ड के समक्ष विचाराधीन हैं, जिन पर नियमानुसार समयबद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी नगर हेतु नानघाट पेयजल योजना के लिए अवमुक्त धनराशि एवं कार्य प्रगति

*11–श्री यशपाल बेनाम–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पौड़ी नगर के लिए स्वीकृत नानघाट पेयजल योजना के लिए अभी तक कितनी धनराशि अवमुक्त हो चुकी है और कार्य की प्रगति क्या है ?

क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजना के लिए धन देने से इंकार कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार इस योजना को पूर्ण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

पौड़ी नगर के लिए स्वीकृत नानघाट पेयजल योजन हेतु रु0 2200.00 लाख धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, योजना के स्रोत कार्य पूर्ण हो चुके हैं निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति लगभग 30 प्रतिशत है।

जी हाँ।

जी हाँ।

माह दिसम्बर, 2010 तक कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जंगली जानवरों से प्रभावित हरिद्वार अन्तर्गत लक्सर तहसील को प्रभावित क्षेत्र घोषित करने सम्बन्धी

*12–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या वन मंत्री प्रश्नकर्ता द्वारा पृच्छित द्वितीय सत्र, 2007 के तारांकित प्रश्न संख्या–8 के क्रम में बताने का कष्ट करेंगे कि जंगली जानवरों (जंगली जानवरों, वन रोज, आदि) से प्रभावित हरिद्वार तहसील जनपद की लक्सर क्षेत्र को, "प्रभावित क्षेत्र" घोषित कर, इस परिक्षेत्र में इनको मारे जाने हेतु विशेष नीति गठित कर, अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जंगली जानवरों (जंगली जानवरों, वन रोज आदि) से प्रभावित हरिद्वार जनपद के लक्सर क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित कर इस परिक्षेत्र में इनको मारे जाने हेतु विशेष नीति गठित करने की आवश्यकता नहीं है।

पीड़क जन्तुओं को चिन्हित कर उन्हें नष्ट करने के आदेश निर्गत करने हेतु मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अधिकृत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

हरिद्वार में बाढ़ नियन्त्रण हेतु गंगा नदी के दायें किनारे भोगपुर से बालावाली तक मार्जिनल तटबंध का निर्माण कार्य

*13–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में गत दो वर्ष पूर्व स्वीकृत केन्द्र पुरोनिधानित परियोजना (बाढ़ नियंत्रण) गंगा नदी के दायें किनारे पर भोगपुर से बालावाली तक मार्जिनल तटबंध निर्माण कार्य पिछले एक वर्ष से रुका हुआ है ?

यदि हाँ, तो उक्त निर्माण कार्य को रोके जाने के क्या कारण हैं ?

क्या राज्य सरकार द्वारा राज्यांश धनराशि केन्द्रांश के अनुरूप स्वीकृत कर दी गई है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त परियोजना हेतु यथाशीघ्र धनराशि जारी करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी हाँ।

धनराशि जारी कर दी गई है

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

अनुसूचित जनजातियों व वन निवासियों को हक हकूक की माफी लकड़ी की प्रदानता

1–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन विभाग से जलौनी लकड़ी हक हकूक के रूप में माफी की इमारती लकड़ी प्रदान की जायेगी ?

यदि हाँ, तो क्या जलौनी लकड़ी अथवा हक हकूक की माफी की लकड़ी वर्ष 2008–09 में भी दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर स्थित शारदा मुख्य नहर को कामिनी नदी से मिलाकर नानक सागर पोषक नहर निर्माण की योजना

2–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में बहने वाली शारदा मुख्य नहर में जगबूढ़ा नदी के साइफन के पास से पूर्वी तराई वन प्रभाग के किलपूरा रेंज के मध्य से होते हुए कामिनी नदी में मिलाकर नानक सागर पोषक नहर निर्माण की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो नहर निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं, इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार शारदा नहर के जीरो बंध नानकसागर बाँध की कामिनी नदी के तल तक की अनुमानित लम्बाई, 17.00 कि0मी0 है। शारदा नहर के 6.00 कि0मी0 पर बैड का तल 216.378 मीटर है। यदि प्रस्तावित नहर को नानकसागर बाँध के जीरो पर कामिनी नदी में मिलाया जाता है, जहाँ नदी का तल 215.252 मी0 है, तो वह स्थान शारदा नहर के तल से 1.126 मी0 नीचा है, जबकि नहर का औसत ढाल 0.50 मीटर प्रति कि0मी0 मानते हुए कम से कम 8.50 मीटर तल अन्तर (ड्राप) की आवश्यकता होगी। अतः नहर निर्माण किया जाना (फेसिबल) नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी, रुद्रप्रयाग तथा चमोली के 72 मार्गों को मार्ग सूचियों में सम्मिलित करने तथा अमार्गों पर बस सेवाओं का संचालन

3–श्रीमती अमृता रावत–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी के दिनांक 07–05–2008 के पत्र संख्या 120/स0प0प्रा0–नये मार्ग/07 के द्वारा जनपद पौड़ी के 52, जनपद रुद्रप्रयाग के 2 तथा जनपद चमोली के 18 मार्गों को मार्ग सूचियों में सम्मिलित किये जाने तथा अधिकांश मार्गों पर बस सेवायें संचालित होनी प्रारम्भ किये जाने की जानकारी दी गई है ?

यदि हाँ, तो इन 72 मार्गों का विवरण क्या है तथा इन मार्गों पर संचालित बस सेवाओं का विवरण और निर्धारित समय सारणी क्या है ?

क्या इन सभी 72 मोटर मार्गों पर नियमित बस सेवायें संचालित हो रही हैं ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

मार्गों की सूची संलग्न है। †

(1) सर्वेक्षण में उक्त 72 मार्ग की सूची के क्रमांक 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 67, 68, 69, 71 एवं 72 कुल 45 मार्ग बस संचालन के लिए उपयुक्त पाये गये हैं।

† (विवरण देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 140–147 पर)

(2) उक्त क्रमांकों में से क्रमांक 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 34, 36, 51, 69, 71, एवं 72 कुल 19 मार्गों पर बस सेवाऐं प्रारम्भ कर दी गयी हैं। (समय सारणी संलग्न)

(3) शेष क्रमांक 6, 9, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 56, 57, 59, 67, एवं 68 कुल 26 मार्गों का पृष्ठांकन स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों में कर दिया गया है।

(4) 72 मार्गों में से क्रमांक 5, 10, 11, 13, 17, 18, 26, 28, 29, 31, 32, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 एवं 70 पर उल्लिखित कुल 27 मार्ग हल्के वाहन मार्ग हैं, इन मार्गों पर मोटर कैब, मैक्सी कैब वाहन संचालित हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

पौड़ी जनपद के अन्तर्गत ग्राम बहेड़ा की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना का पुनर्निर्माण

4—श्रीमती अमृता रावत—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि लोक निर्माण विभाग के पौड़ी स्थित प्रान्तीय खण्ड के कार्य क्षेत्रान्तर्गत बहेड़ा, खाल—खाण्डा हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिणित करने के कारण ग्राम बहेड़ा की पेयजल योजना पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है जिसके कारण ग्रामवासी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं ?

यदि हाँ, तो पेयजल विभाग द्वारा इस योजना की क्षतिपूर्ति / पुनर्निर्माण कराने / करवाने की दिशा में लोक निर्माण विभाग को कार्यवाही किये जाने और क्षतिग्रस्त योजना का पुनर्निर्माण करवाये जाने हेतु अवगत कराया गया है ?

उक्त पेयजल योजना का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

जी हाँ।

जी हाँ।

लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल की परिवहन समस्याओं के समाधान हेतु कार्यवाही व प्रगति

5–श्रीमती अमृता रावत–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल की परिवहन समस्याओं के समाधान हेतु उत्तराखण्ड, परिवहन निगम लि0 की बस सेवाओं के संचालन के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड, परिवहन निगम, देहरादून को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक 219/विधायक/07–परिवहन/2007–08 दिनांक 13–11–2007 पत्रांक संख्या–323/विधायक/07–परिवहन/2007–08 दिनांक 20–11–2007, पत्रांक संख्या–674 विधायक/07–परिवहन 2007–08 दिनांक 10–3–2008, कब–कब प्राप्त हुए हैं और इन पत्रों में वर्णित मोटर मार्गों पर बस सेवायें संचालित करवाने की दिशा में अब तक की कार्यवाही एवं हुई प्रगति का विवरण क्या है?

क्या यह सत्य है कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के द्वारा उक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

बस सेवाओं के संचालन विषयक मा0 सदस्य विधान सभा के पत्रांक 219/विधायक/07–परिवहन/2007–08, दिनांक 13–11–2007 एवं पत्रांक 674/विधायक/07–परिवहन 2007–08, दिनांक 10–3–2008 क्रमशः 19–11–2007 एवं 18–3–2008 को प्राप्त हुए हैं।

पत्रांक 323/विधायक/07–परिवहन/2007–08, दिनांक 20–11–2007 उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय, देहरादून को प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त प्राप्त दोनों पत्र देहरादून–हरिद्वार–कोटद्वार–सतपुली–बैजरों–बीरोंखाल बस संचालन किये जाने हेतु उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय देहरादून के पत्र दिनांक 27–11–2007 एवं 25–03–2008 द्वारा मण्डलीय प्रबन्धक, संचालन देहरादून से आख्या माँगी गयी, जिसका उत्तर दिनांक 24–7–2008 को प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार देहरादून से बीरोंखाल हेतु वाया ऋषिकेश–देवप्रयाग–पौड़ी–बैजरों–बीरोंखाल हेतु एक बस सेवा संचालित है। इसका लोड फैक्टर 90 प्रतिशत है। देहरादून से हरिद्वार–नजीबाबाद–कोटद्वार–गुमखाल–सैरांघाट–बैजरों–बीरोंखाल पर बस संचालन हेतु पर्वतीय बसों की अनुपलब्धता के कारण इस मार्ग पर सम्प्रति बस संचालन कराया जाना सम्भव नहीं है।

जी नहीं। प्रश्नगत पत्र के सम्बन्ध में मण्डलीय प्रबन्धक संचालन, देहरादून की आख्या दिनांक 24–07–2008 को प्राप्त होने के उपरान्त मा0 सदस्य को उप महाप्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पत्र संख्या–1995 नि0मु0/संचालन–नये मार्ग शासन/08 दिनांक 25–07–2008 द्वारा प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी के चौबट्टाखाल तहसील हेतु पोखड़ा क्षेत्र से नियमित बस सेवा का संचालन

6—श्रीमती अमृता रावत—

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल स्थित तहसील में सरकारी एवं निजी कार्यों के लिए पोखड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए प्रातः एवं सायं आवागमन हेतु कोई नियमित बस सेवा संचालित नहीं है ?

यदि हाँ, तो उक्त ग्रामीणों की सुविधा हेतु पोखड़ा से प्रातः चौबट्टाखाल होते हुए कोटद्वार तथा कोटद्वार से चौबट्टाखाल होते हुए पोखड़ा के लिए सायं काल बस सेवा संचालित करने की दिशा में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण क्या है तथा कब तक प्रस्तावित बस सेवा का संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री बंशीधर भगत—

जी हाँ।

परिवहन निगम के बस बेड़े में छोटी बसें सीमित संख्या में हैं। वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग पर बस संचालन सम्भव नहीं है।

पौड़ी के अन्तर्गत थनगड़—चोपड़ा नहर से ग्राम खाण्डा के अनुसूचित जाति के परिवारों की सिंचाई की सुविधा

7—श्रीमती अमृता रावत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत थनगड़—चोपड़ा नहर के खाण्डासैंण तक विस्तार से ग्राम खाण्डा के अनुसूचित जाति के परिवारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को सम्बोधित पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री सतपाल महाराज का दिनांक 28 नवम्बर, 2007 एवं दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 तथा दिनांक 18 अप्रैल, 2008 के पत्र कब प्राप्त हुए हैं और इन पत्रों पर अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है ?

क्या यह सत्य है कि थनगड़—चोपड़ा नहर का विस्तार खाण्डासैंण तक किये जाने के बावजूद ग्राम खाण्डा के अनुसूचित जाति के परिवार सिंचाई सुविधा से वंचित हैं ?

यदि हाँ, तो इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ?

क्या सरकार उक्त परिवारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

प्रश्नगत पत्र मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में दिनांक 3 दिसम्बर, 2007, 24 जनवरी, 2008 एवं दिनांक 23 अप्रैल, 2008 को प्राप्त हुए हैं। उक्त पत्रों के क्रम में धनगढ़–चोपड़ा नहर के विस्तारित भाग का क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। नहर के विस्तारित भाग में वर्तमान समय में सतपुली व्यासचट्टी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित होने के कारण नहर संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण होने पर नहर से नियमित रूप से सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी सम्भव होगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

हरिद्वार के भगवानपुर विकास खण्ड में सिंचाई हेतु कार्ययोजना

8–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ब्लाक भगवानपुर में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य योजना (प्रोजेक्ट) बनायी गई है?

यदि हाँ, तो कार्य योजना की स्वीकृति कब तक हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ। वर्तमान में जनपद हरिद्वार के ब्लाक भगवानपुर में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये हेतु रु0 12195.95 लाख लागत की इकबालपुर नहर निर्माण योजना तथा विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर, रुड़की में 58 नलकूपों के निर्माण की योजना जिसकी लागत रु0 1612.00 लाख है, पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही कर नलकूप निर्माण की योजना नाबार्ड को एवं नहर निर्माण की योजना भारत सरकार को स्वीकृतार्थ प्रेषित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

योजनाओं पर स्वीकृति भारत सरकार/नाबार्ड द्वारा प्रदान की जानी है। अतः योजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार/नाबार्ड पर ही निर्भर करेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पौड़ी के वि0स0 क्षेत्र बीरोंखाल की पेयजल योजनाओं पर कार्यवाही

9—श्रीमती अमृता रावत—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल, पौड़ी गढ़वाल की कतिपय पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा मंत्री महोदय को लिखे गये पत्रों के सन्दर्भ में पत्रांक 7043, दि0 25-3-2008, 5996, दि0 14-03-2008, 5995, दि0 24-03-2008, 5909, दि0 17-03-2008, 2272, दि0 16-07-2008, 5394, दि0 11-02-2008, 5043, दि0 29-01-2008, 5390, दि0 11-02-2008, 5394, दि0 04-02-2008, 2344, दि0 18-07-2007, 2272, दि0 16-07-2007 एवं 2344 द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये निर्देशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी प्रगति का योजनावार विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल की पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित पत्रों पर की गयी कार्यवाही संलग्नानुसार प्रस्तुत है। †

पौड़ी के वि0स0 क्षेत्र बीरोंखाल की पेयजल समस्याओं के समाधान हेतु की गयी कार्यवाही

10—श्रीमती अमृता रावत—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्रांक 698/विधायक/23-पेयजल 2007-08, दिनांक 10-03-08 के साथ प्रस्तुत 30 पत्रों की सूची में वर्णित पेयजल समस्याओं के समाधान एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का योजनावार विवरण क्या है तथा कब तक वर्णित समस्याओं का समाधान कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

प्रश्न में निहित 30 पत्रों पर की गयी कार्यवाही/अद्यतन स्थिति का विवरण संलग्न है। ††

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (विवरण देखियें नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या—148 पर)

†† (विवरण देखियें नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या— 152—155 पर)

पौड़ी के वि0स0 क्षेत्र बीरोंखाल की पेयजल आपूर्ति हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना

11—श्रीमती अमृता रावत—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत पेयजल की विकट समस्या के आँशिक समाधान हेतु अब तक किन—किन स्थानों पर हैण्डपम्प स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव/पत्र प्राप्त हुए हैं और अब तक किन—किन स्थानों पर हैण्डपम्प स्थापित कर, जलापूर्ति करवाई जा रही है ?

क्या यह भी सत्य है कि पूर्व में स्थापित अनेक हैण्डपम्प एक लम्बी अवधि से खराब पड़े हुए हैं और उनसे जलापूर्ति भी ठप्प पड़ी हुई है ?

यदि हाँ, तो इन हैण्डपम्पों के खराब होने की तिथि स्थल सहित विवरण क्या है तथा इन्हें ठीक करवाने में हुए विलम्ब के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा कब तक इन खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत 34 स्थानों पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। (सूची संलग्न) † डंगवाल खौला (सेन्दूड़ी), इन्टर कालेज जोगीमड़ी, प्रेमनगर (चमनाऊ), भरौली, पणखेत, सिन्दुड़ी, कमेड़ी, सागोंधार, जगस्याखाल एवं नोगाँवखाल में हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर जलापूर्ति की जा रही है।

जी नहीं।

71 हैण्डपम्पों में से 17 हैण्डपम्प खराब थे, जिन्हें ठीक करा दिया गया है।

विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत खराब हैण्डपम्पों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र0सं0	स्थल का नाम	खराब होने की तिथि
1.	बीरोंखाल बाजार	10—04—08
2.	जी0जी0आई0सी0 बीरोंखाल	01—05—08
3.	सिसई	25—05—08
4.	बैजरो	15—06—08
5.	कुणजोली	10—07—08
6.	उफरैखाल	15—07—08

† (विवरण देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्या—156—157 पर)

7.	सिलियाखाल (धैड़गाँव)	10—07—08
8.	वीणाधार	01—08—08
9.	वगड़ीधार	08—08—08
10.	देवराड़ी देवी	06—08—08
11.	चौबट्टाखाल	12—07—08
12.	मेल गाँव	06—08—08
13.	दमदेवल	06—08—08
14.	कुणजखाल	05—08—08
15.	रिंगवाड़ी बाजार	11—07—08
16.	सतपाली	10—07—08
17.	चमाली	09—07—08

वर्ष 2008—09 में जिला योजनान्तर्गत धनराशि प्राप्त होने पर खराब हैण्डपम्पों को ठीक करा दिया गया है। विलम्ब हेतु कोई उत्तरदायी नहीं है।

पौड़ी स्थित बीरोंखाल के पोखड़ा अन्तर्गत चौबट्टाखाल समूह पम्पिंग पेयजल योजना तथा स्वीकृत धनराशि

12—श्रीमती अमृता रावत—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत चौबट्टाखाल ग्राम समूह (पम्पिंग) पेयजल योजना कब स्वीकृत हुई और इस योजना के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा योजना में कौन—कौन से गाँव/तोक सम्मिलित हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस योजना के निर्माण हेतु अब तक कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है और योजना की कार्य प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक योजना में प्रस्तावित गाँवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

चौबट्टाखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु0 1674.93 लाख, दिसम्बर, 2006 में प्रशासकीय स्वीकृति सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की गई है। ग्राम एवं तोकों की सूची संलग्न है (संलग्न—1) †

सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अन्तर्गत समितियों के गठन एवं प्राक्कलन पुनः विरचित कर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त धनावंटन के पश्चात्, निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्रस्तावित गाँवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

† (विवरण देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ संख्या—158—159 पर)

पौड़ी अन्तर्गत कोटद्वार–सतपुली–धिण्डवाड़ा तथा ब्यासघाट–बाडियूं–कांसखेत मार्ग पर नियमित बस सेवाओं का संचालन

13–श्रीमती अमृता रावत–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार–सतपुली–बाडियूं–बहेड़ाखाल–डांडानागराजा–धिण्डवाड़ा तक बस सेवाओं के संचालन हेतु परमिट जारी किये जाने के बावजूद भी अभी तक उक्त मार्ग पर नियमित बस सेवाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है ?

यदि हॉं, तो उक्त मार्ग पर नियिमत बस सेवाएं संचालित न करने के लिए कौन उत्तरदायी है ?

कब तक उक्त मार्ग पर बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

क्या यह सत्य है कि पौड़ी–कांसखेत–बाडियूं–चोपड़ा–व्यासघाट मोटर मार्ग पर वर्षों से संचालित बस सेवा को बन्द कर दिया गया है ? यदि हॉं, तो क्या मंत्री जी अवगत हैं कि व्यासघाट–बड़ियूं क्षेत्र से बनेख घण्डियाल, कांसखेत, छजौलियाधार (कल्जीखाल) अदवानी तथा टेका पौड़ी जाने वाले यात्रियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हॉं, तो व्यासघाट–बाड़ियूं से बाघाट–कांसखेत–पौड़ी मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए क्या वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था की गई है ?

श्री बंशीधर भगत–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार–सतपुली–बाडियूं–बहेड़ाखाल–डांडानागराजा मार्ग भाग पर बस सेवा संचालित है। डांडा नागराजा–धिण्डवाड़ा मार्ग भाग नवनिर्मित है, जिसका संयुक्त सर्वेक्षण दिनांक 04–06–2008 को किया गया। सर्वेक्षण में उक्त भाग बस सेवा संचालन हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

डांडा नागराजा–धिण्डवाड़ा नवनिर्मित मार्ग भाग सम्प्रति बस संचालन हेतु उपयुक्त नहीं है।

पौड़ी–कांसखेत–बाडियूं–चोपड़ा–व्यासघाट मार्ग पर बस सेवा प्रारम्भ कर दी गई है। जब यह सेवा बाधित थी तब वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हल्के वाहन यथा टैक्सी/ मैक्सी कैब संचालित थी।

ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता डाम में पानी का रिसाव

14–श्री नारायण पाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ0सिं0 नगर के नानकमत्ता डाम में पानी का रिसाव हो रहा है ?

यदि हाँ, तो उक्त रिसाव की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद ऊधमसिंह नगर के भू–भाग में स्थित नानक सागर बाँध उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग के नियन्त्रण में है, उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में नानक सागर बाँध में कोई रिसाव नहीं हो रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में आंगनबाड़ी कार्य कर्त्रियों एवं सेविकाओं की नियुक्ति

15–श्री केदार सिंह रावत–

क्या बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007 में विज्ञापित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सेविकाओं के सभी पदों पर जनपद उत्तरकाशी में नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं ?

यदि हाँ, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है ?

क्या सरकार उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री [मे0 ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी] –

वर्ष 2007 में विज्ञापित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं के ऐसे पदों पर, जहाँ से विज्ञापित पदों के क्रम में आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको छोड़कर शेष सभी पदों पर नियुक्तियाँ हो गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 चिन्यालीसौड़ के टिहरी बाँध डूब क्षेत्र के गाँवों को मुआवजे का निस्तारण

16–श्री केदार सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के टिहरी बाँध डूब क्षेत्र के गाँवों के मुआवजे सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण हेतु गत वर्ष मा0 सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में 13 सितम्बर, 2007 को हुयी बैठक में 5 अक्टूबर, 2007 तक प्रकरण निस्तारित करने का निर्णय लिया गया था ?

यदि हाँ, तो एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के टिहरी बाँध डूब क्षेत्र से प्रभावित परिवारों, जो पुनर्वास नीति से आच्छादित थे, को सम्पूर्ण भुगतान/पुनर्वासित किया जा चुका है। चिन्यालीसौड–जोगथ मोटर मार्ग में पुल के आस पास कुछ भवन निर्मित थे, जिनका पुनर्वास निदेशक, टिहरी बाँध परियोजना द्वारा चिन्हीकरण किया गया था, जो बैनाप भूमि पर धारा–4 से पूर्व के निर्मित न होने के कारण पुनर्वास निदेशक द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं। जिन प्रकरणों का निस्तारण पुनर्वास निदेशालय स्तर से नहीं हो पाया है, वे मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठित मा0 जिला जज, (सेवानिवृत्त) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (पुनर्वास) में विचाराधीन हैं।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर (पौड़ी) के अन्तर्गत ऊँचाकोट एवं परिन्दा पम्पिंग योजना से जलापूर्ति

17–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऊँचाकोट पम्पिंग पेयजल योजना एवं परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजना से जलापूर्ति सुचारू रूप से संचालित नहीं है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त योजना अत्यन्त क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण अवस्था में है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

जी हाँ, ऊँचाकोट पम्पिंग पेयजल योजना आँशिक क्षतिग्रस्त है।

जी हाँ।

ऊँचाकोट की क्षतिग्रस्त योजनाओं की मरम्मत हेतु वर्ष 2009–10 की जिला योजना में प्रस्तावित की गई है तथा परिन्दा पेयजल योजना सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2007–08 में हिंसक वन्य जीवों द्वारा मारे गये व्यक्तियों तथा पशुओं की क्षति का मुआवजा

18–श्रीमती अमृता रावत–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में हिंसक वन्य जीवों द्वारा मारे गये व्यक्तियों, घायल किये गये व्यक्तियों तथा मारे गये पशुओं की क्षति का आठ लाख पच्चीस हजार की अनुग्रह राशि के बकाया भुगतान की जानकारी प्रश्नकर्ता के पत्रांक 837/विधायक/21–वन/2008–08, दिनांक 30–05–08 द्वारा सरकार को दी गई है ?

यदि हाँ, तो उक्त अनुग्रह राशि के भुगतान की दिशा में अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणाम क्या हैं ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

उक्त पत्र द्वारा गढ़वाल वन प्रभाग के अन्तर्गत बाघ से घायल कुमारी साधना, पुत्री जसवन्त सिंह नेगी को देय अनुग्रह राशि सहित वर्ष 2007–08 की अनुग्रह राशि रु0 8,25,000/– के भुगतान लम्बित रहने सम्बन्धी सूचना दी गई है।

प्रश्नगत धनराशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड में गत तीन वर्षों में रोपे गये वृक्ष एवं रोपण पर व्यय

19–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष वन विभाग द्वारा जिलेवार कितने पौधे रोपण किये गये तथा पौध रोपण पर सरकार का कितना धन खर्च हुआ है ?

क्या मंत्री जी रोपित पौधों की स्थिति का पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

उत्तराखण्ड में गत 3 वर्षों में प्रति वर्ष वन विभाग द्वारा रोपित किये गये पौधों तथा पौध रोपण पर हुए खर्च का विवरण निम्नानुसार है–

मण्डल का नाम	2005–06		2006–07		2007–08	
	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)	व्यय (रू0 लाख में)	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)	व्यय (रू0 लाख में)	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)	व्यय (रू0 लाख में)
गढ़वाल	300.71	2157.91	334.88	3136.52	1137.59	3248.38
कुमाऊँ	84.66	1099.70	87.06	1343.03	93.75	1491.30
योग	385.37	3257.61	421.94	4479.55	1231.34	4739.68

(रोपित किये गये पौधों का जिलेवार विवरण संलग्न है) †

रोपित पौधों से सम्बन्धित जनपद–वार विवरण संलग्नक में दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु उपाय

20–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में विगत दो वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए हैं ?

श्री बंशीधर भगत–

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु मुख्यतः निम्न कार्यवाही की जा रही है :–

1. वाहन चालकों को बेहतर एवं गुणवत्तापरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है।

2. वाहनों की फिटनेस कड़ाई से कराये जाने के निर्देश समय–समय पर दिये जाते हैं।

3. समय–समय पर प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

4. तीव्र गति एवं नशे की हालत में वाहनों के संचालन की जाँच हेतु स्पीड रडार गन एवं ऐल्कोमीटर भी प्रवर्तन दलों को उपलब्ध कराये गये हैं।

5. वाहन स्वामियों एवं चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किये जाने की कार्यवाही की गयी है।

† (विवरण देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ संख्या–160–161 पर)

6. चालक लाईसेंस जारी किये जाने सम्बन्धी प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है।

विगत 02 वर्षों में सार्वजनिक सेवायानों की दुर्घटनाओं में मृतक/घायलों का विवरण :-

वर्ष 2006–07		वर्ष 2007–08	
मृतक	घायल	मृतक	घायल
286	969	333	1041

बागेश्वर में रोडवेज डिपो खोलने पर विचार

21—श्री चन्दनराम दास—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के मुख्यालय बागेश्वर में रोडवेज डिपो खोलने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत—

जी हाँ।

जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा बागेश्वर में रोडवेज डिपो की स्थापना के लिए भूमि चयनित की गई है। प्रस्ताव का परीक्षण गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी के बीरोंखाल ग्राम समूह पम्पिंग योजना के तृतीय चरण हेतु अवमुक्त धनराशि एवं कार्य प्रगति

23—श्रीमती अमृता रावत—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के तृतीय चरण के निर्माण हेतु धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में मंत्री जी के पत्रांक 6412/, दिनांक 02–05–08, पत्रांक 841/, दिनांक 30–05–08 तथा पत्रांक 8019/, दिनांक 10–07–08 पर शासन स्तर से अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक धन अवमुक्त कर दिया जायेगा ? क्या यह भी सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की चौबट्टाखाल ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में मंत्री जी के पत्रांक 6411/, दिनांक 02–05–08, पत्रांक 5909/, दिनांक 17–03–08 और सचिव, मुख्यमंत्री के पत्रांक GE/24942/XXXV-1/2007 (1), दिनांक 19–11–07 के सन्दर्भ में अब तक की कार्यवाही और प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक धन अवमुक्त कर दिया जायेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

वि0स0 क्षेत्र यमकेश्वर (पौड़ी) अन्तर्गत परिन्दा पम्पिंग योजना से जलापूर्ति

24–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत परिन्दा गढ़वाल के अन्तर्गत परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजना से उन सभी गाँवों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, जिनको इस योजनान्तर्गत लाभान्वित होना था ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा पेयजल समस्या से ग्रस्त गाँवों की जलापूर्ति हेतु कोई पम्पिंग पेयजल योजना विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक इसका निर्माण कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

योजना में सम्मिलित 43 बस्तियों में से केवल 8 बस्तियों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है।

योजना के अन्तिम छोर पर स्थित 8 बस्तियों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सकल क्षेत्र में समरूप नीति के आधार पर योजना विरचित कर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र यमकेश्वर (पौड़ी) अन्तर्गत रणचूला पम्पिंग योजना से जलापूर्ति

25–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल की रणचूला पम्पिंग पेयजल योजना में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही है ?

क्या यह भी सत्य है कि पम्पिंग पेयजल योजना का जल रिजर्व टैंक ऊपर से खुला होने के कारण उसमें जानवर मरे पड़े रहते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मानीला–बरकिण्डा पेयजल योजना की कार्य प्रगति

26–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में मानीला–बरकिण्डा पेयजल योजना हेतु वर्ष 2006 में कितनी वित्तीय स्वीकृति हुई है एवं उक्त योजना की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कितना कार्य पूर्ण हुआ है और कितना कार्य शेष है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पेयजल योजना के कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है और कब तक क्षेत्रीय जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद अल्मोड़ा के मानीला–बरकिण्डा पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 1072.55 लाख के सापेक्ष वर्ष 2006 में रु0 20.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। वर्तमान में सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) कार्यक्रम लागू हो जाने एवं योजना आउट ऑफ स्वैप सूची में सम्मिलित न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराये जा सके।

सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अन्तर्गत समितियों के गठन के पश्चात् प्राक्कलन पुनः विरचित कर सक्षम स्तर से अनुमोदन एवं धनावंटन के पश्चात्, निर्माण कार्य पूर्ण होने पर क्षेत्रीय जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जाना सम्भव होगा।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रामगंगा–चमड़खान पेयजल योजना हेतु अवमुक्त धनराशि एवं कार्य प्रगति

27–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में रामगंगा–चमड़खान पेयजल योजना हेतु वर्ष 2006 में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है एवं उक्त योजना की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कितना कार्य पूर्ण हुआ है और कितना कार्य शेष है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पेयजल योजना का कार्य कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है और कब तक क्षेत्रीय जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद अल्मोड़ा की रामगंगा–चमड़खान पेयजल योजना अनुमानित लागत रु 1030.00 लाख के सापेक्ष वर्ष 2006 में रु0 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई परन्तु सकल क्षेत्र में समरूप नीति लागू हो जाने एवं योजना आऊट ऑफ स्वैप सूची में सम्मिलित न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।

सकल क्षेत्र में समरूप नीति के अन्तर्गत समितियों के गठन के पश्चात् प्राक्कलन पुनः विरचित कर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त धनावंटन के पश्चात् निर्माण कार्य पूर्ण होने पर क्षेत्रीय जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जाना सम्भव होगा।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्रीमती आशा, श्री गोपाल सिंह रावत एवं श्री खजान दास की कुल चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्रीमती आशा एवं श्री खजान दास की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत घट्टूगाड–चैलूसैंण मोटर मार्ग के शेष भाग को हॉटमिक्स करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत घट्टूगाड–चैलूसैंण मोटर मार्ग एक मुख्य मार्ग है। जो कि इस विधान सभा के अधिकतर गाँवों एवं गढ़वाल राइफल्स के मुख्यालय लैंसडाउन छावनी को जोड़ने का मुख्य मार्ग है। यह मार्ग प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नीलकंठ को जनपद पौड़ी के काफी बड़े क्षेत्र से भी जोड़ने का मोटर मार्ग है। इस मोटर मार्ग से कई लिंक मार्ग भी निर्माणाधीन हैं। लेकिन यह मार्ग अभी तक कच्चा मार्ग है, जगह–जगह क्षतिग्रस्त है। इसमें बसों का आवागमन भी बहुत कम है, रोडवेज की बस तो इस मार्ग से नहीं चल सकती। जिससे ग्रामीणों को यातायात की सुविधा नहीं मिल पा रही है। वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सम्भावनायें हमेशा बनी रहती हैं। इस मार्ग के सुधारीकरण, डामरीकरण, हॉटमिक्स से करवाने हेतु जनता बार–बार माँग कर रही है।

अतः उपरोक्त ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सदन का ध्यानाकर्षित करते हुए घट्टूगाड–चैलूसैंण मोटर मार्ग के शेष भाग को भी हॉटमिक्स से पक्कीकरण करने की प्रबल माँग करती हूँ।

जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अधूरे पड़े हुए मोटर मार्गों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती आशा–

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग की विधान सभा केदारनाथ के अधूरे पड़े मोटर मार्गों की ओर लाना चाहती हूँ। मान्यवर, नागजगई, फेगू, बरम्बाड़ी मोटर मार्ग, जाखधार–देवर मोटर मार्ग, कमसाल, जगोठ, अम्बेडकर मोटर मार्ग, कोटखाल, जाखतोजी, मोहनखाल, बाडव मोटर मार्ग, चन्दापुरी, गुगली मोटर मार्ग पर विभाग द्वारा आधा–अधूरा निर्माण कर छोड़ दिया गया है। इन मोटर मार्गों को वाहन चलाने योग्य बनाने के लिए क्षेत्रीय जनता बार–बार माँग कर रही है। मगर विभाग द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही न किये जाने से जनता में अत्यन्त रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही की माँग करती हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल विकास खण्ड जौनपुर की काण्डी पम्पिंग योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खजान दास–

मान्यवर, मेरी विधान सभा धनौल्टी के वि0ख0 जौनपुर, ग्राम काण्डी वासियों द्वारा पेयजल की माँग लगातार कई वर्षों से की जाती रही है। गर्मी के मौसम में उक्त ग्राम में खच्चरों से ढुलान करके पेयजल आपूर्ति की जाती है जो कि पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध नहीं होता है। ग्राम काफी ऊँचाई पर होने के कारण आस–पास के स्रोतों में पेयजल आपूर्ति सम्भव नहीं है जिस कारण ग्राम की लगभग 1000 के अधिक आबादी की प्यास को बुझाने हेतु काण्डी पम्पिंग योजना की माँग मेरे द्वारा लगातार की जा रही है, किन्तु अब तक भी काण्डी पम्पिंग योजना को स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु कोई सार्थक कार्यवाही गतिमान नजर नहीं आ रही है। पेयजल की माँग आम आदमी की मूलभूत आवश्यकता के अन्तर्गत होने के कारण भी इस पर कोई कार्यवाही न होना एक चिन्ताजनक विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शीघ्रता से कार्यवाही की माँग की जाती है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री सूरत चन्द रमोला के निधन पर शोकोद्‌गार

*मुख्यमंत्री [मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन को दुःख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि पूर्व विधायक एवं एम0एल0सी0 श्री सूरत चन्द रमोला जी का दिनांक 21 अक्टूबर, 2008 को निधन हो

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है। स्व0 श्री सूरत चन्द रमोला का जन्म 16 जून, 1926 को ग्राम बर्यौण, जनपद उत्तरकाशी में हुआ था।

मान्यवर, उनके पिता का नाम श्री लाल चन्द रमोला था उनकी प्रारम्भिक शिक्षा टिहरी में तथा मैट्रिक/हाईस्कूल की शिक्षा लाहौर से हुई। उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से स्नातक तथा एम0ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रहण की। उनका विवाह 18 मार्च, 1947 को श्रीमती सुशीला देवी जी के साथ हुआ। विद्यार्थी जीवन में ही कांग्रेस के सदस्य रहे तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के भी सदस्य रहे। अपने छात्र जीवन से ही श्री रमोला समाज सुधारक आंदोलनों से जुड़े रहे। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने कन्या विक्रय प्रथा के विरूद्ध आंदोलन किया व कन्या विक्रय विरोधी संस्था की स्थापना की तथा शराब विरोधी आंदोलन में भी प्रभावी योगदान दिया। श्री रमोला टिहरी विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे तथा वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे। पेशे में वकील श्री रमोला की सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य के अतिरिक्त लॉन टैनिस खेलने में भी विशेष रूचि थी। 21 अक्टूबर, 2008 को श्री रमोला का देहरादून में स्वर्गवास हो गया। उनके परिवार में दो पुत्र और पुत्रियां हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन और अपनी तरफ से स्व0 रमोला जी के परिवार को सम्वेदना प्रेषित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री सूरत चन्द रमोला जी के निधन पर जो विचार माननीय नेता सदन ने व्यक्त किये है, मैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। निश्चित रूप से स्व0 रमोला जी की क्षति केवल उनके परिवार की क्षति नहीं है, यह केवल टिहरी जनपद और गढ़वाल की क्षति नहीं है, यह पूरे उत्तराखण्ड प्रदेश की क्षति है और इससे निश्चित रूप से एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनकी टिहरी रियासत के खिलाफ भी जन आंदोलनों में सहभागिता रही है, ऐसे संघर्षशील व्यक्ति और आंदोलनकारी व्यक्तित्व को खोकर निश्चित रूप से समाज अपने आपको असहाय महसूस कर रहा है। स्व0 रमोला जी का जन्म उस समय हुआ था जब टिहरी जनपद में राजशाही व्यवस्था थी और लोग पढ़ाई–लिखाई भी नहीं करा करते थे, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा टिहरी रियासत में रहते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करना निश्चित रूप से यह उनके लगन का द्योतक है। एक गरीब परिवार में पैदा होकर शिक्षा के क्षेत्र में उन तमाम टिहरी वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। जो लोग यह सोचते थे कि राजशाही के रहते हुए अपने बच्चों को शिक्षा देना सम्भव नहीं है। उनकी प्रेरणा से निश्चित रूप से टिहरी के वासियों को शिक्षा के क्षेत्र में भी एक प्रेरणा मिली। क्योंकि वे कॉंग्रेस के सदस्य रहे, यह तो निश्चित रूप से कॉंग्रेस परिवार की एक बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन यह पूरे उत्तराखण्ड की भी बहुत बड़ी क्षति है। मैं और मेरा दल आपके माध्यम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से उनके परिवार को इस अवसर पर सहानुभूति और श्रद्धांजलि देना चाहता है और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को, इस सदन की भावनाओं को उनके परिवार तक पहुँचा देंगे।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष से सम्बद्ध करता हूँ। स्वर्गीय श्री सूरत चन्द रमोला का जन्म 16 जून, 1926 को ग्राम–बर्योण गाँव, जनपद उत्तरकाशी में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री लाल चन्द रमोला था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा टिहरी में तथा मैट्रिक/हाई स्कूल की शिक्षा लाहौर से हुई। उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से स्नातक तथा एम0ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रहण की। उनका विवाह 18 मार्च, 1947 को श्रीमती सुशीला देवी के साथ हुआ। वे विद्यार्थी जीवन से कॉंग्रेस के सदस्य रहे तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के भी सदस्य रहे। अपने छात्र जीवन से ही श्री रमोला समाज सुधारक आन्दोलनों से जुड़े रहे। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने कन्या विक्रय प्रथा के विरूद्ध आन्दोलन किया व "कन्या विक्रय विरोधी संस्था" की स्थापना की तथा शराब विरोधी आन्दोलन में भी प्रभावी योगदान दिया। श्री रमोला टिहरी विधान सभा क्षेत्र से कॉंग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे तथा वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे। पेशे से वकील श्री रमोला की सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य के अतिरिक्त लॉन टैनिस खेलने में भी विशेष रूचि थी। 21 अक्टूबर, 2008 को श्री रमोला का देहरादून में स्वर्गवास हो गया। उनके परिवार में दो पुत्र व दो पुत्रियाँ हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं और मेरा दल चाहता है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष से बहुजन समाज पार्टी की संवेदना जोड़ते हुए उनके परिवार तक पहुँचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

कोई अन्य माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहता है ?

माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता बसपा द्वारा व्यक्त विचारों से मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। स्वर्गीय श्री सूरत चन्द रमोला जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनका जीवन हमेशा संघर्षों से जुड़ा रहा है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक लड़ाईयाँ लड़ी हैं, समाज से सम्बन्धित जो बुराईयाँ थीं उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और विशेष रूप से कन्या विक्रय विरोधी संस्था के नाम से संस्था की स्थापना कर एक महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र में दिया और इसके साथ–साथ विरोधी आन्दोलनों में भी भाग लेकर उन्होंने प्रयास किया कि शराब के विरोध में खड़े होकर समाज को नई दिशा दी जाय। छात्र जीवन से ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में संघर्षरत् रहने के साथ–साथ उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से स्नातक तथा एम0ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रहण की। उनका जन्म 16 जून, 1926 को हुआ और देहरादून में 21 अक्टूबर, 2008 को उनका निधन हुआ। वे उत्तर

प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य रहे और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के भी सदस्य रहे, आज वह हमारे बीच नहीं हैं। मैं अपनी ओर से, पूरे माननीय सदस्यों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उस दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। आप सभी की भावनाओं और प्रदेश की जनता की भावनाओं को मैं उनके परिवार के लोगों तक भिजवा दूँगा। अब हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे।

(दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सभी माननीय सदस्य दो मिनट मौन के लिए खड़े हुए)

नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय श्री तिलक राज बेहड़ तथा डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी की प्राप्त हुई है। मैं माननीय तिलक राज बेहड़ जी से निवेदन करूँगा कि वे अपनी बात को रखें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कल शिक्षा मित्रों पर लाठी चार्ज की घटना हुई है, पहले उस सूचना को ले लें क्योंकि यह तात्कालिक है।

श्री अध्यक्ष–

यदि सदन को आपत्ति न हो तो पहले आप ही अपनी बात को कह सकते हैं। ठीक है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने प्रदेश की महत्वपूर्ण समस्या पर उनके तात्कालिक स्वरूप को देखते हुए नियम–310 में चर्चा स्वीकार की है।

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुःखी मन से बड़ी वेदना के साथ आज हमें यहाँ खड़े होकर कहना पड़ रहा है और अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अंग्रेजों का यह शासनकाल जब देश, भारत माँ गुलामी की जंजीरों में जकड़ी थी, और हम हिन्दुस्तानी इस भारत माँ को आजाद कराने के लिए लाठी, डण्डे और गोलियाँ खा रहे थे। भारत माता के लिए शहीद हो रहे थे। इतिहास में एक काला अध्याय यह भी देखने को मिलता है कि जनरल डायर ने निहत्थे हिन्दुस्तानियों पर, जो देश की आजादी के लिए भारत माँ की जय करते

हुए अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के आग्रह पर आन्दोलनरत् थे और आन्दोलन कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप दो मिनट सुन करके चले जाना, ये मेरा निवेदन है। मुझे लगता है जब मैं जनरल की बात करने लगा जनरल साहब उठके जाने लगे । (हँसी)

मुख्यमंत्री [मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी] –

मान्यवर, जनरल बात कर रहे थे या जनरल की। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अगर जनरल डायर की आत्मा कहीं से देख रही होगी (हँसी) तो निश्चित रूप से जनरल खण्डूड़ी की, कल जो शिक्षा मित्रों पर लाठी चार्ज हुआ है और हमारी बहिनों को घसीट कर पीटा गया है, तो जनरल डायर की आत्मा जनरल खण्डूड़ी के शासनकाल से दुःखी होगी, रो रही होगी कि ये मुझसे भी ज्यादा हिंसक या मुझसे भी ज्यादा खतरनाक (हँसी) उत्तराखण्ड देव भूमि में कौन पैदा हो गया होगा।

पेयजल एवं सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष को ग्राह्यता पर बोलना चाहिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं अपना दुर्भाग्य समझूं या सौभाग्य। ये सौभाग्य से मेरे बड़े भाई हो गये और बार–बार मुझे शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। (व्यवधान) ये मेरे अधिकारों पर अतिक्रमण करते हैं माननीय अध्यक्ष जी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अतिक्रमण नहीं करता हूँ बल्कि अच्छी सीख देता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अच्छी सीख आप माननीय जनरल साहब को भी दे दें। माननीय अध्यक्ष जी, जो कल की घटना हुई है, यह निश्चित रूप से उत्तराखण्ड के इतिहास में शर्मनाक घटना है और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब–जब ये सरकार आती है मुझे याद है कि 2001 में इन्ही की सरकार थी और यही शिक्षक थे उत्तराखण्ड प्रदेश में, जब अपनी बात को उत्तराखण्ड विधान सभा के, इसे सर्वोच्च सदन कहते हैं, यह लोकतंत्र का मंदिर है, इस मंदिर में जब अपनी बात को कहने के लिए आना चाहते थे, तो इसी सरकार ने इस प्रदेश के शिक्षकों पर, शिक्षक बहिनों पर लाठी चार्ज किया। इस आक्रोश के कारण इस सरकार को 2002 में जाना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, कल शिक्षा मित्र जो हमारी देन नहीं हैं, इसी सरकार की देन हैं। इन्होंने ही ये व्यवस्था दी थी 2001 में। शिक्षा में दिहाड़ी

शिक्षा, शिक्षा बन्धुओं, शिक्षा मित्र और शिक्षा आचार्य। हमने तो यह सब ठेकेदारी व्यवस्था में सुना था। लेकिन शिक्षा व्यवस्था का ठेकेदारीकरण भी इस सरकार ने किया था। जब आज 4500 हजार से भी ज्यादा शिक्षक, मेरी शिक्षक बहिनें, बेटियाँ पूरे प्रदेश के पिथौरागढ़ से, धारचूला से, जोशीमठ से और प्रदेश के कोने-कोने से अपनी बात कहने के लिए लोकतान्त्रिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके, किसकी सरकार ? जनरल खण्डूड़ी की सरकार के कानों में उनकी आवाज पहुँच सके, उनकी पीड़ा देखकर मा० मुख्यमंत्री खण्डूड़ी जी की सरकार का दिल पसीज सके, वह उनकी पीड़ा को देख सके लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, उनको नहीं मालूम था। उनके माता-पिता हमको फोन कर रहे हैं कि हमें नहीं मालूम था कि मैंने अपने बेटे और बेटियों को खण्डूड़ी सरकार की लाठियाँ खाने के लिए भेजा था। हमने सोचा था कि जब उत्तराखण्ड का आंदोलन चल रहा था, हमने कहा था हमारा अपना राज्य होगा, हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा, हमारे अपने विधायक होंगे, हमारे अपने मंत्री होंगे। हम अपनी बात को अपने मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों से कह सकते हैं और वे हमारी पीड़ा को समझते हुए उसका समाधान करेंगे। लेकिन यह कैसा दुर्भाग्य हो गया है। हमारा अपना प्रदेश है।

आज पूरे हिन्दुस्तान की जनता हम उत्तराखण्डियों पर हँसेगी मान्यवर, कि तुम उत्तराखण्डी कहते थे कि लखनऊ में हमारी सरकार में हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं होता है। जब हम लखनऊ की तपती गर्मी में जाते हैं तो एक तरफ गर्मी की मार हमको सहन करनी पड़ती है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार की लाठियाँ हमको सहन करनी पड़ती हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, क्या इस उत्तराखण्ड का यह दुर्भाग्य है कि हमने उत्तराखण्ड बनाया है। इसलिए बनाया था कि हमारी बात को सुना जायेगा, उसका समाधान निकलेगा, वार्ता होगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह कल मुख्यमंत्री जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उन पर लाठीचार्ज हुआ। मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा मुख्यमंत्री जी, ये क्या हो रहा है आपके शासन काल में ? मुख्यमंत्री जी ने अनभिज्ञता जाहिर करी कि मैं पता करवाता हूँ कि क्या हुआ है ? यह कैसी सरकार चल रही है माननीय अध्यक्ष जी। लाठीचार्ज हो गया, घायल हो गई बहनें। मैं जब मौके पर गया और उनकी स्थिति को मैंने देखा तो मैंने वहीं घोषणा की बिना अपने विधायकों से पूछे हुए कि लोकतंत्र की हत्या इस सदन के अन्दर हुई। उत्तराखण्ड के किसानों की समस्याओं को लेकर, उत्तराखण्ड की महिला, अल्पसंख्यक, युवाओं की समस्याओं को लेकर, शिक्षकों की समस्याओं को लेकर जब सरकार ने गम्भीरता से नहीं सुना तो हमने मजबूर होकर सदन का बहिष्कार किया। जब ऐसे सदन में जिस सदन में प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा नहीं होती है, सरकार गम्भीरता के बजाय हँसी में हमारी बात को उड़ा देना चाहती है।

वन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर कोई जनसभा तो हो नहीं रही।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, उनकी पीड़ा को, ये हरक सिंह रावत की पीड़ा नहीं है, यह विपक्ष की पीड़ा नहीं है उन हजारों नौजवानों की पीड़ा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरक सिंह जी, कृपया ग्राह्यता पर बोलें। आप अपने आप को सीमित करिये। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी मैं ग्राह्यता पर बोल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी यह विषय इतना महत्वपूर्ण है, इतना गम्भीर है। क्या सत्तापक्ष के लोग उसकी गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात को सीमित करिये।

डा0 हरक सिंह रावत–

मैं सीमित कर रहा हूँ लेकिन मुझे पूरी बात कहने का अधिकार है। इस प्रदेश की जनता ने हमको यहाँ पर इसलिए भेजा है कि हम उनकी पीड़ा को, उनके आक्रोश के शब्द यहाँ पर दे सकें। अभिव्यक्ति कर सकें। जो हमारे शब्द निकल रहे हैं ये हरक सिंह रावत के शब्द नहीं हैं, यह उत्तराखण्ड की उस जनता की पीड़ा की अभिव्यक्ति है यहाँ पर। उसकी अभिव्यक्ति हँसी–मजाक में नहीं हो सकती है। उसकी अभिव्यक्ति आक्रोश में ही हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि हमने उत्तराखण्ड की जनता के लिए सदन का बहिष्कार किया है। लेकिन हरक सिंह रावत का कोई मान और सम्मान नहीं है, विधायकों का कोई मान और सम्मान नहीं है, अब प्रदेश की जनता का मान और सम्मान, प्रदेश के शिक्षकों का मान और सम्मान, प्रदेश के नौजवानों का मान और सम्मान, प्रदेश की माताओं और बहनों का मान और सम्मान, प्रदेश के अल्पसंख्यक भाईयों का मान और सम्मान हमारे लिये सर्वोपरि है। हमने कहा था कि जब तक सम्मानजनक समझौता नहीं होगा तब तक हम सदन के अन्दर नहीं जायेंगे। लेकिन हमारे शिक्षकों की पीड़ा को देखते हुए वहीं पर घोषणा की कि हम आपकी पीड़ा की आवाज को उठाने के लिए, आपके दुःख दर्द को अभिव्यक्ति देने के लिए, शब्द देने के लिए सदन में जायेंगे और इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सदन में आये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उन शिक्षा मित्रों की इस सरकार से सिर्फ एक सूत्रीय माँग थी, सरकार को कई बार ज्ञापन दिया, पिछले 2 वर्षों से लगातार अपनी माँगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से, प्रदर्शन

के माध्यम से, कभी विधायकों के माध्यम से, कभी अधिकारियों के माध्यम से। कभी माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अपनी बात कही, लेकिन इस सरकार में 2 वर्ष में इस समस्या का समाधान तो दूर रहा उनकी बात को ठीक से सुना भी नहीं गया और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग की लड़कियों के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, मैंने फोन किया कि यह हमारे बेटियाँ–बेटे हैं, ठंड में बैठे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है हम उनके गार्जियन हैं, उनकी बात को सुना जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छे शब्द व्यक्त किये कि हम भी चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह सरकार माननीय मुख्यमंत्री संचालित नहीं कर रहे हैं, यह अधिकारी, ब्यूरोकेट्स सरकार चला रहे हैं।

जब हम पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात से सहमत होते प्रतीत होते हैं और जब दूसरी बार वार्ता करते हैं तो अधिकारी न जाने कौन सी घुट्टी पिला देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी फिर अधिकारियों की भाषा बोलने लगते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज यह जो सड़कों पर हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आप डिफेन्स कॉलोनी की तरफ जाकर देखेंगे, जोगीवाला की तरफ देखेंगे तो हजारों महिलायें, कर्मचारी, शिक्षक सड़कों पर दिखाई देंगे, छोटे–छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए दिखाई देंगे, क्या इसके लिए हमने उत्तराखण्ड बनाया था ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से 2 बिन्दु कहना चाहता हूँ एक तो जिन लोगों ने उन बहनों–बेटियों पर उन शिक्षक मित्रों पर लाठी चार्ज किया है, जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, सरकार को मैजिस्ट्रेट जाँच करनी चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से मैजिस्ट्रेट जाँच की माँग करना चाहता हूँ और दूसरी बात जो घायल हैं उनका निःशुल्क उपचार होना चाहिए, घायलों को मुआवजा भी सरकार की ओर से मिलना चाहिए और तीसरी महत्वपूर्ण माँग यह है कि अपने नियमितिकरण की माँग को लेकर जिन पर लाठी चार्ज हुआ है, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछले 5–6 वर्षों से, 7–8 वर्षों से हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम उन्होंने किया है, उनके पढ़ाये हुए बच्चे आज हाई स्कूल तथा इण्टर में आ गये, अगर वे अयोग्य हैं तो क्या 7–8 वर्षों तक हमने उत्तराखण्ड की भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ किया है ? अगर अयोग्य हैं तो 7–8 वर्षों तक जो शिक्षा मित्र के रूप में हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम उन्होंने किया है तो ऐसे अयोग्य शिक्षकों के हाथों में हमने अपने नौनिहालों का भविष्य सौंपा था ?

मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, मेरा नेता प्रतिपक्ष से नम्र निवेदन है कि मैं समझता हूँ कि भावनाओं से कुछ बातें जुड़ी हैं, कुछ राजनीतिक वक्तव्य भी देने होते हैं, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग भी पाँच साल सरकार में रहे हैं, इस प्रकार की कोई ऐसी बात न कहें, जोकि सम्भव नहीं है। आप भी नहीं कर सकें, हम भी शायद नहीं कर पायेंगे।

उस प्रकार की बातें शायद हम यहाँ पर कहेंगे तो भावनाएं भड़केंगी। आपने एन0टी0टी0 की बात कही है और चर्चा का जवाब सरकार बाद में देगी। मैंने उनसे सात बार बात की है और अगर आप इसमें अलग बैठकर इसका समाधान निकालेंगे, जोकि सम्भव है, तो मैं उसे करने को तैयार हूँ। लेकिन कुछ जवाब ऐसे हैं, जिससे, आप भावनाओं में यहाँ पर भाषण देंगे तो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप जिम्मेदार आदमी हैं।, जिम्मेदार पद ले रहे हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप उसी प्रकार की बात कहें, जो करने योग्य हो। अभी आप कह रहे हैं सात साल तक हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे, यह संदेश अच्छा नहीं जायेगा। मान्यवर, पाँच साल पहले आपने खिलवाड़ किया है। (व्यवधान) मान्यवर, मेरी आप से करबद्ध प्रार्थना है कृपया जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर वक्तव्य देना चाहिए। जो कुछ हम कहते हैं उसका प्रभाव बाहर होता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि 7–8 साल से ये शिक्षा मित्र हमारे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल कांग्रेस का, भाजपा का, बहुजन समाज पार्टी का और यू0के0डी0 का नहीं है। सवाल इस बात का है कि पिछले 7–8 वर्षों से ये नौजवान हमारे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर 7–8 वर्षों से इन्होंने शिक्षक के रूप में हमारे बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया है तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये योग्य हैं। अगर कोई कमी है, मृतक आश्रित के रूप में प्राथमिक विद्यालय में इण्टर पास लड़का शिक्षक लग जाता है इसकी व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में भी थी, उत्तराखण्ड में भी है, उसके बाद उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। सर्विस के दौरान उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। मान्यवर, कभी तीन साल बाद, कभी पाँच साल बाद, बीच में प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है और उसको नियमित नौकरी पहले ही दी जाती है। तो क्या सरकार उसी तरह का रास्ता नहीं निकाल सकती है ? मान्यवर, ये छात्र इण्टर हैं, अगर प्रशिक्षित नहीं हैं तो जिस तरह से मृतक आश्रितों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है, उसी तरह की व्यवस्था करके मैं माननीय मुख्यमंत्री खण्डूड़ी जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि बार–बार यह कह कर कि पाँच साल आप सरकार में रहे। मान्यवर, जब आप शुरू–शुरू में आये थे, तो तब तो बात समझ में आती थी कि आप ये कहें कि रावत जी, हम तो अभी–अभी आये हैं। लेकिन अब तो आपको दो साल हो गये हैं। पिछले पाँच साल का रोना रोकर आप अपनी जिम्मेदारी को नकार नहीं सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित करें। आपको अग्रेत दी गयी है। अभी और माननीय सदस्यों को भी अपने विचार व्यक्त करने हैं। आप विषय पर बात करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यदि कोई चीज पाँच साल में नहीं हुई है तो क्या दो साल में नहीं हो सकती है ? क्या कभी समस्या का समाधान होगा ही नहीं ? इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सदन को कितनी गम्भीरता से ले रहे हैं। इस समय सदन में नेता सदन नहीं हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं हैं। इतनी बड़ी ज्वलन्त समस्या पर चर्चा चल रही है।

श्री अध्यक्ष–

अन्य माननीय मंत्रीगण मौजूद हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इसलिए मैंने तीन बिन्दुओं पर कि इसकी मजिस्ट्रेट जाँच होनी चाहिए।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेता सदन और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शिक्षा मंत्री जी उपस्थित हैं।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में आ गये)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मजिस्ट्रेट जाँच होनी चाहिए, निःशुल्क चिकित्सा होनी चाहिए, इन शिक्षा मित्रों को नियमित करने की सदन में घोषणा होनी चाहिए। इन तीन बिन्दुओं को रखकर मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने शिक्षा मित्रों की पीड़ा को समझते हुए 310 की ग्राहयता पर सुनने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, शिक्षा मित्रों की जो यह तात्कालिक समस्या है, इस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्र पिछले 7–8 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन इण्टरमीडिएट है। यदि उनको प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, उनको सेवा काल के दौरान भी प्रशिक्षित किया जा सकता है, विशिष्ट बी0टी0सी0 की तर्ज पर और इस सेवा काल में भी बार–बार 6 महीने, साल भर में विभाग की ओर से उनको प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। वैसे भी 7–8 वर्षों के अनुभव से और कभी 15

दिन का, कभी एक महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करके भी ये प्रशिक्षित हो चुके हैं। चूँकि उनकी आवश्यकता भी है और जहाँ तक बजट का सवाल है, सर्व शिक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त बजट मिल रहा है। बजट की भी कोई समस्या राज्य सरकार के पास नहीं है। बहुत जेनुइन उनकी माँग है आवश्यकता भी है और पद भी रिक्त हैं, इसलिए शिक्षा मित्रों को ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिला शिक्षा समितियों द्वारा उनको अनुमोदित किया गया है। इस प्रकार पद भी रिक्त हैं और पढ़ाने वाले भी उपलब्ध हैं, आवश्यकता भी है और केन्द्र सरकार का बजट भी उपलब्ध है, तो क्यों नहीं उनको विनियमित किया जाता है ? दूसरा, मान्यवर, उनको रोजी–रोटी देने के स्थान पर, मान–सम्मान देने के स्थान पर उन पर जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया वह निश्चित रूप से उत्तराखण्ड की परम्परा के विरूद्ध है। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, जहाँ पर शिक्षकों का सम्मान होता है, वहाँ पर उनको रोजी–रोटी दिये जाने के स्थान पर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाना, उनका अपमान किया जाना घोर निन्दनीय कृत्य है, इसके लिए जो भी दोषी हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं इस विषय पर दो मिनट बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना में आपका नाम नहीं है।

***श्री मनोज तिवारी–**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात रखने से पहले मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्य ने यहाँ पर जो अपने वक्तव्य दिये, उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कल जिस तरह से शिक्षा मित्र, जो अपनी माँगों को लेकर एक लोकतांत्रिक परम्परा के तहत आन्दोलनरत थे और इस प्रदेश सरकार के संरक्षण में उन शिक्षा मित्रों और उन शिक्षा आचार्यों पर जिस तरह से बर्बतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, निश्चित रूप से उससे पूरा जन मानस, पूरे प्रदेश की जनता आज दुःखी है और हम सब जानते हैं कि इस उत्तराखण्ड राज्य का गठन किन भावनाओं को लेकर हुआ था। इस बात को यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वानजन जानते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखण्ड की इस धरती को संस्कृति के क्षेत्र में पूरे देश में जाना जाता है और उस उत्तराखण्ड की धरती की संस्कृति में जो शिक्षा मित्र, जो शिक्षा आचार्य अपनी हक की लड़ाई के लिए, जायज माँगों के लिए आन्दोलनरत थे। उन पर इस प्रदेश सरकार के संरक्षण में पुलिस महकमें ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया, जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया, यह बहुत ही अशोभनीय है। हम सब जानते हैं कि शिक्षक पूरे समाज को एक दपर्ण देता है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बात को हम सब जानते हैं और जगह–जगह इस बात का उल्लेख भी करते हैं कि शिक्षक हमारे अभिभावक के रूप में होता है और शिक्षक हमारे गुरूजन के रूप में होता है और वह समाज को एक दिशा देने का कार्य करता है। लेकिन एक शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय, जो सुदूरवर्ती इलाकों में एकल विद्यालय चल रहे हैं या जिन पर ताला लगा है और इस बात को चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों या माननीय मंत्रीगण हों या हम सब प्रतिपक्ष के सभी सहयोगी हों। हम सब लगातार इस बात को कहते आये हैं कि उन विद्यालयों में, जो एकल विद्यालय हैं या जिन विद्यालयों में ताला लगा हुआ है, वहाँ पर शिक्षा मित्र की नियुक्ति पूर्ववर्ती सरकार ने की है, उनका मानदेय पिछली सरकार ने लगातार बढ़ाया था।

अगर वह शिक्षक अपने नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, तदर्थ नियुक्ति की बात कर रहे हैं, तो क्या सरकार उनको न्यायोचित मानती है, या सरकार जो इस तरह से कृत्य कर रही है, उससे क्या संदेश हमारी इस उत्तराखण्ड की धरती से देश को देना चाहती है ? इस बात को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो शिक्षक समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं, ऐसे शिक्षकों पर, ऐसे आचार्यों पर और ऐसे अनुदेशकों पर जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, उसे एक काले अध्याय के रूप में निश्चित रूप से यहाँ पर जोड़ा जायेगा। मैं आपके संरक्षण के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो बात माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कही, माननीय सदस्य ने कही और मेरे द्वारा यहाँ पर व्यक्त की गई है, इसको आप गम्भीरता से लेंगे और जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, उस पुलिस महकमे के खिलाफ निश्चित रूप से न्यायिक जाँच करके कार्यवाही की जाय। सरकार को आपके दिशा निर्देशानुसार कुछ न कुछ इसमें सकारात्मक पहल किये जाने की आवश्यकता है, यह हम आपसे अनुरोध करते हैं और पुनः आपको और पीठ को नमन करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

सभी बातें विस्तार से आ चुकी हैं।

श्री शहजाद–

मान्यवर, अपने दल की ओर से मैं भी कुछ बातें रखना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना में आपका नाम नहीं है, लेकिन इससे सम्बन्धित कोई नई चीज आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिये।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद, मैं अपने आप को माननीय नेता प्रतिपक्ष से सम्बद्ध करते हुए जो कल की घटना है, शिक्षा मित्र जो प्रदेश के कोने–कोने से आये हैं, जिस

लिहाज से उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, वह वाकई अशोभनीय है, निंदनीय है। मान्यवर, पिछले विधान सभा सत्र में भी वह किसी माननीय मंत्री के घर अपनी फरियाद लेकर गये थे, वहाँ भी उन पर लाठीचार्ज कराते हुए जेल में ठूँसने का कार्य किया था। मान्यवर, सरकार बी0जे0पी0 की रही हो, कॉंग्रेस की रही हो, आज फिर बी0जे0पी0 की सरकार है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो स्थितियाँ पैदा की जा रही हैं उससे इस प्रदेश की जनता का इस मंत्रि परिषद् से विश्वास उठ रहा है। आप देख रहे हैं कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट, जितने भी जनआन्दोलनकारी संस्थायें हैं, आज पूरी की पूरी, कहीं न कहीं सड़क पर हैं, आन्दोलनरत हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो 4,500 शिक्षा मित्र हैं, उन्हें विशेष पैकेज देते हुए उनका नियमितीकरण करे और उनको स्कूलों में पक्की नौकरी देने का काम करे। इससे उनका सम्मान भी रहेगा और इस प्रदेश में शांति भी रहेगी। जो माँग माननीय नेता प्रतिपक्ष ने की है, वह जायज है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ और एक बार फिर से सरकार से निवेदन करूँगा कि उन्हें विशेष पैकेज के अन्तर्गत नियमित किया जाय। उसके बाद हम सरकार का धन्यवाद भी करेंगे और बधाई भी देंगे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, इस सूचना में दो बिन्दु हैं, पहला बिन्दु लाठीचार्ज से सम्बन्धित है, उसका उत्तर निश्चित रूप से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को देना चाहिये और शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण से सम्बन्धित सूचना पर माननीय शिक्षा मंत्री जी को उत्तर देना चाहिये।

श्री नारायण पाल--

माननीय अध्यक्ष जी, इस सूचना पर कई और लोगों के भी हस्ताक्षर थे, इसे आप देख लीजिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)--

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि जिस महत्वपूर्ण घटना की ओर माननीय नेता प्रतिपक्ष, और माननीय श्री केदार सिंह रावत, माननीय श्री मनोज तिवारी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना माननीय नारायण पाल जी की भी इसी सम्बन्ध में है।

श्री नारायण पाल--

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम कल जो घटनाक्रम हुआ है, उसकी जाँच की माँग करते हैं, दूसरा उनके नियमितीकरण का मामला लम्बित

है, जिस पर बहुत ज्यादा वाद–विवाद हो चुका है, कई बार वे पिट भी चुके हैं तो मैं उनके नियमितीकरण और इस घटना की जाँच की माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा, तथा श्री मनोज तिवारी, श्री केदार सिंह रावत, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री नारायण पाल माननीय सदस्यगणों की हस्ताक्षरयुक्त यह नियम–310 के अन्तर्गत सूचना है, जिसे आपने ग्राह्यता पर सुना। इसके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित किया गया। श्रीमन्, यह घटना जो कल विधान सभा सत्र के दौरान घटित हुई और उस घटना की जानकारी प्राप्त होते ही श्रीमन्, इसके सम्पूर्ण विवरण को मँगाया गया और जो जानकारी मेरे सामने उपस्थित हुई है और जिस घटना का विवरण प्रतिपक्ष के नेतागणों ने किया है श्रीमन्, वह घटना इस प्रकार हुई कि 16–12–2008 को डिफेन्स कालोनी की ओर से शिक्षा आचार्य और शिक्षा मित्रों का धरना चल रहा है। उस धरना स्थल पर पहले से ही शिक्षा मित्र और शिक्षा आचार्य एकत्रित थे। श्रीमन्, दोपहर लगभग 1:25 पर ये सभी आन्दोलनकारी विधान सभा की ओर कूच करने के लिए बढ़े और इनको डिफेन्स कालोनी की ओर जो बैरियर है, उस बैरियर पर वहाँ उपस्थित पुलिस बल के द्वारा उन्हें समझाया–बुझाया गया और रोकने का प्रयास किया गया। क्योंकि इस बात को हम सभी लोग स्वीकार कर सकते हैं कि विधान सभा भवन के अन्दर किसी का भी अनाधिकृत प्रवेश वर्जित होता है।

इसके आदेश विधान सभा सत्र के दौरान आपके माध्यम से भी ये व्यवस्था संचालित करने के लिए दिये जाते हैं। और अगर उसमें कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अचानक प्रवेश करने का प्रयास करे तो आखिर कानून–व्यवस्था किस तरह से बन पायेगी। लेकिन समझाने–बुझाने के दौरान भी उनके माध्यम से श्रीमन्, हमारे वहाँ उपस्थित अधिकारियों द्वारा कहा गया कि आपको जो बात कहनी है, उस बात को हम आप तक पहुँचा देते हैं। विधान सभा सदन तक पहुँचा देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि सम्भवतया इस घटना के पीछे कहीं यह भी रिफलेक्ट हो रहा है कि सम्पूर्ण प्रतिपक्ष ने सम्भवतया विधान सभा भवन के अन्दर आने का निर्णय नहीं लिया था और मान्यवर, उन्होंने अपना ज्ञापन सीधे विधान सभा तक पहुँचाने का निर्णय ले लिया हो ऐसा भी सम्भवतया इसके पीछे रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन जब वहाँ पर उपस्थित हमारे उप जिलाधिकारी चकराता जो ड्यूटी पर थे उन्होंने ज्ञापन लेने की बात कही तो उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हम आपको ज्ञापन नहीं देंगे और वह वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के साथ धक्का–मुक्की करने लगे और इसी धक्का–मुक्की के दौरान एक आन्दोलनकारी ने बैनर पकड़ करके हमारे मैजिस्ट्रेट की ओर फेंका और इसके पश्चात् वह पूरी तरह से बैरियर को, अवरोध को तोड़ते हुए अन्दर घुस गये और इस दौरान उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाडी के माध्यम

से पानी की बौछार करके उनको रोकने का प्रयास किया और उनके माध्यम से फायर ब्रिगेड की गाडी को भी नुकसान हुआ, एक वाहन टूट गया। मैं पूरे घटनाक्रम के चित्र आपके संज्ञानार्थ लाया हूँ। इन चित्रों में किस प्रकार बैरीकेटिंग को तोड़करके विधान सभा भवन की ओर प्रवेश करने का प्रयास किया, इसका पूरा उल्लेख है। श्रीमन्, मैं आपके संज्ञानार्थ इसे पेश कर रहा हूँ।

*श्री करन मेहरा–

मान्यवर, आज के समाचार–पत्र के मुख्य पृष्ठ पर चित्र है जिसमें एक पुलिस कर्मी महिला का गला पकडे हुए है, उसको भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जब विधान सभा भवन के अन्दर प्रवेश करने का प्रयास उनके माध्यम से होने लगा तो मजबूरन पुलिस को उनको रोकना पड़ा, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। इस विषय को मैं कहना चाहूँगा कि इस बात का प्रमाण, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और माननीय नेतागणों ने अपनी नोटिस दी है, उस नोटिस में आपने लिखा है कि लाठी चार्ज और पानी की बौछार और आँसू गैस का प्रयोग करते हुए दो दर्जन से अधिक शिक्षा मित्रों को गम्भीर चोटें आयीं। श्रीमन्, जब मैंने आपकी नोटिस पढ़ी तो तत्काल यह सूचना मँगाई कि आखिर इस राजधानी के अन्दर किसी भी जिला अस्पताल में और किसी भी अस्पताल में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका पक्ष भी विस्तार से आया है।

*श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, अस्पताल में आन्दोलनकारी थे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को जो रिपोर्ट सौंपी गई शायद उसको ही आपने मान लिया। माननीय अध्यक्ष जी, हम मौके पर गये थे, जिला चिकित्सालय में आर्य जी, बेहड़ जी और हमारे कई साथी गये थे, जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली कि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हॉस्पिटल से घायल शिक्षा मित्रों को वहाँ से तत्काल हटाया गया। कम से कम इतना बड़ा सफेद झूठ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अगर आपके पास किसी का नाम और पता है तो दे दीजिए।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हम बिल्कुल दिला देंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना मेरे माध्यम से एकत्र की गई, सभी अस्पतालों में हमने दिखवाया, केवल चार.... (व्यवधान)

*श्री तिलक राज बेहड–

मान्यवर, मैं स्वयं वहाँ पर मौजूद था, हमारे सामने पुलिस ने उन्हें जबरन उठाया और गाड़ी में डाला गया, उनका मेडिकल नहीं होने दिया।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, सफेद झूठ शब्द बोला गया है, यह असंसदीय भाषा है, इसे कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस पूरे घटना क्रम में केवल चार व्यक्तियों का मेडिकल करवाया गया है, उनमें से एक मिसेज अनीता, उम्र 31 वर्ष, श्री पीताम्बर पाण्डेय, उम्र 25 वर्ष, श्री सूर्य सिंह पवार, उम्र 32 वर्ष, श्री चन्दन कुन्द्रा, उम्र 26 वर्ष इनको गम्भीर चोट होने का कोई भी प्रमाण मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया है। लेकिन उनके बावजूद भी चूँकि विषय की गम्भीरता को स्वीकार करते हुए तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही इसकी मैजिस्ट्रेट जाँच आदेश निर्गत कर दिये और यह मैजिस्ट्रेट जाँच के आदेश जिलाधिकारी के माध्यम से निर्गत हुए हैं। उसमें यह कहा है कि आज दिनांक 16–12–2008 को विधान सभा सत्र के दौरान शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी माँगों को लेकर धरना–प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की घटना घटित हुई। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, सारी की सारी मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाई गई है तो मैजिस्ट्रेट जाँच क्या होगी। मान्यवर, इसकी तो न्यायिक जाँच होनी चाहिए। वही रिपोर्ट पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैजिस्ट्रेट जाँच की माँग की गई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, लाठी चार्ज की घटना घटित होने की सूचना प्राप्त हुई और यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस घटना की कारणों के विस्तृत जाँच मैजिस्ट्रेट द्वारा कराई जाए ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सके। अतएव जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा इस घटना के लिए श्री विनोद कुमार सुमन, अपर जिला मैजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व को जाँच मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है और इसको समयबद्ध भी कर दिया गया है। इसके लिए 10 दिन का समय नियत किया गया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा तीन माँगें यहाँ पर प्रस्तुत की गईं, उन माँगों के सम्बन्ध में मुझे बताने दिया जाए। जो माँगें आपके माध्यम से प्रस्तुत की गई उस सम्बन्ध में मैं सरकार का पक्ष बता रहा हूँ। विपक्ष ने मैजिस्ट्रेट जाँच की माँग की है और मैंने अवगत करा दिया कि मैजिस्ट्रेट जाँच निर्धारित की है। जहाँ तक निःशुल्क उपचार की बात है तो उनका उपचार किया जा रहा है। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने मैजिस्ट्रेट जाँच की माँग की है तो उसकी जाँच कराई जा रही है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने सम्बोधन में मैजिस्ट्रेट जाँच की माँग की थी लेकिन जिस तरह से सरकार के पास रिपोर्ट आई है और चार घण्टे के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लाठी चार्ज की जानकारी नहीं थी तो निश्चित रूप से मैजिस्ट्रेट जाँच में संदेह होता है और मैं अपना संशोधन करता हूँ कि उसकी न्यायिक जाँच कराई जाए।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

अभी आपने मैजिस्ट्रेट जाँच की माँग की थी।

डा0 हरक सिंह रावत–

कोई पत्थर की लकीर थोड़े ही हो गई भइया। सरकार अगर पाक–साफ है और वास्तव में न्याय दिलाना चाहती है, निष्पक्षता रखना चाहती है तो मान्यवर, सरकार को इसकी न्यायिक जाँच करानी चाहिए।

*गन्ना एवं शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा मित्रों के बारे में नियम–310 के अन्तर्गत माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा, माननीय श्री केदार सिंह रावत और माननीय श्री मनोज तिवारी जी ने इस विषय को दो रूप में नियम–310 के अन्तर्गत लिया है। इसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया है दूसरी, शिक्षा मित्रों को जो अप्रशिक्षित वेतनमान की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय विधायकगणों ने कही है। मान्यवर, निश्चित रूप से 2001 में प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा है उसके सार्वभौमीकरण और पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम स्थानों पर जहाँ अध्यापकों की कमी थी, उस सम्बन्ध में एक शासनादेश जारी किया गया और उस शासनादेश के अन्तर्गत जनपद स्तर पर एक समिति का गठन और प्राथमिक विद्यालयों का चिन्हांकन और उसके बाद यदि जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ब्लॉक में नहीं है तो तहसील स्तर पर और उसकी पूरी प्रक्रिया के अन्तर्गत उनका चयन किया जाता है और इस चयन में वर्तमान में प्रदेश के अन्दर जो शिक्षा मित्र हैं, उसकी संख्या 3967 है। उसमें माननीय अध्यक्ष जी, 92 हाई स्कूल के हैं, 900 इण्टरमीडिएट के हैं, 2168 स्नातक के हैं, 807 स्नातकोत्तर के हैं। इन शिक्षा मित्रों को वर्तमान में 6 हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है। शिक्षा सत्र में 10 दिन का अवकाश की सुविधा इनको दी जा रही है। महिला शिक्षक मित्रों को एक महीने का प्रसव अवकाश दिया जाता है। शिक्षा मित्रों को मानदेय व्यक्तिगत खातों के माध्यम से दिया जाता है। निश्चित रूप से यह 2001 के बाद जब सरकार का पहला आम चुनाव हुआ और उसका गठन हुआ। जितनी गम्भीरता इस विषय पर आज है यदि उमा देवी प्रकरण से पहले इसका निपटारा हो जाता तो निश्चित रूप से आज यह समस्या उत्पन्न नहीं होती।

मान्यवर, हम लोगों ने जब शिक्षा मित्रों के सारे विषयों को जाना और समझा और उसके बाद एक समिति का गठन किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरे देश के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था किस–किस राज्य में है और उस व्यवस्था में किस प्रकार से शिक्षा मित्रों को क्या–क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं और किस प्रकार से उनकी व्यवस्था की जा रही है, उस बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की गयी। मान्यवर, मध्य प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था पूर्व में लागू है और वहाँ पर इस प्रकार के शिक्षा मित्रों को 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 3000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में 5000 रुपये और राजस्थान में 4500 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमारे प्रदेश में जो 2500 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाता था, वह हमारी सरकार ने किया है। (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

वर्तमान की स्थिति को बतायें। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसका अध्ययन इसलिए कराया गया कि अन्य राज्यों में जो शिक्षा मित्रों की व्यवस्था है, सरकार वर्तमान में क्या–क्या व्यवस्था अपने वहाँ कर रही है ? उस आधार पर हम लोग भी कोई निर्णय लेंगे। मान्यवर, इस सरकार के गठन से पूर्व दिनांक 10–04–2006 को सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय उमा देवी बनाम कर्नाटक आया। उसके आधार पर उनको नियमितीकरण किया जाना न्याय विभाग और कार्मिक विभाग द्वारा जब इसकी जाँच करायी गयी, तो यह सारा हवाला देते हुए इस आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकी। तथापि मान्यवर, सरकार ने, जो सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष ने दी, 21 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक बैठक हुई उसमें सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि राज्य की क्या व्यवस्था है ? उस आधार पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित हो। मान्यवर, आने वाली 18 तारीख यानी कल एक बैठक पहले से ही तय हो गयी थी जिसमें वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, शिक्षा विभाग ये जो सारी रिपोर्ट राज्यों से प्राप्त हुई है उसके आधार पर शिक्षा मित्रों को किस प्रकार लाभ दिया जा सकता है और किस प्रकार उनकी माँगों को मानने की प्रक्रिया बढ़ाई जा सकती है। इस बारे में बैठक पहले से ही की जानी प्रस्तावित है। मान्यवर, सारे राज्यों की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर और कल होने वाली बैठक के आधार पर कोई अग्रिम निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय श्री केदार सिंह रावत, माननीय श्री मनोज तिवारी, माननीय श्री शहजाद, माननीय श्री नारायण पाल तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी की बात को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (घोर व्यवधान के मध्य) अगली सूचना जनपद ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर क्षेत्र के अन्तर्गत पटाखों की दुकान में आग लगने के सम्बन्ध में है जो माननीय तिलक राज बेहड़ की है। (तत्पश्चात नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का परित्याग कर चले गये एवं कुछ देर पश्चात ही सभी माननीय सदस्यगण अपने आसन पर वापस आ गए।)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश का दीपावली का त्यौहार मुख्य रूप से हमारे देश के अन्दर मनाया जाता है और दीपावली जैसे त्यौहार पर छोटे–छोटे कारोबार करने वाले लोग, व्यापारी पटाखे का बाजार लगाते हैं। रूद्रपुर के अन्दर पटाखा बाजार गाँधी पार्क

के अन्दर लगाया जाता है और छोटे–छोटे दुकानदार कहीं से कर्ज लेकर, कहीं से पैसा उधार माँगकर, कहीं से पटाखा उधार खरीदकर बाजार लगाते हैं। मान्यवर, बड़ा दुर्भाग्य का वो दिन था रूद्रपुर के लिए, दीपावली का त्यौहार और एकाएक बाजार के अन्दर आग लग गयी और 136 दुकानें जो गाँधी पार्क के अन्दर लगी थीं वे सारी की सारी जलकर राख हो गयीं जबकि फायर बिग्रेड की गाड़ियाँ भी वहाँ पर खड़ी थीं, वे भी उस आग को बुझाने में सफल नहीं हो पायीं। 136 दुकानें तो जलीं ही जलीं मान्यवर, एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ पंतनगर का तराई बीज निगम का कर्मचारी पटाखे खरीदने के लिए आया था। काफी लोग भाग गए। वह व्यक्ति पाँव से कुछ कमजोर था, उसको दौड़ने में दिक्कत थी। उसका बच्चा छोटा साथ में था और बच्चे को लगा कि मेरे पिता जी को आग लग गई है उसने बचाने की कोशिश की और जब व्यक्ति आग के चारों ओर लपट गया तो उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया और बच्चा उसको छोड़कर भाग गया और उस व्यक्ति ने वहीं पर दम तोड़ दिया। साथ ही कई सारे लोग जिनको चोटें आई, लगभग 20 लोग ऐसे थे, जिनको चोटें आई और उसके साथ–साथ एक मारूति वैन जो वहाँ पर खड़ी थी जलकर राख हो गयी। 14 दुकानदारों के टैन्ट हाउस का जो सामान था वह भी जलकर राख हो गया। इतना ही नहीं 36 मोटर साईकिल, 32 साईकिलें भी जलकर वहाँ राख हो गयीं। मान्यवर, सारा का सारा सामान जलकर राख हो गया।

28 अक्टूबर को जब आग लगी तो जिलाधिकारी द्वारा सरकार को, शासन को अवगत कराया गया। उसके पश्चात् वहाँ पर उसकी जाँच हुई। जाँच के लिए जिलाधिकारी ने अगले ही दिन उसकी एक कमेटी बनाई एस0डी0एम0, रूद्रपुर की अध्यक्षता में, उसमें नगर पालिका के सदस्य, व्यापार का अग्निशमन अधिकारी और अन्य अधिकारियों को उसमें शामिल किया गया। मान्यवर, उस समय सरकार के भी बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर जाकर घोषणा की। हम लोग भी वहाँ पर गए, संवेदना प्रकट की। उस समय कहा गया कि एक सप्ताह के अन्दर मुआवजा मिल जायेगा उसके पश्चात् मुआवजा नहीं दिया गया। व्यापारियों को तंग किया गया उनसे तरह–तरह के बिल माँगे गए। व्यापारियों ने जहाँ–जहाँ से सामान खरीदा था अपने बिल प्रस्तुत किए लेकिन उसके पश्चात् मुआवजा नहीं मिला। लोगों में रोष था।

मान्यवर, तभी जिलाधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, 30 अक्टूबर को एक समिति बनाई गई थी, उसके बाद एक रिपोर्ट 15 नवम्बर, 2008 को भेजी गयी, जबकि 28 अक्टूबर को आग लगी। उसके अन्दर कितना नुकसान हुआ उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया और यह बताया कि 95 लाख 18 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। टेन्ट वालों का 8 लाख 75 हजार 485 रुपये का नुकसान हुआ है और जनरेटर का बताया कि 1 लाख 17 हजार 975 रुपये का नुकसान हुआ है और कुल क्षति 1 करोड़ 4 लाख 11 हजार की बताई गई। इतना ही नहीं बल्कि स्वयं समिति द्वारा जो राजस्व विभाग की रिपोर्ट थी, पटवारी की, तहसीलदार की रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि 75 लाख रुपये की क्षति प्रतीत हुई। मान्यवर, रिपोर्ट आने के पश्चात् भी 75 लाख रुपये की हानि स्वयं शासन

ने स्वीकार की है, आज डेढ़ माह बीत गया है एक रुपया भी न किसी व्यक्ति को दिया गया और न किसी घायल को दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, वहाँ माननीय मंत्रीगण भी जाते रहे और इससे बड़ी दुःखद बात क्या होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना के एक सप्ताह के बाद हल्द्वानी व्यापारियों को सम्बोधित करने जाते हैं तो सारे व्यापारी हल्द्वानी के वहाँ एकत्र होते हैं और बाजार वाले भी पटाखे वाले भी वहाँ जाते हैं कि हमको कुछ दिया जाए लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने न कोई संवेदना प्रकट की और न ही कोई आर्थिक सहायता देने के लिए कोई बात की, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री काशीपुर में जाते हैं वहाँ भी पटाखे वाले भाजपा के वरिष्ठ लोगों को लेकर जाते हैं वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं की। आज तक डेढ़ माह बीत गया है, छोटे–छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं और आज तक सरकार ने एक रुपया उनको नहीं दिया है, इससे और ज्यादा क्या होगा। जो 36 मोटर साईकिलें थीं उसका जिक्र नहीं और कार जल गई, एक व्यक्ति मर गया उसका भी कोई जिक्र नहीं। छोटे–छोटे दुकानदार हैं, जिनकी गाड़ियाँ जल गयीं तो उन गाड़ियों का भी जिक्र नहीं किया। मान्यवर, यह अति महत्वपूर्ण विषय है इसलिए मैं माँग करता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, रुद्रपुर में अग्निकाण्ड की जो घटना हुई है, माननीय विधायक रुद्रपुर श्री तिलक राज बेहड़ जी ने बड़े विस्तार से बताया तो मैं उनकी भावना से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, छोटे–छोटे पटाखे के व्यवसायी हैं इनको पटाखे की दुकान लगाने का लाईसेन्स जिला प्रशासन द्वारा एक निर्धारित स्थान के लिए दिया जाता है और उसी प्रक्रिया के अन्तर्गत दुकानें लगाईं। जब प्रशासन द्वारा उनको लाईसेन्स दिया जाता है तो जाहिर है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और अग्निकाण्ड पटाखों के साथ लगा रहता है तो उनकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। जब अग्निकाण्ड हुआ तो जाहिर है कि इतना भयानक था जो भी व्यवस्था थी चौपट हो गई। इस अग्निकाण्ड को नहीं रोका गया, इसमें लगभग 1 करोड़ का नुकसान जिला प्रशासन और राजस्व निरीक्षक द्वारा बताया गया। ऐसे हालात में जब छोटे–छोटे व्यवसायी कर्जा लेकर अपने त्यौहार मनाते हैं और क्षेत्र की जनता वहाँ से पटाखे खरीदती है तो मैं समझता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके प्रति संवेदना व्यक्त करे और ज्यादा से ज्यादा इनको आर्थिक मदद देने की घोषणा करे, क्योंकि यह 136 परिवारों की जीविका का मामला है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा स्वीकार कर लें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री तिलक राज बेहड़ और माननीय डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी ने इस महत्वपूर्ण जनहित के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना विषय रखा है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि 28 अक्टूबर, 2008 को जैसा कि माननीय सदस्यगणों ने कहा कि जनपद ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर क्षेत्र में एक भीषण अग्निकाण्ड हुआ और उस भीषण अग्निकाण्ड में 136 दुकानें जल गयी थीं। इस सम्बन्ध में 15 नवम्बर को एक जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रेषित की गयी। चूँकि अग्निकाण्ड में अन्य मदों से कोई भी धनराशि स्वीकृत किये जाने की परम्परा या प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए केवल एकमात्र माध्यम माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का बचता है। जिसके माध्यम से क्षति के अनुरूप आर्थिक अनुदान दिये जाने का प्राविधान, इस मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की नियमावली में प्राविधानित है।

इस प्राविधान के तहत अतिविशिष्ट परिस्थितियों में भीषण अग्निकाण्ड, भू–स्खलन, हिमपात तथा अन्य दैवीय आपदा पीड़ित व्यक्तियों एवं परिवारों को सामान्य मानकों से आँकलित धनराशि की, बाकी धनराशि अथवा 35 हजार रुपये जो भी कम हो उसको दिये जाने का प्राविधान इस नियमावली में किया गया है। इसके आधार पर यह आवश्यक हो जाता है कि सर्वप्रथम जिलाधिकारी के माध्यम से जाँच रिपोर्ट आये और इस जाँच रिपोर्ट में पृथक–पृथक उसकी क्षति का आकलन हो और उस आकलन के अनुरूप अगर 35 हजार से धनराशि कम आ रही है तो वह धनराशि अवमुक्त की जायेगी। मान्यवर, अगर क्षति 35 हजार रु0 से अधिक है तो 35 हजार रु0 अवमुक्त किया जायेगा। ये मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की नियमावली में प्राविधान है। चूँकि जो जाँच रिपोर्ट 15–11–2008 को आयी थी उस जाँच रिपोर्ट में होने वाले सम्पूर्ण क्षति के आकलन को दर्शाया गया था और वह भी अनुमानित आकलन दर्शाया गया था। चूँकि यह धनराशि व्यक्ति विशेष को प्राप्त होगी और उस धनराशि के लिए उस व्यक्ति विशेष पर हुई क्षति के सम्बन्ध में आकलन जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुनः जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि आप पृथक–पृथक आकलन की रिपोर्ट प्रेषित करें। मैं सम्मानित सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस पर तत्काल कार्यवाही के लिए मैं अभी निर्देशित कर रहा हूँ। जितना भी शीघ्र से शीघ्र हो सकेगा इसके माध्यम से धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं हम इसकी रिपोर्ट दुबारा माँग रहे हैं। मान्यवर, इसकी मेरे पास एक प्रति है और सरकार के पास 30 नवम्बर को इसकी रिपोर्ट आयी है यह माननीय मंत्री जी स्वयं मान रहे हैं। मान्यवर, यह पृथक–पृथक है कि किस व्यक्ति को कितना दिया जाय। इसमें एक–एक व्यक्ति की पूरी की पूरी रिपोर्ट है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें 75 लाख रु0 का सम्पूर्ण आकलन दिया गया है, इसमें किस व्यक्ति को कितना देना है, यह रिपोर्ट माँगी गयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इसमें डेढ़ महीना हो गया है। इससे पहले भी पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि जगहों पर ऐसी घटनाएँ हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब किसी व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसको पैसा दिया जाता है। एक व्यक्ति जो जल कर मर गया है, इसको 50 हजार रु0 नहीं दिया जा रहा है, जोकि बड़े खेद की बात है। मान्यवर, इसके लिए किसी प्रमाण–पत्र की जरुरत नहीं होती है। मान्यवर, इस सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री भी इस अग्निकाण्ड में मरे व्यक्ति के दाह संस्कार में सम्मिलित हुए हैं। मान्यवर, मरे व्यक्तियों का मिल जाता है, जले हुए व्यक्ति का मिल जाता है, बस गिरती है तो आप मरे को देते हैं, घायल को देते हैं, तत्काल पैसा उपलब्ध कराते हैं और आग लग गयी, उसमें 20 लोग जल गये, उनका ईलाज चल रहा है जिला चिकित्सालय में, उनको कुछ नहीं मिला। मान्यवर, आपके निर्देशों की आवश्यकता है, आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़, 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) पूरी बात आने दें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आप व्यवस्था दे दें। हम शीघ्र से शीघ्र कर देंगे। आप इसको टाईम बाउण्ड कर दें।

श्री अध्यक्ष–

अगले 15 दिन में आप इसका निस्तारण कर दें। माननीय तिलक राज बेहड़ जी, मा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ अपने स्थान पर जाकर बैठ गये।)

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर विषय है। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, अभी फायर एक्सीडेंट वाली बात आयी, इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को केवल 1000 रुपये और 1500 रुपये की धनराशि आवंटित करने का अधिकार है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से एक्सीडेंटल धनराशि को बढ़ाया है, उसी तरह से यह भी एक एक्सीडेंट है, फायर एक्सीडेंट है। मेरा अनुरोध है कि इसमें कम से कम 20 हजार रुपया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पावर दे देनी चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, गन्ना किसानों के सम्बन्ध में आपकी जो नियम–310 की सूचना है, उस पर आप अपनी बात कहिए।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आभारी हूँ कि इतने ज्वलंत मुद्दे पर, जो आम जनमानस से जुड़ा है, बोलने के लिए आपने मुझे और मेरे दल को आदेश दिया। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के किसी माननीय सदस्य द्वारा बैठे–बैठे कुछ बोलने पर)

मान्यवर, क्या आपके यहाँ भिजवाऊँ (व्यवधान)

*काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आप तो अपने किसान के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, लेकिन हम हैं। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार जो स्थिति थी, वही आज भी है। पिछली बार जो गन्ना मंत्री थे, वे टिहरी में पूछते थे कि गन्ना कितना है। इन माननीय विधायक को भी यह पता नहीं कि गन्ने की परिभाषा क्या है। इसमें मेरी गलती थोड़ी है, यह हरिद्वार की गलती है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय गन्ना मंत्री जी को तो मालूम है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शहजाद–

मान्यवर, गन्ना मंत्री को भी नहीं मालूम है, यही तो हमारा दुर्भाग्य है।

श्री अध्यक्ष–

मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य पीठ को सम्बोधित होकर अपनी बात कहें।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि बीच में टोकेंगे तो मजबूरी हो जाएगी। (व्यवधान) मान्यवर, मेरा ध्यान बिल्कुल पीठ की तरफ है। मैं पीठ का सम्मान करता हूँ। जो गन्ने की फसल की बात है, मैं और मेरा दल इस बात को बार–बार उठाता है। यह गन्ना केवल किसान से ही जुड़ा हुआ नहीं है। गन्ने की जो फसल होती है, उसमें जितने उस गाँव में रहने वाले खेतीहर मजदूर हैं, पशुपालक हैं, सब लोग इस खेती से जुड़े होते हैं। अगर गन्ने की फसल पैदा नहीं होगी तो इसमें सबसे पहले जो प्रभावित होगा, उसमें गन्ना मंत्री का परिवार भी होगा क्योंकि अगर पशु नहीं पलेंगे तो दूध नहीं होगा, दूध नहीं होगा तो मावा नहीं होगा, पनीर नहीं होगा, तो मुझे चिन्ता सभी की है, मेरे दल को सभी की चिन्ता है। मान्यवर, अगर गन्ने की फसल न हो, तो जो पशुपालक हैं, उन्हें चारा भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो बरसात का मौसम होता है, उस समय गन्ने के खेत में जो घास होती है, उसे जो ग्रामीण लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उसे अपने पशुओं को खिलाते हैं। लेकिन जैसे ही सितम्बर का महीना आता है तो जो गन्ने के ऊपर का हिस्सा होता है, उसे सुगोला कहते हैं, उसे चारे के रूप में गाँव के लोग गन्ने को छीलते हैं और उससे पशुओं का चारा मिलता है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, उससे पशुओं का चारा होता है और जो वह परिवार हैं, जो उनकी आजीविका है, उनका जो रोजी का साधन है, वह पशुपाल के या गन्ना छीलकर मजदूरी करके या किसान के पास मजदूरी करके उससे अपनी आजीविका चलाता है। अगर गन्ना नहीं होगा, गन्ने की टाईम पर छिलाई नहीं होगी, गन्ने की टाईम पर कटाई नहीं होगी, गेहूँ की टाईम पर बुवाई नहीं होगी तो मान्यवर, पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र इससे प्रभावित होगा। आज मिल चलने की जो स्थिति है, अक्टूबर के लास्ट हफ्ते में मिल चलती हैं। बार–बार माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश में नवम्बर के पहले हफ्ते में, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मिल चलाने का कार्य किया जाता है और वहाँ की सरकार ने सितम्बर के महीने में गन्ने का रेट घोषित करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ–साथ ही जो गन्ना किसान हैं, वह सोसायटी के माध्यम से खाद को उठाता है। उस दिन वह खाद उठायेगा एक कट्टा, उसमें उसी दिन ब्याज लगेगा, उसका गन्ना मिल में जायेगा, सोसायटी के माध्यम से पेमेन्ट होता है, उसमें उसी दिन पहले खाद के पैसे कटेंगे और बाद में उसका शेष मिलेगा, उसे ब्याज देने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर वह गन्ना नहीं गेर पाता तो उसकी आर0सी0 कटेगी और उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही सैकड़ों करोड़ रुपया

मिल मालिक एक साल तक रोकता है, किसानों का। उन पर कोई ब्याज नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अगर वह पैसा माँगते हैं, अगर वह गन्ना मंत्री से फरियाद करते हैं तो यहां भी डण्डा बजता है, अगर वह सड़क पर बैठते हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही ज्वलंत मुददा है। मैं समझता हूँ कि इस पर हमारा आक्रोश कम है, हमें इससे ज्यादा आक्रोशित होना चाहिये। मान्यवर, आप इसकी जनसंख्या देख लें, पूरा हरिद्वार जनपद, पूरा ऊधमसिंह नगर जनपद और कुछ हिस्सा देहरादून जनपद का, यह इससे प्रभावित है। उससे खेतिहर मजूदर प्रभावित हैं, उससे पशुपालक प्रभावित हैं, उससे मार्केट में बैठे दुकानदार प्रभावित हैं। मान्यवर, अगर किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो उसकी लड़की की शादी नहीं हो सकती है, उसे ब्याज पर साहूकार से पैसे लेने पड़ेंगे और अपनी जमीन को गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन इसकी ओर भी किसी का ध्यान नहीं है, यहाँ तक भी प्रचलन है कि जो छोटे किसान हैं, वह गन्ना बोते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं कि मैंने 20 बीघे गन्ना बोया है तो अगले साल मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा, अगले साल में अपने बेटे को साईकिल लेकर दूँगा या खिलौना लेकर दूँगा या मैं दीवाली पर, ईद पर या बकरीद पर उसे अच्छे कपड़े लेकर दूँगा। लेकिन एक साल तक उसका पैसा नहीं दिया जाता, उस पर ब्याज भी नहीं दिया जाता। रेट की बात है मान्यवर, तो यहाँ घोषणा तो हो सकती है, लेकिन वहाँ मनवाने की हिम्मत नहीं है।

मिल मालिकों पर वह रेट मनवाने की हिम्मत नही है, 132 की, 127 की घोषणा हुई, लेकिन आज तक भी हरिद्वार में जो उत्तम मिल है, उस पर 8 करोड़ रुपया किसानों का है, लक्सर मिल पर 4 करोड़ समथिंग है, इकबालपुर पर भी 4 करोड़ समथिंग है। टोटल 50 करोड़ रुपये से अधिक मिल मालिकों पर बकाया है। मान्यवर, ऊधमसिंह नगर में 34 से 40 करोड़ के आस–पास है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ–साथ ही अगर गन्ना नहीं होगा। (व्यवधान) हाथी तो बाँस भी खा लेगा और कुछ और नहीं मिलेगा तो हाथी सफाया भी करेगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, ये दारू कहाँ से बनेगी, जिस विभाग से करोड़ों रुपये, 250–300 करोड़ रुपये राजस्व आ रहा है, वो कहाँ से आयेगा ? आबकारी विभाग का क्या होगा, मुझे इसकी भी चिंता है। उधर शिक्षा की स्थिति भी यही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, सभी माननीय सदस्यों के विचार आयेंगे।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, सभी को बोलना है, काफी लम्बा विषय है। मैं जनरल डायर तक नही जा रहा हूँ, यहीं गन्ने तक ही रहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग, जो गन्ने की पाती होती है, उसे इकट्ठा करके बेचकर आजीविका चलाते है। कुछ लोग क्रेशर चलाकर आजीविका चलाते हैं, कुछ लोग खोई बेचकर चलाते हैं, कोई मिल में मजदूरी

करता है, कोई मंडी बेचकर काम चलाता है। इससे देहात के काफी लोग जुड़े हुए हैं। जो आम आदमी है, वो गन्ने से प्रभावित है। यहाँ मिल चलते हैं दिसम्बर के तीसरे हफ्ते में, जबकि चलने चाहिए थे अक्टूबर के लास्ट में या नवम्बर के पहले हफ्ते में। अगर नवम्बर के पहले हफ्ते में मिल चलते तो दो साल का जो ईख होता है, उसे काटने के बाद गेहूँ की बुवाई होती, गेहूँ अच्छा होता, खाद्यान्न की भरपाई होती। क्योंकि यह भी कहा गया है किसानों में, हल चलाया है मैंने भी कि किसान पगड़ी बाँधता भी पछेता होता है, लेकिन उसकी फसल को दो महीने इस सरकार ने, इस सरकार में बैठे लोगों ने, पछेता कराने का काम किया है। उस किसान की जो आजीविका है, वो उसे एक साल तक अन्न मिलता, उसकी भरपाई कौन करेगा ? पिछले वर्ष पाला पड़ा, पाले में बाग नष्ट हो गये। 40-40 रुपये मुआवजा दे करके सरकार ने टरकाने का काम किया। पाले से गेहूँ की फसल पूरी चौपट है, उसकी भरपाई कौन करेगा ? माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार है। अनेक संगठन सड़कों पर हैं, लाठीचार्ज है, पूरी तरह आज स्थिति चरमरा चुकी है। मैं निवेदन करूँगा माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न की गहराई को समझते हुए जो आम जनता, जन मानस इससे जुड़ा हुआ है, इस सदन में आपने पहले भी एक बार आश्वासन दिया था कि हम गन्ने पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूँगा कि इसकी गहराई को समझते हुए कम से कम एक घंटे की चर्चा इसमें स्वीकार करें। आज इस पर चर्चा हो, इसका निदान हो, हमेशा के लिए इसका समाधान हो, इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, रेट की बात है उत्तर प्रदेश से कहा हम तीन रुपया ज्यादा देंगे। हम उत्तर प्रदेश के ही पीछे क्यों भाग रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात क्यों करते हैं ? हरियाणा, पंजाब की बात क्यों नहीं करते ? हरियाणा में 165 और 172 का रेट है, पंजाब में 172 का रेट है। हम 172 क्यों, हम 200 रुपये क्यों नहीं दे सकते ? जो आज तक बकाया है, जो 110 के रेट मिलों ने दिये हैं, 110 के लिए प्राईवेट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गये, लेकिन जो सहकारी मिल हैं, सरकारी मिल हैं उनमें सरकार ने नहीं दिया है।

यहाँ भी किसान का शोषण हुआ है और यहीं तक शोषण नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जो सोसाईटी है उन्हें मिल वाले चेक देते हैं और उसका ब्याज खाते हैं, टाईमली पैसा नहीं देते हैं। वहाँ भी घोटाला करते हैं। मिल मालिक रोक लेंगे पैसे को, करोड़ों रुपये रोक लेंगे, बैंक में जमा करने ब्याज खाने का काम करेंगे और किसान वहाँ जूते खाने का काम करता है। इसमें माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रुलिंग है कि 14 दिन के अंदर मिल भुगतान करें, वरना उस पर ब्याज दें, उसकी आर0सी0 कटे मिल मालिक की। यहाँ यह भी डिसाइड हो जायेगा इसमें कि 14 दिन में पेमेन्ट होगा कि नहीं होगा। जो एक साल की मेहनत के बाद गन्ना पैदा करता है किसान, उसे यह नहीं कि वह किस रेट पर मिल में डाल रहा है, किस रेट पर बेचता है, उसकी मजबूरी है कि अगर खेत खाली नहीं होगा तो वो गेहूँ नहीं बो पायेगा। इसका नाजायज फायदा मिल मालिक उठाते हैं और यह सरकार किसानों का

शोषण करने के लिए उसे प्रोत्साहन देती है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने इसे सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी। अब हम अपराह्न 3:00 बजे तक भोजनावकाश के लिए उठते हैं।

(भोजनावकाश)

सदन की कार्यवाही अपराह्न 3:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–310 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सारी बात तो हमारे माननीय शहजाद जी ने कह दी है, लेकिन फिर भी एक–दो बातों को और मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। एक तो यह जो मिल लेट चलाने का विषय है, यह है क्या ? इसकी अगर जाँच करवाई जाए। मैं आपके माध्यम से यह माँग करता हूँ कि इसकी जाँच कराई जाए। क्योंकि बहुत लेट मिल चल रही हैं। अभी 10 दिसम्बर को मिल चली है वह भी इसलिए चली है क्योंकि विधान सभा चल रही है, इसलिए यह मिल चलाई गई। इसलिए इसकी जाँच कराई जाए कि मिलें लेट क्यों चल रही हैं। दूसरा बिन्दु यह है कि जो किसान खाद लेता है, उसको उस दिन का पूरे साल का ब्याज लग जाता है कि पूरे साल का ब्याज देना पड़ेगा। किसान को चाहे वह कल ही घेर के उसके पैसे दे दें। लेकिन फिर भी उसे ब्याज देना पड़ता है, पूरे एक साल का, तो उसका ब्याज माफ होना चाहिए। यह एक साल के ब्याज का मकसद क्या है ?

यह विधान सभा की तरफ से जितने सदस्य हम यहाँ पर बैठे हैं, यह प्रस्ताव आना चाहिए कि किसान का क्या मतलब है, पूरे साल के ब्याज से। यह जो पूरे साल का ब्याज आता है अगर हम अंदाज लगायें तो गन्ने में कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। बिजली की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। यदि हम एक दिन भी बिजली का पैसा जमा नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर सरचार्ज लग जाता है और हमारी मिल में पर्ची पड़ी है और हमारा कोई पैसा नहीं है। हमारे बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, हमारे

पास कोई पैसा नहीं हैं। तो मेरा अनुरोध अपने साथियों से, अपने नेताओं से एवं सारे मंत्रियों से और सरकार से यह है कि किसान का वह कर्जा माफ होना चाहिए जो उसने खाद पर बीज लिया है उसका उससे पूरे साल का ब्याज न लेकर उतने ही दिन का पैसा लेना चाहिए जिस दिन वह पैसा जमा करता है, तो मैं बहुत अधिक बाते न करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

* चौ0 यशवीर सिंह –

मानतीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, काफी सारी बातें सदन के सामने आ गई हैं। फिर भी काश्तकार की एक मुख्य समस्या यह है कि जब वह अपना गन्ना ले जाता है तो उसे दो दिन और दो रात वहीं खड़ा रहना पड़ता है और अगर मिल में जरा सी भी गड़बड़ी आ जाती है तो मिल वाला वहीं उसका कैन वहीं कॉंटो पर रोक देता है। कॉंटों की उचित व्यवस्था नहीं है। एक कॉंटा ट्राली के लिए है, एक कॉंटा बोगी के लिए है और एक कॉंटा जो ठेकेदार से गन्ना मॉंगता है मिल मालिक उसके लिए है। मान्यवर, कॉंटो की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। काश्तकारों को किसी भी हालत में 4–5 घण्टे से ज्यादा मिल परिसर में नहीं रहना चाहिए। मैं, माननीय गन्ना मंत्री जी से आग्रह करूँगा, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस पर विशेष ध्यान दें। माननीय अध्यक्ष जी, एक विडम्बना यह है कि गन्ना किसानों से जो पैसा इकट्ठा होता है, सोसाइटी में, उससे वहाँ सड़क बनती है, जिस पर किसान अपना गन्ना ले जाता है। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। गन्ना विकास इकबालपुर नगर ने कमाल ही कर दिया। 8–8 फूट की नौ गलियाँ दे दी गन्ने में। जब उनसे पूछा कि ये गलियाँ क्यों दी, इस पर तो गन्ने का कश्तकार भी नहीं है, शहर की गलियाँ हैं, उनका सीधा सा उत्तर है, माननीय मंत्री जी ने कहा इसलिए हमने गली दी। (शेम–शेम की ध्वनि) माननीय अध्यक्ष जी, उन गलियों का कोई औचित्य ही नहीं बैठता। गन्ने की लम्बाई ही कम से कम 10–12 फीट होती है, ये गलियाँ 8 फीट की भी नहीं हैं। नौ गलियाँ ऐसी हैं और 30 लाख का काम। माननीय अध्यक्ष जी, जिला योजना से पैसा भी नहीं आया है। बहुत जल्दबाजी में टैण्डर कर दिये गये। रेट पर्चियों पर अभी तक नहीं पड़ा है, इनका आश्वासन था पड़ जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, रेट में यू0पी0 की ही बात क्यों करी जाए। रिकवरी देख ली जाए। अगर हमारी रिकवरी अच्छी है, जब रेट कम रहते हैं तो मिल वाले इस बात को कहते हैं, रिकवरी के हिसाब से पैसा देंगे। अगर हमारी रिकवरी अच्छी है तो हरियाणा के रेट से पैसा दिया जाय। पहले रिकवरी देख ली जाय, अगर हरियाणा की रिकवरी, हमारे से ज्यादा है तो निश्चित रूप से हमें वहाँ से कम दे दिया जाय या अगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंजाब की रिकवरी हमारे प्रदेश से ज्यादा है तो वहाँ से कम दे दिया जाय। अगर हमारे प्रदेश की रिकवरी हरियाणा और पंजाब के बराबर है तो हमें भी उसी रेट से हमारे काश्तकारों को पैसा दे दिया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, काफी बातें है और मैं समझता हूँ कि मेन तो यही बात है और अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, धन्यवाद।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, परसों बड़ी जल्दी से अन्य कोई श्रेय ले, इसके चक्कर में माननीय मंत्री जी ने सारे नियमों को ताक में रख करके गन्ने का भाव घोषित किया।

श्री अध्यक्ष–

नियमों के अन्तर्गत ही था।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले भी नियमों के अन्तर्गत था, खैर हम इस पर नहीं जाते हैं। मान्यवर, जब सरकार किसी भी फसल का भाव घोषित करती है, तो वह न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसके मायने ये होने चाहिए कि इससे ज्यादा अगर किसान की फसल बिक सकती है तो बेच ले, अगर उससे कम दर पर बिकेगी तो सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार पैसा अदा करेगी। धान हो या गेहूँ हो अगर सरकार उसका समर्थन न्यूनतम मूल्य घोषित करती है, अगर उससे कम मूल्य से बिक रहा हो तो उसको एक हजार रुपये प्रति कुन्तल के भाव से सरकार अदा करेगी। लेकिन यहाँ पर एक अजीब तमाशा देखने को मिल रहा है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और उस न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसान को अदा करने में असहाय होती है। पिछली बार इसी माननीय सदन में माननीय मंत्री जी ने 127 और 132 रुपये के भाव से प्रति कुन्टल के हिसाब से घोषित किया और आज तक वह समर्थन मूल्य सरकार नहीं दिलवा पायी। 110 रुपये प्रति कुन्टल का भाव ही किसानों को मिला है। एक सवाल हम जब बार–बार खड़ा करते हैं कि 110 रुपये प्रति कुन्टल का भाव क्यों मिल रहा है ? तो सरकार का जवाब होता है कि शुगर मिल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 110 रुपये प्रति कुन्टल का न्यूनतम भाव घोषित कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट में शुगर मिल एसोसिएशन चला गया था तो सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड में 10 चीनी मिलें हैं, उसमें से कितनी निजी चीनी मिलें होंगी तीन या चार, बाकी चीनी मिलें या तो सरकारी हैं या को–आपरेटिव की हैं वो सीधे–सीधे सरकार के अन्दर में हैं। उन चीनी मिलों के काश्तकारों को क्यों सरकार द्वारा घोषित मूल्य नहीं मिल पाया या क्यों लेट दिया गया ?

बहुत गम्भीर एक संकट हमारे सामने खड़ा हो जाता है। चीनी मिलें कोर्ट जाती हैं। कल इन्होंने डिक्लियर किया फिर उनको कोर्ट जाने के लिए खड़ा किया। सरकार क्यों नहीं इस तरह की पैरवी करती है ? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से चीनी मिलों को इस तरह से कैसे आदेश प्राप्त हो जाता है। हमने तो राजनैतिक शास्त्र की किताबों में ये पढ़ा था कि ज्युडिशिरी, एक्ज्यूकेटिव और लैजीसलेचर इन तीनों में कोई सुप्रीम नहीं है, लेकिन जब गन्ना विभाग पर, शिक्षा विभाग पर निगाह या आबकारी विभाग पर निगाह डालें तो तीनों विभागों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद एक्ज्यूकेटिव नाम की कोई चीज है ही नहीं और अनगिनत आदेश ऐसे होंगे, जिसमें एक्ज्यूकेटिव के आदेश के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाता है। सरकार ने जो परसों भाव घोषित किये थे तो सरकार सुनिश्चित करेगी कि ये भाव किसानों को दिलवाये। आपने इसी सदन में जो पहले भाव घोषित किये थे वही भाव किसानों को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या आदेश देते हैं उससे किसान के पेट को, किसान की भूख को, किसान के बच्चे को कोई मतलब नहीं। हमें चाहिए जो आपने मूल्य घोषित किया है, वह आप पहले परमीशन लिया करें सुप्रीम कोर्ट से फिर आप कोई आदेश जारी किया करें। अगर आपको परमीशन नहीं मिलती तो आप आदेश जारी मत किया करें। आप काश्तकारों के साथ मजाक मत किया करें, खिलवाड़ मत किया करें। यह बहुत बड़ा मजाक आपका है। जितने वहाँ बैठे हुए हैं, आपको नहीं मालूम कि किसान की दुर्दशा क्या होती है, किसान की तकलीफ क्या होती है ? आप एयरकंडीशन्ड गाड़ियों में घूमने वाले लोग हैं, आपको किसी को नहीं मालूम कि गरीब की पेट की भूख क्या है। उनकी पेट की भूख आपको मालूम नहीं है। मान्यवर, मैं सिर्फ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि भाव दिलवा दें। जब-जब ये भाव डिक्लियर करते हैं, मान्यवर, मुझे सिर्फ एक बात याद आती है। एक चौधरी साहब की भैंस खो गयी। जब उसे ढूंढने के लिए निकले तो उनकी पत्नी साथ थी। एक मंदिर के सामने से वे गुजर रहे थे।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी साहब पीछे बैठे हुए हैं, क्या इनकी तो नहीं थी। (हँसी का ठहाका)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

हो सकता हो इन्हीं की हो। (हँसी) मंदिर के सामने रूके मंदिर गये माथा टेका, माथा टेकने के बाद मंदिर में जाकर कहा कि, ऐ देवी माँ अगर मेरी भैंस मिल गयी तो एक थन का दूध दान किया करूँगा। एक दिन ढूंढा फिर नहीं मिली तो दूसरे दिन दूसरा मंदिर रास्ते में पड़ा तो फिर वहाँ गए और कहा कि अगर मेरी भैंस मिल गयी तो दो थनों का दूध दान किया करूँगा। तब उनकी चौधराइन बिगड़ गयी, कहने लगी कि चार

थन और दो थन का दान, तो फिर हम क्या करेंगे भैंस ढूंढकर, घर वलों, तब चौधरी साहब एक तरफ उसको ले जा करके बोले कि अरे चौधराइन मिल तो जाने दे, मिल गयी तो क्या दे ही दे रहा हूँ। (हँसी) यही हाल इनका हो रहा है, भाव घोषित कर रहे हैं।

आप चाहे 240 कर दो या 840 कर दो, कोई फर्क नहीं पडता, मिलना किसान को वही है जो कोर्ट कह रहा है। आपके विभाग के अस्तित्व के बारे में हमें जानकारी नहीं। आपका विभाग क्या किसानों को कहीं बीज उपलब्ध कराता है, क्या किसानों को कहीं गन्ना पैदावार की कोई सुविधा उपलब्ध कराता है या कोई तकनीक सिखाता है, नया बीज लाता है ? कोई नया बीज हमने अब तक नही देखा। सिर्फ आपकी बुकलेट में, आपके पम्पलेट में और आपके अखबारों में जो आप महँगे-महँगे विज्ञापन हाथ उठाकर देते हैं, उसमें तो हम लोग देखते हैं कि गन्ना विभाग के बारे में इकर-फिकर, लेकिन इसके अलावा धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज बहुत पीड़ा में सारा काश्तकार है, सभी परेशान हैं और उस पीड़ा को मैंने आपके सामने रखा। उसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों की बातों को ध्यान में रखते हुए, इस सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

बहुत ही संक्षिप्त में जो ऊधमसिंह नगर से सम्बन्धित कुछ बातें करनी हैं। बहुत ही संक्षिप्त में करें।

श्री तिलक राज बेहड़-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कृपापूर्वक मुझे गन्ने के मूल्य को लेकर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में किसान की क्या परेशानी है तो ऐसा लगता है कि सरकार के जो हमारे मंत्री जी हैं, वे नहीं जानते हैं। क्योंकि इनके पास कई सारे विभाग हैं। शिक्षा विभाग भी है, आबकारी विभाग भी है और गन्ने से जो इनको आबकारी मिलता है वह इनको नहीं पता है। वास्तव में एक दिन भी माननीय मंत्री जी ने जाकर किसी भी चीनी मिल का निरीक्षण नहीं किया। कर्मचारियों के प्रोत्साहन का सवाल है। जो कर्मचारी रात-दिन काम करते हैं उनको प्रोत्साहन भत्ता मिल जाए। इतना भी इनको ख्याल नहीं है। जहाँ तक गन्ने का सवाल है, इसी सदन के अंदर 127, 132 रु0 देने की घोषणा की गयी और बहुत कहा गया कि यह भुगतान सरकार देगी और 127, 132 का दाम उस पर्ची पर दिया गया और भुगतान किया गया 110 का। लेकिन आज भी करोड़ों का बकाया है सरकार पर। सरकार द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश से बढ़ाकर देंगे। आप उत्तर प्रदेश की क्यों नकल कर रहे हो ? अगर नकल ही करना है तो हरियाणा की नकल करो।

श्री अध्यक्ष--

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री तिलक राज बेहड़--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नादेही का 2 करोड़ 51 लाख बाकी है, बाजपुर का 1 करोड़ 14 लाख बाकी है, गदरपुर का 3 करोड़ 65 लाख रु0 बाकी है, सितारगंज का 2 करोड 14 लाख रु0 बाकी है, किच्छा का 1 करोड़ 70 लाख बाकी है और काशीपुर प्राइवेट चीनी मिल का 1 करोड 30 लाख रु0 बाकी है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को आप निर्देश दें कि कम से कम जो किसान मर रहा है, वहाँ के कर्मचारियों की परेशानियों को देखें और सरकार फिर कहे कि घोषणा कर दी। (व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी ने जो हाऊस में घोषणा की है क्या वह रेट पर्ची पर अंकित होगा या नहीं, यदि नहीं है तो आप निर्देश दें कि जो रेट बढ़े हैं, वह पर्ची पर अंकित हो।

श्री मदन कौशिक--

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में नियम--58 के अन्तर्गत जो नियम--310 में आपकी महती कृपा से यहाँ पर माननीय शहजाद जी, श्री हरिदास, चौ0 यशवीर सिंह, काजी मौ0 निजामुद्दीन तथा माननीय श्री तिलक राज बेहड़ जी ने 3--4 विषयों पर सरकार का ध्यान केन्द्रित कराया है, इसमें मुझे जो नोटिस प्राप्त हुई है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में बात--चीत की गई है। मान्यवर, आप इस चीज के गवाह हैं कि जब परसों गन्ना मूल्य की घोषणा कर रहे थे तो यह लोग कागज फाड़ रहे थे और उसके बाद भी कहते हैं कि गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया, यह इनके नोटिस में लिखा है, तो इससे बड़ी सदन की अवमानना क्या हो सकती है। (व्यवधान)

श्री शहजाद--

मान्यवर, हमारी नोटिस से सदन की अवमानना है तो हमें हमारा निलम्बन मंजूर है।

श्री मदन कौशिक--

मान्यवर, इस नोटिस में कह रहे हैं कि गन्ने का रेट डिक्लियर नहीं किया है तो परसों रेट डिक्लियर कर दिया। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन--

मान्यवर, रेट डिक्लियर कर दिया तो पर्ची पर रेट क्यों नहीं है, मेरे गन्ने की पर्ची पर जब रेट पड़ेगा तब मैं मानूँगा। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय बसपा के विधायकगण बोले तो ध्यानपूर्वक सुना, अब सरकार का वर्जन आ जाने दिया जाए। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, पर्ची पर तो रेट लगना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

मेरा आप से अनुरोध है कि जब सभी माननीय सदस्यों की बात–चीत यहाँ पर बड़े शान्तिपूर्ण ढंग से आई है तो माननीय मंत्री जी का पक्ष भी आने दें।

श्री शहजाद—

माननीय अध्यक्ष जी, सदन को गुमराह करेंगे तो हम सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, हम आँकड़ों से अलग जायेंगे, बिना प्रमाण के रखेंगे, केवल इसलिए उठाना कि गन्ने का विषय उठाना है। जब आप सुनेंगे और कोई चीज आँकड़ों में आयेगी तो सदन में बताना पड़ेगा। माननीय शहजाद जी ने कहा कि 2 महीने मिल लेट चली है तो यह 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, चार साल का आँकड़ा कम्प्रेटवली प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान्यवर, 2 माह तो दूर की बात है आप 15 दिन का ही बता दें। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन करूँगा कि मैंने इनकी बात सुनी। मान्यवर, डोईवाला शुगर मिल, दि0 06–12–2007 को चली थी, इस बार दि0 03–12–2008 को चली, तीन दिन पहले इस बार चालू हुई। किच्छा शुगर मिल पिछली बार दि0 01–12–2007 को चली, इस बार दि0 23–11–2008 को चालू हुई, लगभग 10 दिन पहले। गदरपुर पिछली बार दि0 04–12 को चली थी इस बार दि0 23–11–2008 को चली, महदेनी पहले दि0 07–12 को चलायी थी इस बार दि0 24–11–2008 को चलाया है। काशीपुर पिछली बार दि0 4–12 को चलायी थी, इस बार दि0 21–11 को चलायी है। मान्यवर, 15 दिन पहले चलायी है।

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, पहले पिछला पैसा तो दिला दीजिए। जब तक पिछला पैसा नही मिलता है, काशीपुर मिल नहीं चलनी चाहिए। इसमें करोड़ों रु0 बाकी हैं। ....व्यवधान

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, मैं पैसा पर भी आने वाला हूँ, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। (व्यवधान) मान्यवर, जैसे मैंने सुना है वैसा ही जवाब तो दूँगा। कृपया आप मेरी बात को

सुनें। इकबालपुर पहले 2–12 को चली थी, इस बार 14–11 को चली है। मान्यवर, दो शुगर मिल एक लक्सर और दूसरी उत्तम मिल है। ये मिलें लेट चली हैं इसके पीछे कारण हैं। उत्तम मिल के लेट चलने का कारण यह है कि किसानों के गन्ने का भुगतान जब नहीं किया गया, उनकी आर0सी0 काटी गयी, उनकी मिल को सील किया गया, उनके सारे गोदाम को सील किया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, आप माननीय सदस्यों की बात पर ध्यान न दीजिए, उन्होंने जो बात कहनी थी, वह कह दी है। आप अपनी बात कहें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस सरकार ने पिछले साल उत्तर प्रदेश से दो रुपये अधिक गन्ने का मूल्य ज्यादा घोषित किया है। इनको परेशानी क्या है कि हम उत्तर प्रदेश से अपने को बार–बार क्यों लिंक–अप करते हैं, क्योंकि हम 25 प्रतिशत गन्ना उत्तर प्रदेश का लेते हैं और 75 प्रतिशत गन्ना हमारे यहाँ का होता है, इसलिए हमें उत्तर प्रदेश से लिंक–अप तो होना ही पड़ेगा उत्तर प्रदेश से तुलना हमें करनी ही पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी खराब है कि आज हमारे यहाँ के किसान उत्तर प्रदेश की मिलों में गन्ना ले जाने को तैयार ही नहीं हैं और वहाँ के किसान कह रहे हैं कि हमारा सारा गन्ना उत्तराखण्ड को जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसान आँदोलन कर रहे हैं। (व्यवधान) मान्यवर, पिछली बार हमने गन्ना मूल्य 127 और 132 रु0 घोषित किया था। आज मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं अपने मुख्यमंत्री, माननीय खण्डूड़ी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारी छः चीनी मिलें हैं। इन सारी चीनी मिलों में 127 और 132 की संस्तुति जारी कर दी गयी है। (व्यवधान) मान्यवर, केवल 11 करोड़ रु0 ऐसे हैं, जिनकी स्वीकृति तो जारी हो चुकी है, यह स्वीकृति 127 और 132 की दर पर जारी की गयी है, लेकिन अभी किसानों को नहीं मिल पायी है। मान्यवर, हमारी चार प्राइवेट मिलें हैं जिनकी चर्चा हमारे माननीय विधायकगणों ने की है।

मान्यवर, यहां पर हमें दो चीजें देखनी होंगी। सरकार की नीयत यहाँ भी देखनी होगी और चूँकि उत्तर प्रदेश से हमारे लिंक हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत भी हमें देखनी होगी। क्योंकि इस कारण हमारा किसान सफर कर रहा है। जब यहाँ पर गन्ना मूल्य घोषित हुआ यहाँ की प्राइवेट शुगर मिल हाई कोर्ट, नैनीताल गयी और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राईवेट शुगर मिल लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में गयी। मान्यवर, हमारे यहां पर सरकार ने पैरवी की, मैं बधाई देना चाहता हूँ, अपने अधिकरियों को इस मामले में, मान्यवर, यहाँ के एडवोकेट जनरल को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार हाई कोर्ट में जीती। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट में हारी। जीतने के बाद हमारी

सरकार ने सुनिश्चित किया कि 27 और 32 का भुगतान तत्काल किया जाय और लिखित में यहाँ की समिति को, जिसके माध्यम से हम भुगतान करते हैं, उनको आदेश जारी किया गया कि 27 और 32 का भुगतान तत्काल करिए। मान्यवर, 27 और 32 का भुगतान किसानों को शुरू हो गया है। (व्यवधान) मान्यवर, एक-एक चीज के आँकड़े मेरे पास हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन-

मान्यवर, काश्तकार का नाम बता दें, जिनको मिला हो। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, दो दिन पहले तक कोई भुगतान नहीं हुआ था। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, मई में उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। हमने हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया और 27-32 का भुगतान सुनिश्चित किया। मान्यवर, 5 मई को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ, 110 रुपये के भुगतान का। मान्यवर, उन मिल वालों ने कहा कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए हम 110 करेंगे। मान्यवर, सरकार के कन्टेम्प्ट में तो लोग बहुत जाते हैं लेकिन मिल वालों के खिलाफ कन्टेम्प्ट लेकर हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई कि ये कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। यह पहली सरकार होगी। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 127 और 132 का भुगतान किया। हमने कहा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद कुछ और हो सकता है लेकिन उसके पहले का भुगतान 127 और 132 सुनिश्चित हो। मान्यवर, माननीय विधायकगण ने यहाँ पर जो आंकड़े दिये, वह ठीक दिये, हमारे पास लगभग 30-32 करोड़ रुपये बैलेन्स है, जिसकी रिकवरी के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गये हैं मिल वालों के खिलाफ कन्टेम्प्ट लेकर कि आप तत्काल भुगतान कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मामला लम्बित है।

श्री दिनेश अग्रवाल-

मान्यवर, कन्टेम्प्ट किस बात का ?

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश का हम लोगों ने पालन किया। हाई कोर्ट ने हमें आदेश दिया कि आप 127, 132 का भुगतान कीजिए।

श्री दिनेश अग्रवाल-

मान्यवर, आप तो उसी का पालन कर रहे थे, जो हाई कोर्ट ने आपको आदेश दिया था, तो कन्टेम्प्ट किस बात का हो गया ? (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह आपकी कमजोरी है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं वकील साहब को भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय सदस्य एडवोकेट हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि हमने वही किया, जो हाई कोर्ट ने कहा। मिल मालिक यह कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के समान भुगतान करो। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, उनके कहने से क्या होता है ? (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह आपकी कमजोरी है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कमजोरी नहीं है। किसानों को 127 और 132 ईमानदारी से दिलवाना इस सरकार की प्रतिबद्धता है। यह इस सरकार की ईमानदारी का परिचायक है कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। (व्यवधान) मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश का नाम लेते ही हमारे मित्रगण दो–दो फिट ऊपर उछलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम 25 प्रतिशत गन्ना वहाँ से लेंगे तो अपने को उनसे क्यों नहीं जोड़ेंगे ? आज हम उत्तर प्रदेश से 3 रुपया ज्यादा दे रहे हैं तो क्या हमारे प्रदेश के किसानों को 3 रुपया ज्यादा भुगतान नहीं मिलेगा ? मान्यवर, हमने उत्तर प्रदेश से 3 रुपया ज्यादा मूल्य डिक्लेयर किया है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, 3 रुपये के हिसाब से कितना देंगे, यह तो बताईये ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 143, 148 रुपये देंगे।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, क्या पर्ची पर 143, 148 पड़ेगा ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जी हाँ, पर्ची पर 143, 148 का भुगतान होगा। (मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

पहले माननीय मंत्री जी की बात आ जाने दीजिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने एक प्रश्न उठाया, गन्ना सोसाईटी द्वारा सड़कों के निर्माण का। इन्होंने कल व्यक्तिगत रूप से भी मुझे इस बारे में बताया था कि मैं इनकी तत्काल जाँच कराऊँगा और यदि वह गलत होगी तो उनको रोका जाएगा तथा जिन्होंने गलत किया होगा, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन आज समस्या हमारे सामने भी एक है, जिस चीज को हम बड़ी आशा से देख भी रहे हैं क्योंकि मान्यवर, जब उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण हुआ तो दोनों राज्यों के बीच में एम0ओ0यू0 हुआ था, कुछ कमाँड एरिया के बारे में। तो जो हम 25 प्रतिशत गन्ना वहाँ से लेते हैं, उस 25 परसेन्ट को लेकर लगभग 7 परसेन्ट हमारा जाना है। तो जो भुगतान हमारा वहाँ नहीं हो पा रहा है, इस भुगतान को लेकर मैं आपके माध्यम से बसपा के विधायकगण से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज उत्तराखण्ड का किसान बहुत दुःखी है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना डालकर उन्होंने क्या गलती की, कि उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी कुछ कहना चाहते हैं, मात्र स्पष्टीकरण ले लीजिये।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, हम उत्तराखण्ड के निवासी हैं, उत्तराखण्ड विधान सभा के सदस्य हैं, उत्तराखण्ड के किसान हैं। अगर उत्तर प्रदेश इनका गन्ना भुगतान नहीं दे रहा है तो यह इनकी गलती है, कमजोरी है। इन्हें लेना चाहिए और उसे लेने के लिए इनमें हिम्मत चाहिए। हम उत्तराखण्ड की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखण्ड के किसान हैं, उत्तराखण्ड की जनता हैं, उत्तराखण्ड के विधायक हैं, उत्तराखण्ड के वोटर हैं, उत्तराखण्ड के मूल निवासी हैं। जो बात होनी चाहिए वह उत्तराखण्ड की होनी चाहिए।.....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, आपकी बात आ गई है, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, ये हमें भ्रमित कर रहे हैं। दो महीने पहले जो सरकार रेट जारी कर सकती है, उसमें तीन रुपये करके कोई बड़ा तीर नहीं मारा है इन्होंने। हम माननीय मंत्री जी की बात से सहमत नहीं हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, माननीय मंत्री जी बार–बार उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं, अगर आज हम उत्तर प्रदेश में होते तो मंत्री जी हरिद्वार की वार्ड मेम्बरी का चुनाव लड़ रहे होते, ई0ओ0, नगर पालिका के सामने पानी के लिए धरना दे रहे होते, यहाँ सदन में उत्तर नहीं दे रहे होते।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी मौ0 निजामुद्दीन जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो भी सवाल पूछे गये, मैंने आँकड़ेवार एक–एक चीज बताई, लेकिन विधायकगणों में सुनने की भी हिम्मत नहीं है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, एक विषय और रह गया है कि यह जो बाकी 127, 132 का है, वह कब तक हो जायेगा ? कब तक उसका भुगतान दे देंगे ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जितनी हमारी निगम और कॉपरेटिव की हैं, उसकी 100 प्रतिशत स्वीकृति जारी हो गई है। 11 करोड़ की स्वीकृति हो चुकी है, अभी एकान्उट में नहीं पहुँचे हैं, जल्दी ही वह भी पहुँच जायेंगे। इस प्रकार 27 और 32 की स्वीकृति सरकार की ओर से 100 प्रतिशत, जो हमारी निगम और कॉपरेटिव की है, उनको जारी किया जा चुका है।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्राइवेट मिलें हैं, उनका पैसा देने का काम क्या सरकार करेगी ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो चारों प्राइवेट मिलें हैं, उनके प्रति सरकार गम्भीर है। हमने दो मिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, एक की आर0सी0 जारी की और एक के

गोडाउन सील किये हैं। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ गये कि तत्काल किसानों का भुगतान सुनिश्चित हो। मान्यवर, सरकार इस मामले में गम्भीर है, जैसा माननीय शहजाद जी ने कहा, मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि हम एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य हैं, जो जोर–जबरदस्ती, फाड़ना–तोड़ना नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह जरूर कहना चाहूँगा कि आप उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बना के उत्तराखण्ड के जिन किसानों का भुगतान बचा हुआ है, उसको दिलवाईये। जो 27, 32 हमने डिक्लेयर किया है, वह मिले तो यहाँ का किसान भी खुश होगा और मैं भी इनको धन्यवाद करूँगा और किसान भी देंगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का बयान गलत है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री शहजाद, श्री हरिदास, चौधरी यशवीर सिंह, काजी मो0 निजामुद्दीन, श्री तिलक राज बेहड़ एवं माननीय गन्ना मंत्री श्री मदन कौशिक जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

आप अलग से सूचना दीजिये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, अपना स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन सामज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया।)

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना उत्तराखण्ड राज्य शिक्षक समन्वय समिति द्वारा केन्द्रीय शिक्षकों के समान वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में है।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर आकर बैठ गये)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपसे निवेदन किया था और आपने कहा था कि नियम-58 में इसे सुना जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना उत्तराखण्ड राज्य शिक्षक समन्वय समिति द्वारा केन्द्रीय शिक्षकों के समान वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में है, जो माननीय करन मेहरा जी की सूचना है।

श्री करन मेहरा-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड राज्य शिक्षक समन्वय समिति द्वारा केन्द्रीय शिक्षकों के समान वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में हमने नियम-310 के अन्तर्गत सूचना दी है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पूर्व में भी सदन में मैंने एक दिन कहा था कि जब हम उत्तर प्रदेश के अंग थे उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी ने एक व्यवस्था दी थी, आदेश किये थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो भी वेतन दिये जाने की बात कही जायेगी, कर्मचारियों को, शिक्षक वर्ग को, उसको उत्तर प्रदेश भी अपने यहाँ लागू करेगी और आज हमारे जितने भी शिक्षक बन्धु हैं, शिक्षक साथी हैं, वो लोग इस माँग को लेकर आन्दोलनरत हैं कि केन्द्र सरकार अपने शिक्षकों को, केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को जो वेतनमान दे रही है, उसी वेतनमान को उत्तराखण्ड की सरकार भी लागू करे और सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था कि केन्द्रीय सरकर के द्वारा जो वेतनमान लागू किया गया है, छठे पे कमीशन को, उसको हम अपने शिक्षकों को, अपने कर्मचारियों को, अपने निगम के बन्धुओं को लागू करेंगे।

आज चाहे वो हमारा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी है, शिक्षक वर्ग है, चाहे निगम से सम्बन्धित हमारे कर्मचारी हैं, चाहे हमारे डी0आर0डी0ए0 से सम्बन्धित कर्मचारी हैं, चाहे वो अन्य किसी भी विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी हैं, वे आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात आ रही थी कि विधायक लोगों की विधायक निधि का निस्तारण डी0आर0डी0ए0 के माध्यम से होता है और समय सीमा में बाँधे जाने की बात भी मैं कहीं पढ़ रहा था। मान्यवर, यदि हमारे कर्मचारी कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं होंगे, आज सभी जगह हमारी कचहरियों में जो मिनिस्टीरियल कर्मचारी हैं, वे आन्दोलन को बाध्य हैं, निगम के कर्मचारी आन्दोलन करने को बाध्य हैं और शिक्षक

जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे हमारे आने वाले भविष्य को तराश कर हमारी तरक्की में अपना योगदान देंगे। उन लोगों से हम यह उम्मीद करते हैं कि वे केन्द्रीय विद्यालयों की तरह, नवोदय विद्यालयों की तरह हमारे यहाँ के नौनिहालों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन उनको दोयम दर्जे का शिक्षक माना जाता है। हमारी सरकार सदन में किये हुए वादे का भी पालन नहीं करती। मेरा मान्यवर, आपसे विनम्र निवेदन है कि सरकार को आदेशित करें कि जो उन्होंने पूर्व में सदन में वक्तव्य दिया था कि हम छठे पे कमीशन के हिसाब से अपने कर्मचारियों को वेतन देंगे, मान्यवर, उसको वह लागू करें और हमारे शिक्षक भाई-बहन जो बाहर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, उन लोगों की जो एक सूत्रीय माँग है कि जितना केन्द्रीय शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है उतना ही हमें भी दिया जाय। उसका पालन करने का आदेश आप सरकार को देंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।

श्री यशपाल आर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 15 दिसम्बर से विधान सभा के समीप उत्तराखण्ड राज्य शिक्षक समन्वय समिति केन्द्रीय शिक्षकों के समान वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में अनिश्चितकालीन अनशन में, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इससे पहले इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और माननीय शिक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में 06 दिसम्बर को एक बैठक हुई, उस बैठक में समान पद समान वेतन के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें सैद्धान्तिक सहमति नहीं दी और न ही कोई आश्वासन दिया। राज्य के शिक्षक समान ग्रेड-पे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वह कोई भत्तों की माँग नहीं कर रहे हैं न ही वह कोई मानदेय की माँग कर रहे हैं और न कोई अन्य सुविधाओं की माँग कर रहे हैं। लेकिन सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है, सरकार इतनी उदासीन हो चुकी है कि पूरे प्रदेश में आन्दोलन की बाढ़ आ गई है, लेकिन सरकार को उससे कोई सरोकार नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मान्यवर, इसी तरह से हमारे केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम हैं, जो हमारे निगम हैं उनमें भी यही स्थिति है। उनका भी कहना है कि हमें समान पद समान वेतन दिया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि आपको मालूम होगा कि दूसरे राज्यों में इसे प्रभावी ढंग से लागू कर दिया गया है, लेकिन उत्तराखण्ड मात्र ऐसा राज्य है जहाँ इसकी अनदेखी की जा रही है। मैं समझता हूँ कि अगर इसे तत्काल लागू नहीं किया गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कार्य प्रभावित होंगे और छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित होगी, इससे एक अशान्त वातावरण पूरे प्रदेश में बनेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस विषय में गम्भीरता से विचार करते हुए और सारे सदन की कार्यवाही को रोकते हुए इस पर चर्चा की माँग करता हूँ। धन्यवाद।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"—

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि पहले तो शिक्षक संगठन ही नहीं, सम्पूर्ण प्रदेश में कर्मचारी आन्दोलित हैं और विशेष तौर पर जहाँ इस प्रदेश में शिक्षकों की कमी है और जिस बात को लेकर सम्पूर्ण सम्मानित विधायक इस सदन में समय—समय पर आवाज उठाते रहे हैं उन बातों का यहाँ पर निदान होना चाहिए था, परन्तु आज दुर्भाग्य है कि इस समस्या का निदान नहीं हो रहा है। आज जहाँ भी शिक्षक कार्यरत हैं वह केवल आन्दोलित ही नहीं हैं वरन् आज आमरण अनशन में बैठकर अपनी समस्याओं के निदान के लिए इस सदन के आगे, मान्यवर, हमारी राह जोह रहा है। हमारा कर्तव्य है कि जिन गुरुओं के लिए हम सम्मान की बात करते हैं और समय—समय पर उनके कार्यक्रमों में अपने को नतमस्तक करते हैं, आज उन्हें पीड़ित किया जा रहा है उन पर लाठी चार्ज हो रहा है, उनका पुलिस के माध्यम से उत्पीड़न किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि समय—समय पर जहाँ गुरुओं को माता—पिता से बढ़कर माना जाता है और उनको माता—पिता से अधिक सम्मान देने की बात की जाती है किन्तु आज उनका उत्पीड़न हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, उन शिक्षकों ने क्या बिगाड़ा है। आज जब हम समान वेतन की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए।

श्री अध्यक्ष—

सारी बातें आ चुकी हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"—

मान्यवर, आज तो बोलने का अवसर दें। शिक्षा मित्रों पर लाठी चार्ज हुआ है और मैं उनकी पीड़ा को भी न कह सकूँ। मैं उनके माध्यम से यहाँ पर आया हूँ। यह तो उचित नहीं है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे उनकी पीड़ा को कहने दें।

श्री अध्यक्ष—

अपने विषय को सीमित करें। सारी बातें आ चुकी हैं। आपका मत आ चुका है। हरक सिंह रावत जी, आप अपनी बात कह चुके हैं कोई जिज्ञासा है तो वह बता दें। आज अभी बहुत काम शेष है।

डा0 हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि नियम—310 के तहत हमारे माननीय सदस्यों ने शिक्षकों को छठा वेतनमान देने का विषय यहाँ पर उठाया है। उस

सम्बन्ध में कुछ बिन्दुओं पर मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की कि हम केन्द्र सरकार के बराबर छठे वेतनमान के अनुरूप अपने प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतनमान देंगे और यह उत्तराखण्ड देश का पहला प्रदेश होगा जो अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को छठा वेतनमान देगा। इस सम्बन्ध में मुझे कहना है, मान्यवर, राजकीय शिक्षकों को छठा वेतनमान देने की घोषणा हुई और अशासकीय शिक्षकों को उससे वंचित कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षकों को छठा वेतनमान देने की घोषणा हुई लेकिन आज राजकीय शिक्षक संशोधन को लेकर, प्राथमिक शिक्षक संशोधन को लेकर और आशासकीय शिक्षक छठा वेतनमान दिये जाने को लेकर समन्वय समिति के माध्यम से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठा है। विरोधाभास क्या है ? माननीय अध्यक्ष जी, कि केन्द्र सरकार ने सैन्ट्रल स्कूल के प्रिन्सिपल को, सैन्ट्रल स्कूल के लैक्चरर को, सैन्ट्रल स्कूल के हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को जो वेतनमान दिया है, वह वेतनमान न यहाँ के राजकीय स्कूल के प्रिन्सिपल को और न लैक्चरर को और न एल0टी0 के टीचर को और न प्राथमिक शिक्षक को दिया गया है। उनको कौन सा वेतनमान दिया गया है, जो कर्मचारियों को छठा वेतनमान दिया गया है, वही वेतनमान उत्तराखण्ड में राजकीय शिक्षकों को दिया गया। जिसको उत्तराखण्ड के राजकीय शिक्षकों ने स्वीकार नहीं किया है। मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप एक तरफ यह कह रहे हैं कि हम केन्द्र सरकार के वेतनमान की तरह अपने प्रदेश के शिक्षकों को वेतनमान देंगे तो विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को, वित्त पोषित महाविद्यालय के शिक्षकों को, पॉलीटैक्निक के शिक्षकों को, आई0टी0आई0 के शिक्षकों को, राजकीय इण्टर कालेज के शिक्षकों को, अशासकीय, विद्यालय के शिक्षकों को, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को और निगम कर्मचारियों को उसी क्रम में वेतनमान दिया जाय। जिसके अनुरूप केन्द्र सरकार ने अपने शिक्षक, अपने कर्मचारी और अधिकारी को दिया है, ये माँग हमारी सरकार से है।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, छठवाँ वेतनमान पूरे देश में लागू हो चुका है। लेकिन हमारे प्रदेश में पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है और हमारे प्रदेश में जो कर्मचारी हैं उनमें बड़ा आक्रोश है। हमें सभी कर्मचारियों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। मान्यवर, आपके विधान सभा क्षेत्र में भी आपसे ये माँग करते रहते होंगे। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी से 8 दिसम्बर को मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि ये नहीं हो सकता और वे तैयार नहीं हुए और एक अध्यापक ने यह कहा कि मान्यवर, उत्तर प्रदेश में लागू हो

गया है, हमारे प्रदेश में भी लागू कर दें। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश चले जायें, वो ऐसी भाषा यूज करते हैं। जबकि माननीय गन्ना और शिक्षा मंत्री जी हमारे कहते रहते हैं कि अभी ये उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ। ऐसी ही बात हमारे शिक्षकों ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी श्रीमन्, क्यों जायें उत्तर प्रदेश ? हम यहीं के निवासी हैं, स्थाई निवासी हैं, यहीं रहेंगे हम अपनी माँग को लेकर रहेंगे। जो लोग धरने पर बैठे हैं उनसे सरकार ने यह नहीं पूछा कि तुम क्यों बैठे हो ? और क्या तुम्हारी माँग है ? इसके बारे में सरकार बात करने को तैयार नहीं है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह माँग है कि जब हम इस प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, हम इस प्रदेश के विधायक हैं, हम इस प्रदेश की बात क्यों नहीं करेंगे ? हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उनको इसी प्रदेश की बात करनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि समस्त कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा की बात करनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि समस्त कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करा दी जाय, धन्यवाद।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। वह ढाँचा इस तरीके का है कि जो गरीब है उसके लिए अलग शिक्षा है और जो अमीर है उसके लिए अलग शिक्षा है। इसके साथ–साथ मार्च, अप्रैल में परीक्षा भी होनी है। जो हमारे शिक्षक हड़ताल पर हैं और आन्दोलनरत् हैं, अगर वे हड़ताल पर रहेंगे तो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, छात्र हैं उनका क्या होगा ? माननीय अध्यक्ष जी, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अगर वह महीनों खींचते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चे इससे प्रभावित होंगे। छठा वेतनमान उत्तर प्रदेश ने दिया है, मैं समझता हूँ कि छठा वेतनमान हमारे प्रदेश को भी सभी कर्मचारियों के लिए पहले लागू करना चाहिए। मान्यवर, शिक्षकों को भी देना चाहिए। जो हमारे शिक्षक हैं उनके वेतन बहुत ज्यादा नहीं है उस पर भी सरकार द्वारा फॉर्मूले लगाये जा रहे हैं, उसे वंचित करने का काम किया जा रहा है और दूर–दराज क्षेत्र में जो शिक्षक स्कूलों में पढ़ाते हैं उनकी उस वेतन के सिवाय और कोई आमदनी नहीं है। यदि इससे भी उनको वंचित किया जायेगा, तो उनके परिवार भी वंचित हो जायेंगे। मान्यवर, जो हमारे बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं वो भी प्रभावित हो जायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार जो अपना छठा वेतनमान के सम्बन्ध में निर्णय ले, उसकी घोषणा करें, हम स्वागत करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आपकी नियम–310 की सूचना है और आपकी नियम–58 में है इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय करन मेहरा जी, माननीय सदस्य श्री यशपाल आर्य, माननीय सदस्य रणजीत सिंह रावत, माननीय सदस्य महेन्द्र सिंह माहरा, माननीय सदस्य राजेश जुवाँठा के हस्ताक्षरयुक्त नियम–310 के अन्तर्गत सूचना तथा माननीय सदस्य श्री शहजाद तथा माननीय सदस्य हरिदास के हस्ताक्षरयुक्त नियम–58 की सूचना जो राज्य शिक्षक समन्वय समिति तथा राज्य कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुति को लागू किये जाने से सम्बन्धित है। श्रीमन, माननीय सदस्यगणों ने अपने विचारों से सदन को अवगत कराया तथा उत्तराखण्ड राज्य के कर्मचारियों की माँगों से सम्बन्धित भी आपने प्रबल तरीके से विषय को रखा है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में उल्लेख करने से पूर्व मैं थोड़ा सा इस विषय के ऐतिहासिक परिदृश्य पर भी दृष्टि डालना चाहता हूँ। श्रीमन्, जब 1 जनवरी, 1996 को पंचम वेतन आयोग की स्वीकृतियाँ आई तो उस समय अविभाजित उत्तर प्रदेश में रिप्लेसमेन्ट स्केल देने की प्रक्रिया सामान्य तौर पर प्रारम्भ हुई। श्रीमन्, जब शिक्षकों को इससे सम्बन्धित समानता प्रदान की गयी। श्रीमन्, वर्ष 1997–98 में पुनरीक्षित वेतन लागू होने के कारण अविभाजित उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी थी और जिसके कारण वहाँ की स्थिति का बहुत अधिक उल्लेख यहाँ पर करना, मैं उचित नहीं समझूँगा। लेकिन श्रीमन्, हम नहीं चाहते हैं कि राज्य के कर्मचारियों को वे सुविधाएँ नहीं दी जाए और न ही हम ये चाहते हैं कि राज्य में विकास की गति को कहीं प्रभावित होना पड़े।

ऐसी स्थिति में यह सरकार इस पूरे देश का पहला राज्य बना जिसने जब छठे वेतन समिति की सिफारिशें घोषित हुई और उस घोषणा के तत्काल बाद श्रीमन्, हमने, उत्तराखण्ड राज्य ने अपनी वेतन समिति को बनाकर राज्य के कर्मचारियों को किस तरह से हम उस परिधि में ला पाएं, छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ उनको दे पाए, इसके माध्यम से हमने यह प्रयास प्रारम्भ किये। श्रीमन्, सम्मानित सदन के समक्ष मैं अवगत कराना चाहूँगा कि यह वेतन समिति श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी की अध्यक्षता में बनी थी। उसने दिनांक 7–10–2008 को अपने प्रथम प्रतिवेदन में रिप्लेसमेन्ट स्केल की संस्तुति की थी। श्रीमन्, उन्होंने उस रिप्लेसमेन्ट स्केल के माध्यम से मान्यवर, जिसके माध्यम से राज्य के 90 प्रतिशत शिक्षक भी उसकी परिधि में आ रहे थे, उसका लाभ उनको मिल रहा था। मान्यवर, केन्द्र के समान जो अन्य भत्तों की माँग की जा रही है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, भत्तों की नहीं स्केल की बात की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह पंचम वेतन आयोग में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को जो वेतन दिया गया वह केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की तरह दिया गया, शिक्षकों का

लम्बा आन्दोलन चलता रहा, जब आपकी सरकार थी, आपके लाठीचार्ज की घटना का उल्लेख मैंने किया था और आपने नहीं दिया था। जब हमारी सरकार आई पहले मंत्रीमण्डल में प्राथमिक शिक्षक को 45 सौ का बेसिक स्केल, एल0टी0 को 55 सौ का बेसिक स्केल, लेक्चरर को 65 सौ का स्केल, सबोर्डिनेट को 8 हजार का स्केल और प्रिन्सिपल को 10 हजार का स्केल तथा ए0बी0 और उसके ऊपर के अधिकारियों को 12 हजार का स्केल दिया है। मान्यवर, जो शिक्षकों की माँग है वह भत्ते की नहीं सेन्टर के शिक्षक के समान स्केल की माँग है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसा कहा कि जो वेतन समिति का प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 7–10–2008 को आया और उस प्रतिवेदन में रिप्लेसमेन्ट स्केल की बात कही गयी, अर्थात् उसको कितना स्केल वर्तमान में प्राप्त हो रहा है और उसको केन्द्र के छठे वेतनमान की संस्तुतियाँ लागू होने के बाद कितना स्केल मिलना चाहिए यह उसके माध्यम से रिप्लेसमेण्ट स्केल तय कर दिया था।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, शिक्षक की तुलना शिक्षक से करें।

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात आ जाने दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपने आपना विषय रख दिया है अब सरकार अपना पक्ष रख रही है। श्रीमन् एक विशेष बात सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आर्थिक परिदृश्य की ओर भी इशारा दिया और माननीय श्री यशपाल जी ने कहा कि अनेकों राज्यों ने इसको लागू कर दिया तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि उत्तराखण्ड पहला राज्य था और उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बिना वेतन समिति के लागू किया, उड़ीसा तीसरा राज्य है और उत्तर प्रदेश ने जो 8 हजार से 13 हजार 50 जैसा आप कह रहे थे, उसके वेतनमान को प्रोन्नति प्राप्त अधिकारियों को पे बैण्ड–2 में रखा है और सीधी भर्ती को पे बैण्ड–3 में रखा है। प्रथम प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड ने दोनों को पे बैण्ड–3 में रखा है। तो इस तरह की अनेकों विसंगतियों को दूर किया है। चूँकि यह समन्वय समिति गठित हुई उसका भी एक ज्ञापन हमें मिला और उन्होंने भी कुछ माँगें इससे सम्बन्धित रखी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, उसके माध्यम से जो रिप्लेसमेन्ट संस्तुति की गई और उस संस्तुति के बाद 90 प्रतिशत शिक्षक इस परिधि में आ गये और इसी के साथ–साथ जो अन्य कर्मचारी हैं इसमें लगभग 70 हजार शिक्षक इस परिधि में आ रहे हैं, जिन पर 2 हजार रुपया औसतन की वृद्धि प्रति माह देना पड़ेगा और लगभग 5 सौ करोड़ रुपये एरियर और 170 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष देना है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, वे कह रहे हैं कि सेन्टर शिक्षकों की भाँति वेतन दिया जाए हमको, सेन्टर के कर्मचारी की भाँति न दिया जाए, सेन्टर के कर्मचारी अलग हुए, उनकी माँग है कि सेन्टर के शिक्षकों के समान दिया जाए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, केन्द्र के शिक्षकों की सेवा शर्तें अलग–अलग हैं, उनका पूरे भारत में स्थानान्तरण होता है, केन्द्र के शिक्षकों और राज्य के शिक्षकों की तुलना आपस में नहीं की जा सकती है। तुलना वेतनमान की होगी और वेतनमान के आधार पर पे–बैंड तैयार कर दिये गये हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सेन्ट्रल के शिक्षकों की भाँति पंचम वेतनमान की जो संस्तुतियाँ थीं उत्तराखण्ड ने उसको माना है। जिन स्केलों का उल्लेख मैंने अभी किया है। वही स्केल जो 4500, 5500, 6500, 8000, 10,000 और 12,000 रु0 का जो स्केल सैन्ट्रल का था। पंचम वेतन आयोग में शिक्षकों के लिए वही वेतनमान उत्तराखण्ड सरकार ने अपने शिक्षकों के लिए दिया है। मान्यवर, जब हमने दिया, तब उत्तर प्रदेश ने भी दिया है। आप सदन को गुमराह क्यों कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 90 प्रतिशत आ गया है मैं कह रहा हूँ कि लगभग डेढ़ लाख कर्मचारियों को, राज्य का शिक्षक ले नहीं रहा है, वह कह रहा है कि हमें सेन्ट्रल की भाँति स्केल दें। आपने अर्द्ध शासकीय विद्यालयों को दिया नहीं, डिग्री कॉलेजों को दिया नहीं, यूनिवर्सिटी को दिया नहीं तो आपने दिया क्या है? आपने आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 को दिया है जोकि सेन्ट्रल सर्विसेज हैं। पी0सी0एस0 को दिया है। अभी आपने दिया किसको है, आप 90 प्रतिशत की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अभी प्रथम प्रतिवेदन आया है और इस प्रतिवेदन में जो विसंगतियाँ हैं, उनको दूर किया जायेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप शिक्षकों को सेन्ट्रल शिक्षकों की भाँति वेतनमान देंगे या नहीं यह स्पष्ट घोषणा करें। मान्यवर, जब पंचम वेतनमान में उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के शिक्षकों को सेन्ट्रल की भाँति वेतनमान दिया था तो तब सेवा शर्तें और थीं क्या ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मानननीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः कहना चाहूँगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष इतना रेस में न आयें। (व्यवधान) मान्यवर, सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है।... (व्यवधान) मान्यवर, 01-01-1996 को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई।... (व्यवधान) मान्यवर, विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। पहली बार एक कदम आगे बढ़कर हमने अपनी वेतन समिति बनायी।.... (व्यवधान) मान्यवर, उत्तराखण्ड पहला राज्य है जिसने अपनी वेतन समिति बनायी, और जिसने अभी अपना प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो यह सुनी जायेगी। इसमें लगातार वार्ता चल रही है। इसमें प्रतिपक्ष के माननीय नेताओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में हम स्वयं चिंतित हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जब प्रदेश के शिक्षकों के लिए पंचम वेतनमान लागू किया जा सकता है तो छठा वेतनमान क्यों नहीं लागू किया जा रहा है ?

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हम कर्मचारियों के हितों की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम तो आपको प्रेरित कर रहे हैं। मान्यवर, इनके जनरल तो कंजूस हैं, लेकिन हम तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इसलिए उकसा रहे हैं कि वे घोषणा कर देंगे कि यहाँ पर छठा वेतनमान केन्द्र सरकार के अनुरूप ही लागू कर देंगे। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इनसे सम्बन्धित समस्याओं को सुना जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि आप हमारा प्रोत्साहन कीजिए कि हमने अच्छा काम किया है। (व्यवधान) मान्यवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो 24 वर्षों तक एक ही वेतनमान में रहते, हमने उनको भी फायदा दिया है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी छठे वेतनमान में फायदा नहीं हुआ है। वह भी हड़ताल पर हैं। आप यहाँ बैठकर, मंत्री बनकर गलतफहमी में हैं। हम धरातल से देखते हैं आप हमसे डिस्कस करो कि आप क्या कर रहे हैं। (व्यवधान) आप उत्तराखण्ड

के शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान) मान्यवर, सरकार उत्तराखण्ड के शिक्षकों को गुमराह कर रही है, उनको छठा वेतनमान नहीं दे रही है इसलिए हम इस सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के सभी माननीय सदस्य तथा माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 के अन्तर्गत मा0 करन मेहरा, श्री यशपाल आर्य, श्री महेन्द्र सिंह माहरा तथा डा0 हरक सिंह रावत व नियम–58 के अन्तर्गत श्री शहजाद, श्री हरिदास एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य सदन में आकर अपने–अपने स्थान पर बैठ गये)

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 323(2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के षष्ठम वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 323 (2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के षष्ठम वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक) को सदन के पटल का रखता हूँ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006–07

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

लोक लेखा समिति (2007–08) का तृतीय प्रतिवेदन

*सभापति लोक लेखा समिति (श्रीमती अमृता रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007–08) का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोक लेखा समिति (2007–08) का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007–08) का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

लोक लेखा समिति (2007–08) का पंचम प्रतिवेदन

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007–08) का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

लोक लेखा समिति (2007–08) का छठा प्रतिवेदन

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007–08) का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (2007–08) का प्रथम प्रतिवेदन

सभापति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (श्री हरभजन सिंह चीमा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (2007–08) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

आश्वासन समिति (2007–08) का ग्यारहवाँ प्रतिवेदन

सभापति सरकारी आश्वासन समिति (श्री नारायण पाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2007–08) का ग्यारहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

आश्वासन समिति (2007–08) का बारहवाँ प्रतिवेदन

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2007–08) का बारहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

आश्वासन समिति (2007–08) का तेरहवाँ प्रतिवेदन

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2007–08) का तेरहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

याचिका समिति (2007–08) का द्वितीय प्रतिवेदन

सभापति याचिका समिति (श्री दिनेश अग्रवाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की याचिका समिति (2007–08) का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है इसे 24 जुलाई को मैंने फैक्स किया था।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी सूचना को लिखित रूप में दे दीजिये।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भी आपको एक सूचना दी थी, उस घटना के गवाह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं कि एक अधिकारी ने मुझे अपमानित किया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा और इससे पहले भी कई अन्य विधायक इस अधिकारी से अपमानित हो चुके हैं। वह अधिकारी किसी भी विधायक का सम्मान नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बेहड़ जी, आपकी दो सूचनायें हैं, इनका परीक्षण चल रहा है।

विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य सुविधाओं पर विचार कर संस्तुति दिये जाने हेतु लोक सभा की भाँति एक सात सदस्यीय समिति के गठन हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि माननीय विधायकों के वेतन, भत्तों, पेंशन तथा अन्य सुविधाओं पर विचार कर संस्तुति दिये जाने हेतु लोक सभा की भाँति एक सात सदस्यीय समिति गठित कर दी जाय। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि यह समिति समय–समय पर इन सुविधाओं के सम्बन्ध में विचार कर अपनी संस्तुति विधान सभा को उपलब्ध करायेगी। समिति में सदस्यों का नामाँकन किये जाने हेतु यह सदन माननीय अध्यक्ष जी को प्राधिकृत करता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य सुविधाओं पर विचार कर संस्तुति दिये जाने हेतु लोक सभा की भाँति एक सात सदस्यीय समिति गठित कर दी जाय। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि यह समिति समय–समय पर इन सुविधाओं के सम्बन्ध में विचार कर अपनी संस्तुति विधान सभा को उपलब्ध करायेगी। समिति में सदस्यों का नामांकन किये जाने हेतु यह सदन माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008

पंचायती राज मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 की बैठक में दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 को उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

दिसम्बर, 2008

17 बुधवार

1–विधायी कार्य

(1) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण (15 मिनट)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण (15 मिनट)

2–वित्तीय कार्य

(1) वित्तीय वर्ष 2008–09 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों की माँगों पर चर्चा एवं मतदान।

(2) उत्तराखण्ड विनियोग (2008–09 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इस सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं एक माननीय हरिदास जी, माननीय शहजाद जी से सम्बन्धित थी, उसे नियम–310 में सुन लिया गया है और इसके साथ–साथ एक सूचना माननीय सुरेन्द्र राकेश जी की एक और एक माननीय गोविन्द सिंह कुंजवाल, माननीय डा0 हरक सिंह रावत, माननीय केदार सिंह रावत, ये विषय–310 में आ चुका है। एक सूचना माननीय नारायण पाल जी की है जो प्रदेश के सम्पूर्णानन्द ओपन कारागार, सितारगंज से सम्बन्धित है और एक सूचना प्रेमानन्द महाजन की है, जो जवाहर लाल नेहरू जिला अस्पताल, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर से सम्बन्धित है और एक माननीय दिनेश अग्रवाल जी की मास्टर प्लान से सम्बन्धि है। मैं माननीय दिनेश अग्रवाल जी की सूचना को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ, शेष सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूँ।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, एक नियम–58 की सूचना मेरी भी थी, उसे भी ग्राह्यता पर सुन लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कल दे दीजिएगा। इसे देख लेंगे। (व्यवधान) मैं माननीय दिनेश अग्रवाल जी की सूचना को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, उत्तराखण्ड की यह अस्थायी राजधानी का मास्टर प्लान, जो बहुप्रतीक्षित था, मान्यवर, देहरादून के जिस मास्टर प्लान को देखने के लिए

सब लोगों की आँखे तरह गई थीं। वह मास्टर प्लान दिनांक 27 मई, 2005 को सार्वजनिक किया गया था और जिस पर आपत्तियों की सुनवाई में लगभग तीन माह से एक साल का समय लगा और 1200 आपत्तियाँ इस प्लान पर आई, इन प्राप्त आपत्तियों में 59 प्रतिशत भू–उपयोग की थीं, व भूमि–अधिग्रहण से जुड़ी थीं, व्यक्तिगत, बिल्डर्स, संस्थान संबर्द्धनों का 77 प्रतिशत था। इसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई गई, जिसका दिनांक 3 दिसम्बर, 2005 को गठन किया गया और दिनांक 10 दिसम्बर, 2005 को आपत्तियों को विभिन्न श्रेणियों में बाँटा गया। दिनांक 29 मार्च, 2007 को आपत्तियों में सुनवाई में अन्तिम रूप दिया गया और एक विशेषज्ञों की टीम गठित की गई। मास्टर प्लान को प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति के बाद शासन को भेजा गया और दिनांक 19 नवम्बर, 2008 को उत्तराखण्ड सरकार ने हरी झंडी देते हुए इसे लागू कर दिया। जो मास्टर प्लान लागू किया गया है क्या वह मास्टर प्लान देहरादून के अनुरूप है ? क्या इतने समय तक इतनी विशेषज्ञों की टीम से गुजर कर पूरे छन कर सरकार में लगभग पौने दो साल तक पड़ा रहकर जो मास्टर प्लान आज आया है क्या वह देहरादून की अपेक्षाओं के अनुरूप है ? क्या यह उन आवश्यकताओं को पूरा करता है जिसके लिए देहरादून शहर जाना जाता था ? क्या स्थिति है ? मान्यवर, जो जनसंख्या होगी, वह 2025 तक के मास्टर प्लान के लिए है। यह प्लान ऐसा नहीं है कि एक साल या दो साल के लिए प्लान है यह 2025 तक प्लान लागू होने वाला है।

हमारे पास एक बड़ा विभाग है जिसके कर्ताधर्ता का नाम टाउन प्लानर है। टाउन प्लान का एक विभाग है जिसके माध्यम से सारी प्लानिंग करते हैं। क्या उन्होंने ऐसी प्लानिंग की जिससे जो देहरादून का जर्जर स्वरूप होने जा रहा है उसको ठीक किया जा सके ? क्या जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकतायें थीं, उसके लिए देहरादून के लिए मास्टर प्लान की आवश्यकता महसूस की गई ? वह आज बड़ा एक चिन्तनीय विषय बन गया है। क्या यह मास्टर प्लान पूर्ण है, आज मैं कहना चाहता हूँ इसके आने के बाद जो देहरादून से सम्बन्धित है, मान्यवर, मैं पृष्ठता कर रहा हूँ उनमें से आप भी एक हैं जो यहीं से राजनैतिक तौर पर चुन कर आते हैं, भाई त्रिवेन्द्र जी आते हैं, गणेश जोशी जी आते हैं। कुछ विधायक हैं जो देहरादून से चुन कर आते हैं क्या हम सब लोगों को उस मास्टर प्लान की बारीकियों को देखने का अभी तक मौका मिला है ? नहीं। ऐसा मास्टर प्लान बनाया गया है जिसमें कोई सजरा प्लान नहीं है। एक मास्टर प्लान मात्र बना दिया गया। क्या कर रहा था हमारा इतना बड़ा अधिकारी वर्ग, अधिकारियों की इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा हमारा टाउन प्लानिंग का विभाग ? हम क्या कर रहे थे इतने सालों तक, क्यों नहीं सजरा प्लान बनाया गया ? कितने हेक्टेयर भूमि कहाँ थी, क्या थी ? किस भूमि में क्या लैण्ड यूज है ? आज यदि आप मसूरी देहरादून प्राधिकरण में अपना नक्शा

लेकर जायें और कहें कि मेरा नक्शा पास कर दो उनको मालूम ही नहीं है कि आपकी लैण्ड का लैण्ड यूज क्या है। वह आपको टाउन प्लानिंग में भेज देंगे। वहाँ का बाबू कहेगा कि आपने पहले पैसा दिया था लैण्ड यूज कराने का या नहीं ? यह क्या है ? जोनल प्लान कब बनायेंगे ? सजरा प्लान नहीं है, आप किस तरह का प्लान देहरादून के लिए लेकर आये ? मान्यवर, एक बड़ी विडम्बना की बात है, मैंने स्वयं जो तत्कालीन आवास सचिव थे, उनसे बात की और कहा कि हम इस प्लान को देखना चाहते हैं, क्या है प्लान में, क्योंकि जो प्रपोज्ड मास्टर प्लान था उसके बाद इसमें क्या-क्या चेंज की गई, क्या-क्या परिवर्तन किये गये, 165 हैक्टेयर भूमि कैसे रातोंरात प्लान में बदल दी गई, किस तरह से बड़े-बड़े भू-उपयोग चेन्ज हुए हैं ?

मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इस मास्टर प्लान के अन्दर बहुत बड़ा घपला और घोटाला है, भू-उपयोग में करोड़ों रुपये का खेल खेला गया है। चन्द लोगों की जमीनों, मेरे पास एक प्रकरण है, कल मेरे घर पर कोई देकर गया, ग्राम खालाबाला में मास्टर प्लान के मानचित्र में लगभग 30 हेक्टेयर भूमि जो कृषि भूमि से आवासीय भूमि में परिवर्तित किया गया था, प्रपोज्ड मास्टर प्लान में । अब इस मास्टर प्लान के अन्दर आज स्थिति यह है कि दो तरफ की भूमि को तो एग्रीकल्चर भूमि दिया गया और बीच में मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी भूमि को आवासीय भूमि दर्शा दिया गया। इस तरह के कई प्रकरण हैं, कई दृष्टांत हैं। यह एक ऐसी चीज है मान्यवर, जो देहरादून के भविष्य से जुड़ी है और देहरादून राजधानी रहे या न रहे। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि देहरादून उत्तराखण्ड का सबसे बड़ा शहर है। नियोजन के दृष्टिकोण से इसका नियोजन ठीक ढंग से होना अत्यन्त आवश्यक है। देहरादून में आप देखेंगे अंग्रेजों के जमाने के बसाए हुए शहर के अन्दर भी उन्होंने पूरे के पूरे देहरादून को नहरों से आच्छादित किया था, बागों से आच्छादित किया था। यहाँ पर चाय के बागान थे। आज जो स्थिति है उसमें कितना एग्रीकल्चर हमारा छोड़ा गया ? आज कहाँ है देहरादून की लीची ? कहाँ है देहरादून की बासमती ? आपने और हमने, वर्तमान सरकार ने और पूर्ववर्ती सरकार ने भी जो ग्रामीणों की भूमि का अधिग्रहण किया था, उसको छोड़ा। क्या स्थिति हुई। हमने और इन्होंने एक रायडर लगाया था कि जो भूमि-उपयोग पहले मास्टर प्लान के अन्तर्गत है, उसमें 10 साल तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज उसको सेमी गवर्नमेन्ट कर दिया गया। क्या करेंगे वे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। न तो वे जमीन को रख सकते हैं। जब सरकारी कार्यालयों के लिए जमीन की बात आयेगी, तब उनका अधिग्रहण किया जायेगा उनको मार्केट रेट नहीं मिलेगा। फिर दुबारा से अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर एक झंझट शुरू होगा। तो मान्यवर, आज क्या पूरे मास्टर प्लान को इस दृष्टिकोण से देखा गया है कि इस मास्टर प्लान में औद्योगिक क्षेत्र कितना रहना चाहिए ?

इस मास्टर प्लान में 172 गाँव ले लिये गये, कितना औद्योगिक क्षेत्र बढ़ा कितना एजुकेशनल हब के लिए बढ़ाया गया ? एक ही एरिया के अन्दर एजुकेशन हब के लिए दे दे दिया गया। क्यों नहीं शिमला रोड की तरफ आप गये ? क्यों नही आप हरिद्वार रोड की तरफ गये ? क्यों नही औद्योगिक क्षेत्र के लिए आप शिमला रोड की तरफ गये? आज औद्योगिक क्षेत्र कम हो गया है। तो मान्यवर, बासमती की तरफ कोई ध्यान नही, लीची की तरफ कोई ध्यान नहीं और पर्यावरण की तरफ कोई ध्यान नहीं। पूरा देहरादून भूकम्प प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यह पूरा मास्टर प्लान एक वेस्ट पेपर की तरह, इस मास्टर प्लान को सिर्फ इसलिए बनाया गया कि चन्द लोगों को, चन्द बिल्डरों को फायदा देने के लिए लैण्ड यूज चेंज कर दिया जाए। मान्यवर, इस मास्टर प्लान के अन्दर करोड़ों-करोड़ो रूपये का खेल हुआ है। लैण्ड यूज चेंज करने में। (शेम-शेम की ध्वनि) माननीय अध्यक्ष जी, इसको बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए। यह मात्र यह नहीं है कि आप ग्राह्य करेंगे या अग्राह्य करेंगे। यह बहुत बड़ा प्रश्न है और यदि इस प्रश्न को आज हम अनुत्तरित छोड़ देंगे तो यह प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा। हमको इस सदन के माध्यम से इस मास्टर प्लान को अविलम्ब रोकते हुए एक सर्वदलीय समिति बनानी चाहिए, यह समिति पूरे मास्टर प्लान को देखे। जिस तरह से यह पूरा मास्टर प्लान जो इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण नगर है, उसका बनना चाहिए। कौन-कौन से लैण्ड यूज चेंज किये गये हैं ? किन-किन लोगों को लाभ देने के लिए लैण्ड यूज चेंज किये गये ? क्या इस मास्टर प्लान में खेल हुए हैं ? इसमें जब एक हमारा सदन और सदन के चूंकि आप संरक्षक हैं का संरक्षण चाहिए, मैं इसमें बहुत कुछ बोल सकता हूँ। बहुत लम्बा विषय है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं।

इसलिए इसकी गम्भीरता को देखते हुए सदन को इस पर अपना व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए सरकार को इसमें निश्चित रूप से इस मास्टर प्लान को अभी सस्पैण्ड करते हुए एक सर्वदलीय समिति बनानी चाहिए। यह समिति पूरे मास्टर प्लान को देखे क्योंकि यह मास्टर प्लान निश्चित रूप से पूरे उत्तराखण्ड के भविष्य का भी मास्टर प्लान है। आज सारे उत्तराखण्ड का आदमी देहरादून में जमीन लेना चाहता है, मकान बनाना चाहता है। मकानों के दृष्टिकोण से जो हमने जगह दी है उसकी क्या स्थिति होगी? क्या एक सामान्य व्यक्ति उत्तराखण्ड में आकर यहाँ भवन के लिए जमीन खरीद पायेगा, क्या अपना मकान यहाँ बना पायेगा ? यह बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। मैं समझता हूँ कि आपके संरक्षण में निश्चित रूप से सरकार इस मामले में बहुत खुले दिमाग से, खुले दिल से सामने आयेगी। और निश्चित रूप से कठोर कदम उठायेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मान्यवर।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय दिनेश अग्रवाल जी द्वारा औ
कार्य स्थगन सूचना के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया गया है और
जानकारियाँ माननीय सदस्य द्वारा अपने पास प्राप्त जानकारी के
श्रीमन्, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि देहरादून महायोजना, इस ... उद्देश्य को लेकर इसकी परिकल्पना की गयी जिसके पीछे भाव था कि इस खूबसूरत शहर की खूबसूरती बरकरार रहे और देहरादून शहर जो ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि के माध्यम से एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में जिसकी पहचान है लेकिन धीरे–धीरे जब जनसंख्या का दबाव होने लगा और उसके पश्चात् इसके स्वरूप में परिवर्तन आना शुरू हुआ। श्रीमन्, इसी विषय को ध्यान में रखते हुए देहरादून नगर समूह तथा 172 गाँवों के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 35867 हे0 क्षेत्र को इस महायोजना के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत रूपरेखा वर्ष 2005 तक के लिए बनायी गयी और जिसे दिनांक 19 नवम्बर, 2008 को स्वीकृत किया गया। इस महायोजना को बनने में 1041 आपत्तियाँ और सुझाव अभी तक प्राप्त हुए। मैं कहना चाहूँगा और सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि सम्पूर्ण 35867 हे0 भूमि के लिए निर्धारित कर दिया गया कि कहाँ पर किस तरह के विकास के कार्यों को हम करेंगे। इसके लिए निर्धारण हुआ आवासीय क्षेत्रफल 5306.55 हे0 कुल क्षेत्रफल का 14.80 प्रतिशत है श्रीमन्, इसी तरह से व्यवसायिक भू–उपयोग 431 हे0 सम्पूर्ण क्षेत्रफल रखा गया और जो कुल क्षेत्रफल का 1.22 प्रतिशत है। इसके अन्तर्गत उप खण्डीय व्यवसायिक खण्डीय, मुख्य व्यवसायिक, थोक व्यापार और भण्डारागार इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। इस तरह से औद्योगिक क्षेत्रफल के लिए कुल 281 हे0 भूमि चिन्हित की गयी है जो कुल क्षेत्रफल का 0.78 प्रतिशत आता है।

कार्यालय हेतु 1290.90 हे0 क्षेत्रफल को चिन्हित किया गया जो कुल क्षेत्रफल का 3.60 प्रतिशत आता है। इसके अन्तर्गत राजकीय और अन्य कार्यालय होंगे। इसी भाँति सुविधाएँ और अन्य सेवाएँ के लिए 1047.09 हे0 क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है जो कुल क्षेत्रफल का 2.92 प्रतिशत आता है श्रीमन्, इसके अन्तर्गत विद्यालय, इण्टर कालेज महाविद्यालय एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान, विविध शैक्षिक संस्थान, पशुचिकित्सा संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरभाष एवं डाकघर, दूरदर्शन केन्द्र, अग्नि शमन केन्द्र, सांस्कृतिक उपासना केन्द्र, श्मशान घाट, कब्रिस्तान सीमेन्ट्री इत्यादि इसके अन्तर्गत सम्मिलित हैं और इसके बाद उपयोजनाओं के लिए 132.92 हे0 क्षेत्रफल चिन्हित किया गया है। जो कुल क्षेत्रफल का 0.37 प्रतिशत है। इसके अन्तर्गत गैस गोदाम, दुग्ध पूर्ति केन्द्र, जलापूर्ति केन्द्र, विद्युत पूर्ति केन्द्र, शोधन संयत्र, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट स्थल, पशुवधशाला इत्यादि शामिल हैं। पर्यटन और मनोरंजन के लिए अलग

...समें प्राविधान किया गया है। श्रीमन्, जिसके अन्तर्गत 183.50 है0 भूमि चिन्हित की ...यी है। जो कुल क्षेत्रफल का 0.51 प्रतिशत आती है। इसमें पर्यटन परिसर, वन्य जीव पार्क, टोपियर पार्क, मनोरंजन पार्क, बोगेनवेलिया पार्क इत्यादि इसमें एयर मार्क किये गये हैं। श्रीमन्, पार्क व खेल मैदानों के लिए 928.17 है0 भूमि चिन्हित की गयी है जो कुल क्षेत्रफल 2.59 प्रतिशत आती है। श्रीमन्, इसके अन्तर्गत पार्क तथा स्पोर्ट्स कालेज, जलाशय इत्यादि सब इसमें सम्मिलित हैं। (व्यवधान) आपकी बात भी आयेगी लेकिन जानकारी भी आनी चाहिए। यातायात तथा परिवहन के लिए 1526.80 है0 भूमि चिन्हित की गयी जो 4.5 प्रतिशत आता है। श्रीमन्, जिसके अन्तर्गत यातायात तथा परिवहन का सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है। इसी के साथ विविध उपयोग के लिए जिसके अन्तर्गत अन्य सभी उपयोग आते हैं कृषि, उद्यान, चाय बागान वन क्षेत्र, नदी, नाले सैन्य फार्म छावनी परिषद, आई0टी0बी0पी0, एफ0आर0आई0 इत्यादि सब आते हैं। ये कुल मिलाकर 24739.29 है0 भूमि इसके लिए चिन्हित की गयी है और यह कुल क्षेत्रफल का 68.97 प्रतिशत है।

श्रीमन्, तो यह कुल जो इस महायोजना का अंग है यह मैं सम्मानित सदन के संज्ञान में लाया हूँ। श्रीमन्, कुछ विषय जो माननीय सदस्य ने उठाए हैं। उन सुझावों और विषयों के सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि आपने कहा कि सजरा प्लान अभी नहीं बना है। श्रीमन्, सजरा प्लान यह कोई महायोजना बनने से पूर्व बन जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता। श्रीमन्, इसको बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है और यह कार्यवाही चल रही है। इसको चूँकि राजस्व के आँकड़ों के साथ मिलाकरके मास्टर प्लान में हमने क्षेत्र चिन्हित किया है उस चिन्हित क्षेत्र के अन्तर्गत हम उसको निर्धारित करते हैं। श्रीमन्, इसके साथ-साथ आपने दूसरा विषय भी उठाया कि अभी जोनल प्लान नहीं बना। श्रीमन्, जब यह सम्पूर्ण महायोजना तैयार हो गयी तो उसके पश्चात् इसके जोनल प्लान बनने की प्रक्रिया है। श्रीमन्, इसमें 11 जोन हम बना रहे हैं, 11 जोन में डिवाइड कर रहे हैं और चूँकि यह प्रक्रिया का हिस्सा है इसलिए शीघ्र से शीघ्र हम इसको लागू करेंगे। श्रीमन्, मैं कहना चाहूँगा कि इस महायोजना के लागू होने के पश्चात् किसी भी तरह की कोई दिक्कत मानचित्रों के पास करने में नहीं हो रही है। मानचित्रों को पास करने में कोई भी परेशानी और कोई भी शिकायत अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है। मानचित्रों को पास करने के लिए जो इस महायोजना के अन्तर्गत क्षेत्रफल निर्धारित है उस क्षेत्रफल के अन्तर्गत अगर कोई कार्य योजना करना चाहता है या उस कार्य योजना से सम्बन्धित कार्य योजना स्थापित करना चाहता है। इसके लिए जो निर्धारित मापक है वह एक सेंटीमीटर बराबर 160 मीटर है और उस सीमा के अन्तर्गत मानचित्र उसका पास हो जायेगा। अगर वे दूसरे क्षेत्र में जो इसमें चिन्हित क्षेत्रफल से अलग हट करके क्षेत्रफल है तो निश्चित

रूप से हमारी सरकार की यह मंशा है कि यह जो देहरादून राजधानी है वह एक खूबसूरत राजधानी बने। यह हमारी सरकार की ही इच्छा शक्ति रही है और पिछले पाँच साल में क्या हुआ यह आप लोग जानते ही हैं। हमने मास्टर प्लान को लागू करके अपनी सरकार की इच्छा शक्ति को दिखाया है। जब कोई उत्तराखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्र के अन्दर आए तो उसे लगे यह कितना सुन्दर है, कितना खूबसूरत है।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी ने जो उल्लेख किया था तो इस प्रकरण की जाँच करवा लें और इसकी सूचना सदन को दे दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ठीक है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008

(विधेयक संख्या वर्ष 2008)

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित किया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा–7 की उप धारा (1) का प्रतिस्थापन

2. उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–7 की उप धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

"(1) कतिपय पंजीकृत फुटकर व्यौहारियों पर प्रकल्पित कर का आरोपण :–

समस्त पंजीकृत व्यौहारियों, जिनका राज्य के भीतर अनुसूची–II (ग) और अनुसूची–III में विनिर्दिष्ट माल और अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के, जिस पर अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के अधीन अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क उद्ग्रहणीय हो, विक्रय को छोड़कर सकल आवर्त किसी भी कर निर्धारण वर्ष में रु0 पचास लाख से बढ़ना न तो सम्भावित है और न उसका सकल आवर्त ऐसे कर निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में रु0 पचास लाख से अधिक रहा है, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के, जैसा कि विहित किया जाय, अधीन रहते हुए, वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर के बदले में ऐसे विक्रय के सम्पूर्ण आवर्त पर, उक्त विनिर्दिष्ट माल के विक्रय को छोड़कर, 1 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करेंगे। ऐसे व्यौहारी ऐसे विक्रय पर कोई कर प्रभारित करने या संग्रहीत करने और अपने क्रय पर किसी इनपुट टैक्स के लाभ के हकदार नहीं होंगे;

परन्तु यह कि यह उप धारा ऐसे पंजीकृत फुटकर व्यौहारी पर लागू नहीं होगी, जो एक आयातकर्ता या एक विनिर्माता है तथा माल का भारत के राज्य क्षेत्र के अन्दर आयात अथवा क्षेत्र के बाहर निर्यात करता है, या संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व का अन्तरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) या किसी माल का किसी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) उपयोग के अधिकार का अन्तरण करता है ;

परन्तु यह और कि यदि कोई पंजीकृत व्यौहारी इस उप धारा के उपबन्धों के अधीन कर भुगतान का विकल्प नहीं अपनाता है, तो वह इस अधिनियम की धारा-3 के उपबन्धों के अनुसार कर के भुगतान के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण: जब किसी व्यौहारी द्वारा इस उप धारा के अधीन कर के भुगतान का विकल्प चुना जाता है, तो वह वर्ष के दौरान तद्नुसार कर के भुगतान का दायी होगा, चाहे उसका विक्रय आवर्त उक्त उल्लिखित धनराशि से बढ़ भी जाता है।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008

पेयजल एवं सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय सदन में दिनांक 10 मार्च, 2008 को घोषणा की थी कि जल कर और सीवर कर समाप्त कर दिया जायेगा,

उपभोक्ताओं के जल कर और सीवर कर की जो बकाया धनराशि है, उसे माफ कर दिया जायेगा। मान्यवर, हमारे प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 लागू है और इस घोषणा के क्रियान्वयन करने के लिए इस एक्ट में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, इस घोषणा के लिए हमें उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा–52 की उप धारा–3 में अन्तः स्थापन किया जाना प्रस्तावित है। इस धारा के अन्तः स्थापन करने से एक जल कर और सीवर कर की दोहरी व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। 7.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के स्थान पर 3 वर्ष पश्चात् 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। घरेलू श्रेणी में सीवर संयोजन वाले भवनों में निर्धारित शुल्क 15 रुपया और प्रति सीट जो व्यवस्था की गई थी वह समाप्त कर दी जायेगी। धर्मशालाओं, ट्रस्ट और आश्रम और पंजीकृत संस्थाओं के जल मूल्य की घरेलू दरों के स्थान पर अघरेलू दर पर जल पूर्ति व्यवस्था कर दी जायेगी।

मान्यवर, जनपद हरिद्वार के उपभोक्ताओं को भी दिनांक 01–10–2006 के प्रभावी टैरिफ के अनुसार ही विभागीय देय भेजे जा रहे हैं। उपभोक्ताओं पर भुगतान भी उन्हीं दरों से लिया जायेगा। मान्यवर, यह अधिनियम माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के आधार पर छोटा संशोधन है। जल कर और जल मूल्य को समाप्त कर दिया जायेगा और जो बकाया धनराशि है वह उपभोक्ताओं पर माफ कर दी जायेगी। मैं माननीय सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पर अपनी सहमति प्रकट करें।

श्री शहजाद–

मान्यवर, जल मूल्य प्रति कनैक्शन कितना लिया जायेगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, पहले यह प्राविधान था कि प्रतिवर्ष साढ़े सात प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। अब तीन वर्ष बाद 15 प्रतिशत वृद्धि होगी।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसे पूरा समाप्त किया जाय।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले सभी माननीय सदस्यों के विचार तो आने दीजिए।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय मंत्री जी ने अपनी घोषणाओं को मूर्त रूप प्रदान

करने के लिए सदन में इसको प्रस्तुत किया। मान्यवर, साढ़े सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से इस कर को, कर रूप में न लेकर इसको दरों की वृद्धि के रूप में लिया है। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि साढ़े सात प्रतिशत प्रति वर्ष न लेकर, प्रत्येक तीन वर्ष में 15 प्रतिशत इसे बढ़ायेंगे, जोकि सामान्य स्थिति में 15 प्रतिशत का बढ़ा हुआ, प्रत्येक तीन वर्ष में इसको मल्टीप्लाई करते–करते यह दर बहुत ज्यादा हो जायेगी, जोकि यहाँ के आम जन लिए फायदेमंद नहीं है। मान्यवर, आपका टैरिफ तो सामान्यतः दो परिस्थितियों में आता है, एक पानी आप ग्रेविटी से देते हैं, जोकि यहाँ से पूरे अंचल को देते हैं, जिसमें केवल पाईप लाईन बिछानी होती है। और दूसरी जो आपकी मल्टी परपज पम्पिंग, हाईराईज पम्पिंग है, इस पर विद्युत दर का खर्चा निश्चित रूप से ज्यादा आता है और इसकी दर कुछ और होती है। मान्यवर, सामान्यतः पूरे प्रदेश के ऊपर साढ़े सात प्रतिशत की जगह, पन्द्रह प्रतिशत हर तीन वर्ष में लिया जायेगा और इससे पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त होगी।

मान्यवर, हो सकता है कि जहाँ पर आपके ट्यूबवेल हैं, हाईराईज पम्पिंग हैं वहाँ पर इसकी कॉस्ट कुछ अधिक होगी। लेकिन सामान्यतः 80 प्रतिशत जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ग्रेविटी का पानी आम जन को मिलता है। मान्यवर, यह तर्कसंगत नहीं होगा। यह उस जनता के ऊपर ज्यादती होगी, जहाँ पर कम ग्रेविटी से लोग पानी पी रहे हैं। इसमें मेरा यह मानना है कि इस पर सरकार पुनः विचार करे कि एक तो 15 प्रतिशत को हर तीन साल में, क्योंकि तीन साल में मूल रूप से जो दर होगी उस पर 15 प्रतिशत और फिर अगले तीन वर्षों में 15 प्रतिशत तो यह कुछ वर्षों में दुगुनी हो जायेगी। मान्यवर, 10 या 12 वर्षों में आप सीधे इसे दो गुना कर जायेंगे।

मान्यवर, हमारा यह मानना है कि पहले तो यह दर साढ़े सात प्रतिशत बहुत अधिक है। लेकिन यदि आपने फिर भी इसको साढ़े सात प्रतिशत कर ही दिया है, तो हम यह मानते हैं कि भविष्य में इसको समय–समय पर बढ़ाया न जाय और इस पर किसी सरचार्ज या सर्विस चार्ज की बात तब की जाय जब प्रदेश को आवश्यकता पड़े, नहीं तो एक अतिभार और अधिभार के रूप में पूरे प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ी धनराशि चुकानी पड़ेगी। कई जगहों पर तो आप देख रहे हैं कि लोगों तक जल की नलिकाएँ तक नहीं पहुँच पाती, जल का संयोजन तक नहीं पहुँच पाता। आज भी कई जगहों पर हमारे प्रदेश की जनता बंठों में काफी दूर–दूर से अपने पीने के लिए पानी ला रही है। कहीं ऐसा न हो कि आपका जो यह 15 प्रतिशत का चार्ज है, उन पर ही लागू हो और जो ट्यूबवेल से पानी पी रहे हैं, उन पर भी लागू हो। दोनों को एक स्तर पर न लाकर इसका परीक्षण अवश्य करा लिया जाय और इसको बार–बार न बढ़ाया जाय। एक बार यदि आप यह मानते हैं कि आपको साढ़े सात प्रतिशत की आवश्यकता है या 15 प्रतिशत की आवश्यकता है, तो इसे इतना ही रखा जाय, बढ़ाया न जाय। यही हमारा सुझाव है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि स्वैप योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में जो जल के कनैक्शन दिये जाते हैं, उसमें कनैक्शन की राशि इतनी अधिक है कि उसका कोई लाभ ग्रामीण अंचल की जनता नहीं ले पाती। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इसका निरीक्षण कराया जाय कि स्वैप योजना के अन्तर्गत या ग्रामीण अंचल के लिए पेयजल की जो योजनाएँ बनायी गयी हैं, उनमें कितने कनैक्शन वाकई ग्रामीण जनता ले रही है क्योंकि कनैक्शन की राशि अधिक होने के कारण वे लोग इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि खास तौर पर ग्रामीण अंचल की जनता के लिए कनैक्शन की राशि कम करने की सरकार घोषणा करे ताकि ग्रामीण अंचल की जनता को पेयजल मिल सके।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय जोत सिंह गुनसोला जी और माननीय शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी से अनुरोध करूँगा कि जल मूल्य के लिए जो टैरिफ मैंने यहाँ पर बोला है, वह घरेलू कनैक्शन के लिए अलग रेट है और व्यवसायिक कनैक्शन के लिए अलग रेट है, इसको बताने में बहुत टाईम लगेगा। यह टैरिफ 2003 में निर्धारित हुआ। 2003 में जो टैरिफ निर्धारित था, उसी में पूर्व सरकार ने इसको साढ़े सात प्रतिशत बढ़ाया है। 2006 में जल मूल्य का जो टैरिफ था, हम आपको वही रेट दे रहे हैं। आपने कहा कि आपने इतना बढ़ा दिया तो यह भी पहले से तय था कि इसको साढ़े सात प्रतिशत प्रतिवर्ष न बढ़ाकर तीन वर्ष में 15 प्रतिशत बढ़ाया जाय। हमने इसमें कुछ नही किया है। मेरा एक निवेदन है कि इस व्यवस्था में केवल हमने यह संशोधन किया कि जल कर और सीवर कर को समाप्त करके केवल हम जल मूल्य लेंगे। पहले यह था कि 15 रुपया प्रति सीवर सीट कर लिया जाता था। अब संयोजन का 10 रुपया, 15 रुपया और 20 रुपया लिया जा रहा है और जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, उनके लिए 20 रुपया प्रति सीट कर दिया है। यह पहले की व्यवस्था है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। इसमें छोटा सा संशोधन किया गया है कि जल मूल्य लिया जाएगा और जल कर और सीवर कर समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने और कुछ नहीं किया। आपने कहा इस टैक्स को घटाने के लिए या जल मूल्य को कम करने के लिए, तो यह तो पूर्व सरकार ने निर्धारित कर रखा है, इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। आप जिसको कम करने को कह रहे हैं, वह आप की ही सरकार ने किया है।

श्री हरिदास–

मान्यवर, तीन साल का पहले ही ले लिया जाएगा या समय–समय पर लिया जाएगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, पहले नहीं लिया जाएगा।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने तो इति श्री कर दी कि यह पहले का है और यह बाद का है। यह जो आपने लागू किया है, हम फिर इस पर सरकार से जानना चाहते हैं कि 15 रुपया प्रति सीट आप सीवर का चार्ज लेंगे। उस पर आप क्या सब जगहों पर सीवर सिस्टम की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसलिए तो उस टैक्स को खत्म कर दिया गया है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, जब आप उनको सीवर की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराते थे और तब भी आप टैक्स लेते थे। आज हमारा यह कहना है कि आपने दोनों का समायोजन कर समाप्त कर दिया है, उदाहरण के लिए माना कि मेरा मकान और मेरा संयोजन ग्रेविटी की लाईन पर है, ग्रेविटी की लाईन से मैं पानी पीता हूँ, जिसको आप वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, स्वैप के माध्यम से मुहैया करवा रहे हैं। तब वहाँ पर दर क्या होगी ? जो आप साढ़े सात प्रतिशत के हिसाब से ले रहे हैं और इस दर को आप कह रहे हैं कि 3 वर्ष में 15 प्रतिशत हो जायेगी, तो यह तो कहीं का कहीं चला जायेगा, यह तो मल्टीप्लाई हो जायेगा। फिर एक समय ऐसा आयेगा कि पूरा प्रदेश जल के संयोजनों को सरेंडर कर देगा कि हम इतना पानी नहीं पी पायेंगे, जितना पैसा आप ले रहे हैं। तो हमारा यह कहना है कि जो लोग इसकी परिधि में नहीं आते हैं, उनको आप बख्शेंगे, इनको आप श्रेणीबद्ध तो करेंगे ? सरकार को श्रेणीबद्ध तो करना ही चाहिये, जिसको आप कॉमर्शियल और डोमेस्टिक कहते हैं। कॉमर्शियल का चार्ज आप हाई राइज पर ले जायेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर ट्यूबवेल से या हाईराइज पम्पिंग योजनाओं से पानी मुहैया करवाते हैं। तो जो ग्रेविटी से पानी ले रहा है, वह उसी रेट से कैसे दे देगा, चाहे वह क्षेत्र पर्वतीय हो या मैदानी हो।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि स्वैप के अन्तर्गत जो योजना बनेगी, उनका निर्धारण अलग से ग्राम सभा ही करेगी। यह तो पहले की योजना बनी है, उसमें है, स्वैप के मामले में तो मैंने माननीय विधायकगणों से कहा कि यदि आप लोग चाहेंगे तो हम 20 तारीख को एक बैठक रख लेते हैं, जिसमें सारी बातें हम आपको समझा देते हैं। जो योजना स्वैप के अन्तर्गत बनेगी, ग्राम सभा स्वयं ही जल मूल्य का निर्धारण करेगी। हम तो उन योजनाओं की बात कर रहे हैं, जो अभी तक हमारे पास हैं, ऑलरेडी बनी हुई हैं।

मान्यवर, मैं माननीय जोत सिंह गुनसोला जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने यह कहा कि 15 रुपया प्रति सीट पहले था। अब यह हो गया कि जिस भवन का सीवर संयोजन है, सीवर का जो संयोजन होगा और वार्षिक मूल्यांकन जिस भवन का 360 होगा, उसको मात्र 10 रुपया प्रतिमाह देना होगा। प्रति सीट नहीं देना पड़ेगा, बल्कि केवल संयोजन का देना पड़ेगा। मान लीजिये एक भवन में एक संयोजन है तो केवल 10 रुपये ही देंगे। 361 से 2000 तक जिनका वार्षिक मूल्यांकन होगा, वह 15 रुपया प्रतिमाह देगा, यह सीट का नहीं है, संयोजन का रेट है। इसके बाद 2001 रु0 से अधिक जिसका मूल्यांकन होगा वह 20 रुपया प्रतिमाह, प्रति संयोजन देगा। यह जो पहले ही व्यवस्था थी, उसे खत्म कर दिया गया है, अलबत्ता, अगर कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान है, तो वह 20 रुपया प्रति सीट देगा। अब रहा सवाल जैसा कि आपने कहा कि ग्रेविटी से क्या लेना है और लो हैड तथा हाई हैड से क्या लेना है। तो इसके लिए अलग-अलग रेट बनाया गया है, एक उदाहरण देना चाहता हूँ अघरेलू जलापूर्ति के लिए दरें, विशेष श्रेणी की जो औद्योगिक इकाईयाँ हैं, उनको प्रति किलोलीटर 9 रुपया 20 पैसा देना पडेगा और मान्यवर, यदि लो हैड से है तो 11 रुपया 50 पैसा प्रति किलोमीटर और हाई हैड है तो 13 रुपया 80 पैसा, अर्थात् उसको अलग-अलग कर रखा है। आप जैसा कह रहे हैं कि ग्रेविटी से क्या रेट होगा और लिफ्ट कर रहे हैं तो क्या रेट होगा, इसके लिए अगल-अलग दरें निर्धारित हैं। यह पूरा चार्ट है आप चाहेंगे तो हम इस चार्ट को आपको दे देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इसे आप कल दे दीजिए।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

मान्यवर, एक जिज्ञासा है। माननीय मंत्री जी, हम सिर्फ यह जानना चाह रहे थे आपसे कि आपने वाटर टैक्स और सीवर टैक्स समाप्त कर दिया, टैक्स का रूप समाप्त कर दिया ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

मान्यवर, ठीक है। हम मान रहे हैं आपकी बात को, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि आपने फिर 10 रुपया और 20 रुपया सीवर सीट की एक संयोजन का चार्ज रखा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सीट का नहीं है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आपके यहाँ अगर 4–5 सीट हैं और एक संयोजन लिया, तो केवल 10 रुपया पड़ेगा।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, 10 रुपया एक संयोजन का सीवर का हमने ले लिया चार्ज, 10 रुपया प्रति संयोजन। संयोजन आप तभी तो ले पायेंगे मान्यवर, जब आपकी सीवर लाईनें वहाँ से चल रही होंगी और सीवर लाईन से हम जोड़ रहे होंगे। जब हम अपने संयोजन को (व्यवधान) मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कई-कई जगहों पर ऐसी स्थिति है। (व्यवधान) हम फिर भी [illegible] कर रहे हैं यह 15 फीसदी का मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा हो जायेगा। मान्यवर, इसको रिकन्सीडर आप कर लें, क्योंकि यह बहुत ज्यादा हो जायेगा। डोमेस्टिक में भी और कामर्शियल में भी बहुत ज्यादा हो जायेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि जल संस्थान को इस जलकर और सीवर कर को समाप्त करने की वजह से, अब केवल जल मूल्य लिया जायेगा, छः करोड़ रुपये वार्षिक की हानि हो रही है। एक बिन्दु यह है। हमारे उपभोक्ताओं ने 24 करोड़ 11 लाख रुपया देना था, वो श्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ कर दिया है। आखिकार ये जो दरें आपने पहले बढ़ाई था माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व सरकार ने जो दरें बढ़ा रखी हैं, (व्यवधान) उसको हम कैसे कम करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008

(विधेयक संख्या वर्ष, 2008)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 का उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा–52 की उप धारा (3) का अन्तःस्थापन

2\. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–52 में उप धारा (2) के पश्चात् एक नई उप धारा (3) निम्नवत् अन्तः स्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :–

" (3) उप धारा (1) और उप धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जलकर और सीवर कर को समाप्त अथवा स्थगित कर सकेगी तथा बकाये की धनराशि भी माफ कर सकेगी।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष, 2008–2009 के अनुपूरक अनुदानों के लिए माँगों पर चर्चा एवं मतदान–

अनुदान संख्या–01, विधान सभा, अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–07, वित्त कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं, अनुदान संख्या–08 आबकारी विभाग, अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल विभाग, अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग, अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एव परिवार कल्याण विभाग, अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग, अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं, अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग, अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग, अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग, अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग, अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण विभाग, अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग, अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग, अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या–27, वन विभाग, अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य, अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास विभाग, अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण, अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत रु0 10000 हजार (एक करोड़) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत रु0 10000 हजार (एक करोड़) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 115623 हजार (ग्यारह करोड़ छप्पन लाख तेइस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 115623 हजार (ग्यारह करोड़ छप्पन लाख तेइस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत रु0 97400 हजार (नौ करोड़ चौहत्तर लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत रु0 97400 हजार (नौ करोड़ चौहत्तर लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रु0 379877 हजार (सैंतीस करोड़ अट्ठानवे लाख सतहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रु0 379877 हजार (सैंतीस करोड़ अठ्ठानवे लाख सतहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत रु0 4112652 हजार (चार सौ ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख बावन हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं के अन्तर्गत रु0 4112652 हजार (चार सौ ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख बावन हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शिक्षा, आबकारी मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत रु0 2950 हजार (उन्तीस लाख पचास हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत रु0 2950 हजार (उन्तीस लाख पचास हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रु0 1123828 हजार (एक सौ बारह करोड़ अड़तीस लाख अठाईस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रु0 1123828 हजार (एक सौ बारह करोड़ अड़तीस लाख अठाईस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रु0 2267268 हजार (दो सौ छब्बीस करोड़ बहत्तर लाख अड़सठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रु0 2267268 हजार (दो सौ छब्बीस करोड़ बहत्तर लाख अड़सठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रु0 1022694 हजार (एक सौ दो करोड़ छब्बीस लाख चौरानबे हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रु0 1022694 हजार (एक सौ दो करोड़ छब्बीस लाख चौरानबे हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सिंचाई, पेयजल एवं बाढ़ मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रु0 808416 हजार (अस्सी करोड़ चौरासी लाख सोलह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रु0 808416 हजार (अस्सी करोड़ चौरासी लाख सोलह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत रु0 9200 हजार (बयानबे लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत रु0 9200 हजार (बयानबे लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सहकारिता व पंचायतीराज मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रु0 411941 हजार (इकतालीस करोड़ उन्नीस लाख इकतालीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रु0 411941 हजार (इकतालीस करोड़ उन्नीस लाख इकतालीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रु0 111982 हजार (ग्यारह करोड़ उन्नीस लाख बयासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रु0 111982 हजार (ग्यारह करोड़ उन्नीस लाख बयासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रु0 921478 हजार (बयानबे करोड़ चौदह लाख अठहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रु0 921478 हजार (बयानबे करोड़ चौदह लाख अठहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत रु0 15000 हजार (एक करोड़ पचास लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत रु0 15000 हजार (एक करोड़ पचास लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रु0 243633 हजार (चौबीस करोड़ छत्तीस लाख तैंतीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रु0 243633 हजार (चौबीस करोड़ छत्तीस लाख तैंतीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0 756612 हजार (पचहत्तर करोड़ छियासठ लाख बारह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0 756612 हजार (पचहत्तर करोड़ छियासठ लाख बारह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण के अन्तर्गत रु0 830500 हजार (तिरासी करोड़ पाँच लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण के अन्तर्गत रु0 830500 हजार (तिरासी करोड़ पाँच लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत रु0 80963 हजार (आठ करोड़ नौ लाख तिरसठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत रु0 80963 हजार (आठ करोड़ नौ लाख तिरसठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वन एवं परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत रु0 26905 हजार (दो करोड़ उन्हत्तर लाख पाँच हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत रु0 26905 हजार (दो करोड़ उन्हत्तर लाख पाँच हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत रु0 3567 हजार (पैंतीस लाख सड़सठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत रु0 3567 हजार (पैंतीस लाख सड़सठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत रु0 453500 हजार (पैंतालीस करोड़ पैंतीस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत रू0 453500 हजार (पैंतालीस करोड़ पैंतीस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन के अन्तर्गत रू0 85610 हजार (आठ करोड़ छप्पन लाख दस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन के अन्तर्गत रू0 85610 हजार (आठ करोड़ छप्पन लाख दस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उद्यान मंत्री (श्री अजय टम्टा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत रू0 141173 हजार (चौदह करोड़ ग्यारह लाख तिहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत रू0 141173 हजार (चौदह करोड़ ग्यारह लाख तिहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 137887 हजार (तेरह करोड़ अठहत्तर लाख सत्तासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रु0 137887 हजार (तेरह करोड़ अठहत्तर लाख सत्तासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रु0 24412 हजार (दो करोड़ चौवालीस लाख बारह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रु0 24412 हजार (दो करोड़ चौवालीस लाख बारह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड विनियोग (2008–2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग (2008–2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2008–2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग (2008–2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2008–2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड विनियोग (2008–2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008

(विधेयक संख्या वर्ष, 2008)

31 मार्च, 2009 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित :–

संक्षिप्त नाम

1\. यह अधिनियम उत्तराखण्ड विनियोग (2008–2009 का अनुपूरक) अधिनियम, 2008 कहलायेगा।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2008–2009 के लिये रू0 14681195000 का दिया जाना

2\. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है, जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी गई धनराशि से, जिनका कुल योग 14681195000 (रुपये चौदह सौ अड़सठ करोड़ ग्यारह लाख पन्चानबे हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3\. इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनूसूची
(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान / क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2			3	
01—	विधान सभा	राजस्व	10000	0	10000
		पूँजी	0	0	
02—	राज्यपाल	राजस्व	0	6891	6891
		पूँजी	0	0	
04—	न्याय प्रशासन	राजस्व	115623	53004	168627
		पूँजी	0	0	
05—	निर्वाचन	राजस्व	97400	0	97400
		पूँजी	0	0	0
06—	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	349677	0	349677
		पूँजी	30000	0	30000
07—	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय	राजस्व	4112652	418000	4530652
	तथा अन्य सेवायें	पूँजी	0	0	
08—	आबकारी	राजस्व	2950	0	2950
		पूँजी	0	0	0
09—	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	8000	8000
		पूँजी	0	0	0
10—	पुलिस एवं जेल	राजस्व	1022852	0	1022852
		पूँजी	100976	0	100976
11—	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण	राजस्व	2138819	0	2138819
	तथा संस्कृति	पूँजी	128449	0	
12—	चिकित्सा एवं परिवार	राजस्व	1022694	0	1022694
	कल्याण	पूँजी	0	0	
13—	जलापूर्ति, आवास एवं	राजस्व	808416	0	808416
	नगर विकास	पूँजी	0	0	0
14—	सूचना	राजस्व	9200	0	9200
		पूँजी	0	0	

1	2	3			
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	411940	0	411940
		पूँजी	1	0	1
16–	श्रम और रोजगार	राजस्व	71982	0	71982
		पूँजी	40000	0	40000
17–	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व	358578	0	358578
		पूँजी	562900	0	562900
18–	सहकारिता	राजस्व	15000	0	15000
		पूँजी	0	0	0
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	243633	0	243633
		पूँजी	0	0	0
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	417800	0	417800
		पूँजी	338812	0	338812
22–	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	830500	0	830500
		पूँजी	0	0	0
23–	उद्योग	राजस्व	80963	0	80963
		पूँजी	0	0	0
24–	परिवहन	राजस्व	26905	0	26905
		पूँजी	0	0	0
26–	पर्यटन	राजस्व	3567	0	3567
		पूँजी	0	0	0
27–	वन	राजस्व	431000	0	431000
		पूँजी	22500	0	22500
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	78310	0	78310
		पूँजी	7300	0	7300
29–	औद्यानिक विकास	राजस्व	141173	229	141402
		पूँजी	0	0	0
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	102416	0	102416
		पूँजी	35471	0	35471
31–	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	24123	0	24123
		पूँजी	289	0	289
	योग राजस्व		12928373	486124	13414497
	योग पूँजी		1266698	0	1266698
	महायोग		14195071	486124	14681195

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2008–2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2008–2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत राज्य के आन्दोलनरत शिक्षा मित्रों को अप्रशिक्षित वेतनमान पर प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के पदों पर नियमित नियुक्ति दिए जाने सम्बन्धी श्री गोपाल सिंह रावत की एक सूचना प्राप्त हुई है। चूँकि यह विषय नियम–310 की सूचना में नियम–58 के अन्तर्गत सुना जा चुका है, इसलिए मैं इसे अस्वीकार कर रहा हूँ।

उत्तराखण्ड में पैरामैडिकल काउन्सिल का गठन कर विभिन्न स्नातक तथा परास्नातक पाठ्यक्रमों के पंजीकरण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द लाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[उत्तराखण्ड में पैरामैडिकल से सम्बन्धित स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के उपरान्त निर्धारित मानकों के आधार पर किए गए निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर दी गयी अनापत्ति के क्रम में संचालित किए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों के डिप्लोमा का पंजीकरण स्टेट मैडिकल फैकल्टी द्वारा किया जाता है। स्नातक एवं परास्नातक के पाठ्यक्रमों के पंजीकरण हेतु पैरामैडिकल काउन्सिलिंग का गठन करने के सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन है। पैरा मैडिकल काउन्सिलिंग का गठन अभी भारत सरकार द्वारा भी नहीं किया गया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पैरामैडिकल काउन्सिल के गठन तथा पंजीकरण की व्यवस्था हो जाने से रोजगार मिलने की वचनबद्धता तय नहीं हो जाती है। राजकीय सेवा के लिए निर्धारित परीक्षा को पास करना तथा अन्य आवश्यक अर्हताओं का पूर्ण किया जाना आवश्यक है।]

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किये जाने के उपरान्त इसके अंशकालिक शिक्षकों को उचित प्रकार से समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री यशपाल बेनाम, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री प्रकाश पन्त–

[हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया है। इसके पश्चात् मा0 श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सराकर, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 03–10–08 के द्वारा यह आदेश निर्गत किये गये कि जब तक संसद द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने सम्बन्धी विधेयक को पास नहीं किया जाता तब तक विश्वविद्यालय में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कोई नयी नियुक्ति न किये जाने, किसी मेजर पालिसी डिसीजन, ऐसे निर्णय जिनका दीर्घकालिक वित्तीय प्रभाव पड़ता हो, न लिये जायें।

2. उक्त के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 10–12–2008 द्वारा हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय में कार्यरत 210 अंशकालिक शिक्षकों की क्या स्थिति रहेगी, विशेष तौर पर उनमें से जो नियमित पदों के सापेक्ष कार्यरत हैं और यू0जी0सी0 द्वारा प्राविधनित अर्हताऐं पूरी करते हैं, के सम्बन्ध में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 05 बजकर 29 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून, महेश चन्द्र,
दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0–3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38–39 पर)

सर्वेक्षण के दौरान वाहन संचालन हेतु उपयुक्त पाये गये पौडी सम्भाग के नवनिर्मित मार्गों का विवरण

जनपद–पौडी

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी किमी0 में	मार्ग का प्रकार
1	2	3	4
1.	चफल्डा–देहलचौरी–बाडा–पिसोली	15.500	VILLAGE ROAD
2.	खाण्डासैंण–बहेड़ाखाल	10.400	VILLAGE ROAD
3.	उफरैखाल–पापतोली–मनसारी–बूंगीधार	8	VILLAGE ROAD
4.	दमदेवल–गडरी	6	VILLAGE ROAD
5.	पथराड़ाखाल–बजली	2.00	LVR
6.	ढौंटियाल–पटोटिया	4.50	VILLAGE ROAD
7.	शंकरपुर–नैनीडाण्डा	21.50	VILLAGE ROAD
8.	बूंगीधार–नागचूलाखाल	18.00	VILLAGE ROAD
9.	चौखाल–भगवतीतलैया	4.00	VILLAGE ROAD
10.	मैलसैंण–चोपड़ा–नलई–पैठाणी	17	VILLAGE ROAD/LVR
11.	फुरखण्डा–शुक्र	3.75	LVR
12.	खिर्सू–मरोड़ा–सिमखेत	12.00	VILLAGE ROAD
13.	डोभ श्रीकोट–जामणाखाल	6	LVR
14.	खण्डा–कोटी–कतूली	5.00	VILLAGE ROAD
15.	खण्डा–चमराड़ा	3.00	VILLAGE ROAD
16.	डाईट भवन से चड़ीगाँव	2.50	VILLAGE ROAD
17.	खण्डाह–गिरगाँव	6.00	LVR
18.	खण्डाह–बछेली	3.50	LVR
19.	अरकण्डी–खन्दूखाल–मुखियाली–देवलगाँव–बराकोट–जामलाखाल	35.00	VILLAGE ROAD

1	2	3	4
20.	पथराड़ाखाल–बबोलीधार–दोन्दल	14.15	VILLAGE ROAD/LVR
21.	टेका–केवर्स–टंगरौली–कल्जीखाल	20.57	VILLAGE ROAD
22.	चोपड़ियू–बिसल्ड–पोखरी	10.100	VILLAGE ROAD
23.	बगानीखाल–दियूसा	4.00	VILLAGE ROAD
24.	बनेख–दियूसी–टोलूबैण्ड तक	8.00	VILLAGE ROAD
25.	पोड़ीखाल–कन्डरा	2.00	VILLAGE ROAD
26.	पीपलपानी–नौली–धारकोट	7.400	LVR
27.	कुण्जखाल–ढिस्वाणी	14.00	VILLAGE ROAD
28.	स्वीत–खण्डा–गहड़	4.700	LVR
29.	टकोली–सुरालगाँव	2.00	LVR
30.	पीपलकोटी–नीलकण्ठ महादेव	5.00	VILLAGE ROAD
31.	तुनाखाल–तिलधारखाल	3.00	LVR
32.	सलणधार–लवाड़–खडकोली	4.850	LVR
33.	दुधारखाल–धारकोट	6	VILLAGE ROAD
34.	रिखणीखाल–छानीखाल	11.400	VILLAGE ROAD
35.	धान्दली बैण्ड–संदणा–मठाली	3	VILLAGE ROAD
36.	धारकोट–दुधारखाल	4.30	VILLAGE ROAD
37.	ग्रास्टनगंज–रतनपुर	7	VILLAGE ROAD
38.	लोकमणीपुर सम्पर्क मार्ग	1.275	VILLAGE ROAD
39.	किशनपुर–झण्डीचौड़–पंचायतघर से हरपाल सिंह के मकान तक	1.80	VILLAGE ROAD
40.	निम्बूचौड़–मवाकोट–कण्वाश्रम	3.00	VILLAGE ROAD
41.	सुखरौं–घराट–देवी मन्दिर	1.900	VILLAGE ROAD
42.	राजकीय इण्टर कॉलेज सुखरौं–बालासौड़	1.050	VILLAGE ROAD
43.	रतनपुर–सुखरौं	1.250	VILLAGE ROAD
44.	कौड़िया–पलसडोर फैक्ट्री	0.750	VILLAGE ROAD
45.	जाखणीखाल–ग्वालघाट	4.00	VILLAGE ROAD
46.	कुल्हाड़बैण्ड–मटयाड़ी	2.00	LVR

1	2	3	4
47.	देवीखेत–स्यालना	5.00	LVR
48.	कन्डलसेरा–द्वारीपुल सहित	6.00	LVR
49.	द्वारीखाल–बरसेड़ी	2	LVR
50.	सौलीबैण्ड–मेन्दोली–समखाल	8	
51.	दुधारखाल–घेरवा	6.00	VILLAGE ROAD
52.	बुकण्डी सम्पर्क मार्ग	9.00	LVR
	जनपद–रुद्रप्रयाग		
53.	अगस्त्यमुनि–डोभा–गणेशनगर	13	VILLAGE ROAD
54.	ममणी–जखोली	5.00	VILLAGE ROAD
	जनपद–चमोली		
55.	कोठियालसैंण–साबरीसैंण	8	LVR
56.	मुख्यालय विकास खण्ड पोखरी	0.8	VILLAGE ROAD
57.	नागनाथ लिंक मार्ग	1.7	VILLAGE ROAD
58.	कोलडुंगी–सीरी–सिल्याण	2	LVR
59.	पोखरी–विशालखाल	8	VILLAGE ROAD
60.	गौचर–दुवाकान्डा	5	LVR
61.	चमोली–मठ–छिनका	3	LVR
62.	घुड़साल सम्पर्क मार्ग	1.50	LVR
63.	घिंघराण–नैल–कुड़ाव	–तदैव–	LVR
64.	घिंघराण–बेमरू–उर्गम	4	LVR
65.	कौड़िया–सियासैंण–हाट	2.50	LVR
66.	सलूड़–डुंग्रा सेलंग	3.25	LVR
67.	लवनी से रमानी	3.25	VILLAGE ROAD
68.	रोहिडा–पजियाणा	3.25	VILLAGE ROAD
69.	नारायणबगड़–चोप्ता	9	VILLAGE ROAD
70.	कर्णप्रयाग–नैनीसैंण–डिम्मर लिंक मार्ग	4	LVR
71.	ग्वालदम–नन्दकेशरी	18	VILLAGE ROAD
72.	ल्वाल्टी–मालबजवाड़	5.50	VILLAGE ROAD

नवनिर्मित मार्गों की सूची जिन पर बस सेवाएं प्रारम्भ हो गयी हैं, उनका विवरण

जनपद—पौड़ी

क्र० सं०	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी कि०मी० में	मार्ग का प्रकार	आरटीए द्वारा अनुमोदन का दिनांक	बस सेवा प्रारम्भ करने की तिथि	निर्धारित समय सारणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	डफल्डा—देहलचौरी बाड़ा—पिसोली	18.500	PMGSY/ VR	17—05—08	24—06—08	श्रीनगर से पू० 3 बजे सांय अपरान्ह 5 बजे पहुँच पिसोली रा०वि० पिसोली से पू० 7:30 बजे पहुँच श्रीनगर 9:30 बजे
2.	खाण्डासैण—बहेड़ाखाल	10.400	VILLAGE ROAD	02—07—07	18—07—08	कोटद्वार से प्रस्थान 4 बजे प्रातः पहुँच खाण्डानागशाला 11:30 बजे रा०वि०, वापसी 7:30 बजे प्रातः वाया सुरखुर—बहेड़ाखाल—खाण्डा—बांघाट—कोटद्वार
3.	उफरैंखाल—पापतोली मनसारी	19.00	PMGSY/S SECTOR	17—05—08	01—04—08	4 बजे रामनगर से पू० 4:30 बजे प्रातः (Gmou द्वारा संचालित) 10 बजे प्रातः उफरैंखाल से प्रस्थान 12 बजे दिन में नागचुलाखाल 6:30 बजे प्रातः नागचुलाखाल से पू० 8:30 बजे उफरैंखाल (गढ़वाल मोटर यूजर्स द्वारा संचालित)
4.	बूंगीधार—नागचुलाखाल	18.00	VILLAGE ROAD	18—06—07	01—04—08	—यथैव—
5.	शंकरपुर—नैनीडाण्डा	21.50	VILLAGE ROAD	18—06—07	01—01—08	4:00 बजे सांय शंकरपुर से प्रस्थान 5 बजे नैनीडाण्डा रा०वि०, 6:00 बजे प्रातः नैनीडाण्डा से प्रा० 7:30 बजे शंकरपुर पं०

1	2	3	4	5	6	7
6.	खिर्सू–मरोड़ा–सिमखेत	12.00	VILLAGE ROAD	18–06–07	25–07–07	1:00 बजे पौड़ी से प्र0 3 बजे पहुँच रात्रि0 पानी से प्रा0 7:30 बजे पौड़ी पहुँच 9:30 बजे।
7.	अपकण्डी–खन्दूखाल–मुछियाली–देवलगाँव धारकोट–प्रामलाखाल	35.00	VILLAGE ROAD	18–06–07	01–07–08	श्रीनगर से प्र0 3:00 धारकोट पहुँच 5:00 बजे, धारकोट से वापसी प्रातः 7:30 श्रीनगर पहुँच 9:30 बजे।
8.	पथरड़खाल–बबोलीधार–दोन्दल	14	VILLAGE ROAD	18–06–07	01–07–08	पौड़ी से प्रा0 2:30 बजे पहुँच 5:00 बजे रा0वि0 वापसी 7:00 बजे पहुँच 8:45 बजे।
9.	टेका–केवर्सा–टंगरौली–कल्जीखाल	20.57	VILLAGE ROAD	18–06–07	22–06–08	पौड़ी से प्र0 2 बजे अपरान्ह कल्जीखाल पहुँच 5 बजे वापसी 7 बजे प्रातः पहुँच पौड़ी 10 बजे।
10.	कुण्जखाल–डिस्वाणी	14.00	VILLAGE ROAD	02–07–07	24–02–08	कोटद्वार से प्र0 9:30 बजे पहुँच डिस्वाणी 4:00 बजे, डिस्वाणी से प्रातः प्रा0 7:00 बजे कोटद्वार पहुँच 1:00 बजे अपरान्ह।
11.	दमदेवल–गहरी	6	PMGSY	17–05–07	01–07–08	कोटद्वार से प्रस्थान 4:00 बजे वापसी दूसरे दिन प्रातः 7:00 बजे।
12.	चोपड़ियू–विशल्ड	10.100	VILLAGE ROAD	18–06–07	01–11–08	पौड़ी से प्रस्थान 2:30 बजे अपरान्ह् वापसी दूसरे दिन प्रातः 8 बजे।
13.	रिखणीखाल–छानीखाल	9.3	VILLAGE ROAD	02–07–07	01–08–08	कोटद्वारा से प्रस्थान प्रातः 5:00 बजे वापसी दूसरे दिन प्रातः 7:00 बजे।
14.	दुधारखाल–पेस्वा–धारकोट (गदड़ा)	6	VILLAGE ROAD	02–07–07	अक्टूबर, 08	कोटद्वार से प्रस्थान 10:45 वापसी दूसरे दिन प्रातः 7:00 बजे।
15.	धारकोट–दुधारखाल (सिद्धखाल से कलवाड़ी)	4	VILLAGE ROAD	02–07–07	अक्टूबर, 08	प्रस्थान 2 बजे अपरान्ह् वापसी दूसरे दिन 7 बजे प्रातः

1	2	3	4	5	6	7
16.	पीपलकोटी–नीलकंठ	5	VILLAGE ROAD	29–05–08	10–11–08	प्रस्थान 2:30 बजे अपराह्न वापसी दूसरे दिन 7 बजे प्रातः।

<u>जनपद–चमोली</u>

17.	नारायणबगड़–थोप्ता दोन्दल	9	VILLAGE ROAD	18–06–08	नवम्बर, 2007 से	12:45 अपराह्न प्र0 पहुँच 1:30 बजे रा0वि0 वापसी 7:00 बजे प्रातः
18.	ग्वालदम–नन्दकेशरी	18	VILLAGE ROAD	18–06–08	नवम्बर, 2007 से	2:45 प्र0 4 बजे पहुँच रा0वि0 वापसी 8:00 बजे प्रातः
19.	ल्वाल्टी–मालबजवाड़	5.50	VILLAGE ROAD	18–06–08	नवम्बर, 2007 से	8:00 बजे प्र0 9:30 बजे पहुँच वापसी 1:30 बजे।

सर्वेक्षण के दौरान वाहन संचालन हेतु उपयुक्त पाये गये मार्गों में से परमिटों में पृष्ठांकन किये गये 26 मार्गों का विवरण

<u>जनपद–पौड़ी</u>

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी किमी0 में	मार्ग का प्रकार
1	2	3	4
1.	ढाँटियाल–पटोटिया	4.50	VILLAGE ROAD
2.	चौखाल–भगवतीतलैया	4.00	VILLAGE ROAD
3.	खण्डा–कोटी–कलूली	5.00	VILLAGE ROAD
4.	खण्डा–धमराड़ा	3.00	VILLAGE ROAD
5.	डाईट भवन से चड़ीगाँव	2.50	VILLAGE ROAD
6.	बगानीखाल–दियूसा	4.00	VILLAGE ROAD
7.	बनेख–दियूसी–टोलूबैण्ड तक	8.00	VILLAGE ROAD
8.	धोड़ीखाल–कन्डरा	2.00	VILLAGE ROAD
9.	दुधारखाल–धारकोट	6	VILLAGE ROAD
10.	धान्दली बैण्ड–संदणा–मठाली	3	VILLAGE ROAD

1	2	3	4
11.	ग्रास्टगंज–रतनपुर	7	VILLAGE ROAD
12.	लोकमणीपुर सम्पर्क मार्ग	1.275	VILLAGE ROAD
13.	किशनपुर–झण्डीचौड़–पंचायतघर से हरपाल सिंह के मकान तक	1.80	VILLAGE ROAD
14.	निम्बूचौड़–मवाकोट–कण्वाश्रम	3.00	VILLAGE ROAD
15.	सुखरौं–घराट–देवी मन्दिर	1.90	VILLAGE ROAD
16.	राजकीय इण्टर कॉलेज सुखरौं–बालासौड़	1.050	VILLAGE ROAD
17.	रतनपुर–सुखरौं	1.250	VILLAGE ROAD
18.	कौड़िया–फ्लसडोर फैक्ट्री	0.750	VILLAGE ROAD
19.	जाखणीखाल–च्यालभाट	4.00	VILLAGE ROAD

जनपद–रुद्रप्रयाग

20.	अगस्त्यमुनि–डोमा–गणेशनगर	13	VILLAGE ROAD
21.	ममणी–जखोली	5.00	VILLAGE ROAD

जनपद–चमोली

22.	मुख्यालय विकास खण्ड पोखरी	0.8	VILLAGE ROAD
23.	नागनाथ लिंक मार्ग	1.7	VILLAGE ROAD
24.	पोखरी–विशालखाल	8	VILLAGE ROAD
25.	लवनी से रमानी	3.25	VILLAGE ROAD
26.	रोहिडा–पजियाणा	3..25	VILLAGE ROAD

नवनिर्मित LVR मार्गों की सूची (जनपद पौड़ी)

1.	पथराखाल–बजली	2	LVR
2.	मैलसैंण चोपडा–नलई–पैठाणी	17	VILLAGE ROAD/LVR
3.	फुरखण्डा खाल–शुक्र	3.75	LVR
4.	डोमश्रीकोट–जामणाखाल	6	LVR
5.	खण्डाह–गिरीगाँव	6	LVR
6.	खण्डाह–बछेली	3.5	LVR
7.	पीपलपानी–नौली–धारकोट	7.400	LVR
8.	स्वीत–खण्डा–गहड	4.700	LVR
9.	टकोली–सुरालगाँव	2	LVR
10.	तूनाखाल–तिलधारखाल	3	LVR
11.	सलणधार–लवाड–खडकोली	4.850	LVR
12.	कुल्हाडबैण्ड–भटवाड़ी	2	LVR
13.	देवीखाल–स्यालना	5	LVR
14.	कन्डलसैरा–द्वारीपुल सहित	6	LVR
15.	द्वारीखाल–बरसोड़ी	2	LVR
16.	बुकण्डी सम्पर्क मार्ग	9	LVR
17.	सौलीबैण्ड–गेन्दोली–समखाल	8	LVR

जनपद–चमोली

18.	कोठियालसैंण–सावरीसैंण	8	LVR
19.	कोलडुंग्री–सीरी–सिल्याण	2	LVR
20.	गौचर–दुवाकाण्डा	5	LVR
21.	चमोली–मठ–छिनका	3	LVR
22.	घुडसाल सम्पर्क मार्ग	1.50	LVR
23.	घिंघराण–नैल–कुडाव	—	LVR
24.	घिंघराण–बेमरू–उर्गम	4	LVR
25.	कौड़िया–सियासैंण–हाट	2.50	LVR
26.	सलूड़–डूंग्रा सेलंग	3.25	LVR
27.	कर्णप्रयाग–नैनीसैंण–डिम्मर लिंक मार्ग	4	LVR

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-09 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

क्रमांक	पत्रांक	अद्यतन स्थिति
1	2	3
1.	पत्रांक 7043 दिनांक 25-3-08	वर्णित पत्र में विकास खण्ड पोखड़ा बीरोंखाल एवं एकेश्वर के विभिन्न ग्रामों में पेयजल संकट के दृष्टिगत निम्नानुसार वर्णित 12 पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन के प्रस्ताव, वित्तीय उपाशयों सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-
		1. वर्मा ल्वीठा पेयजल योजना, मैसोड़ा पेयजल योजना तथा परनोल (पसोल) पेयजल योजना स्वैप मोड के अन्तर्गत यू0डब्लू0एस0सी0 का गठन कर कार्यवाही की जा सकेगी।
		2. झड़पाली पुनर्गठन पेयजल योजना अनु0ला0 रु0 34.45 लाख, इन्डकोट पेयजल योजना अनु0ला0 रु0 48.70 लाख, कोलरी तल्ली पेयजल योजना अनु0ला0 रु015.03 लाख, चौण्डलिया पुनर्गठन पेयजल योजना अनु0 लागत रु0 20.09 लाख, बूँगधार पेयजल योजना अनु0ला0 रु0 20.44 लाख, कण्डातल्ला पेयजल योजना अनु0ला0 रु0 54.54 लाख, दहेली तोली पेयजल योजना अनु0ला0 रु0 44.35 लाख एवं रणस्वा पेयजल योजना अनु0ला0 रु0 31.34 लाख न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन है। मैंसोड़ा तलाई पेयजल योजना अनु0 ला0 रु0 60.73 लाख के 3 जोनों में कार्य पूर्ण है और 1 जोन में स्रोत विवाद के कारण कार्य बाधित है।

1	2	3
ii.	पत्रांक 5995 दिनांक 14-3-08 पत्रांक 5996 दिनांक 14-3-08 पत्रांक 2272 दिनांक 16-7-08 पत्रांक 5909 दिनांक 17-3-08 एवं पत्रांक 5043 दिनांक 29-1-08	विकास क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत ग्राम घोड़ियाना, ज्यारीगाड, खेतु, केदारगली गुरूत्व पेयजल योजना को बीरोंखाल ग्राम समूह (पम्पिंग) पेयजल योजना से जोड़ने हेतु योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन अनु0 ला0 रु0 573.98 लाख पर धनावंटन का प्रस्ताव प्राप्त है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जानी है।
		पूर्वी नयार नदी महादेव से बरसुन्ड देवता तक पम्पिंग योजना से 39 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराने तथा रसिया महादेव ललितपुर क्षेत्र के अन्तर्गत 29 राजस्व ग्रामों में सम्मिलित 44 बस्तियों हेतु खटलगढ नदी से पम्पिंग पेयजल योजना की माँग की पूर्ति हेतु योजनाओं का निर्माण स्वैप पद्धति में किया। ग्राम सभाओं में समितियों के गठन का कार्य कराया जा रहा है।
		ग्राम बड़ेथ, कमेडी एवं सिन्दुडी में हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कर दिया गया है। बड़ेथ में अतिरिक्त हैण्ड पम्प, विणाधार पोखड़ा में हैण्ड पम्प तथा नन्दा देवी स्योंली में हैण्ड पम्प अधिष्ठापित करने हेतु सर्वे कराया गया, किन्तु सर्वे में पानी अनुपलब्धता की रिपोर्ट प्राप्त हुई।
		चौबट्टाखाल ग्राम समूह (पम्पिंग) पेयजल योजना का प्राक्कलन विरचित है। वर्तमान में इस योजना का निर्माण स्वैप पद्धति से किया जाना विश्व बैंक से हुए अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत शासन की वचनबद्धता है। ग्राम सभाओं में समितियों के गठन का कार्य कराया जा रहा है।

1	2	3
		सगलाकोटी में जलाशय की क्षमता बढ़ाये जाने की माँग स्वीकार करते हुए क्षमता बढ़ा दी गयी है।
		एकल ग्राम की जो योजनाएं ग्राम सभा में रखरखाव में हैं, उनकी मरम्मत हेतु मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा धन की उपलब्धता के अनुसार धनावंटन किया जाता है।
		विकास क्षेत्र पोखड़ा के अन्तर्गत एकल ग्राम देवकुण्डई तल्ली, सीला दुन्दरा कोटी पेयजल योजना के पुनर्गठन एवं एकल ग्राम गुडियलखली (फरसाड़ी गधेरे से) भरपुर छोटा पेयजल योजना को सम्बन्ध में कार्यवाही स्वैप नीति के अनुसार की जानी है। ग्राम सभाओं में समितियों के गठन का कार्य कराया जा रहा है।
		विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत बडियार ढ़हिया में रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजना का कार्य स्वैप मोड में किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम सभाओं में समितियो के गठन का कार्य कराया जा रहा है।
		ग्राम बंवासा–घुडियानी–सिन्दुड़ी बीरोंखाल पेयजल योजना के एलाइमेन्ट बदलने के प्रस्ताव पर कार्यवाही स्वैप मोड में की जा सकती है। ग्राम सभाओं में समितियों के गठन का कार्य कराया जा रहा है।
		विकास क्षेत्र एकेश्वर, ग्राम गुराड़ मल्ला के लिए नयी पेयजल योजना के निर्माण की माँग है। उक्त ग्राम को एकेश्वर स्रोत संवर्द्धन पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 610.76 लाख से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन है।

1	2	3
		ग्राम कमडई (जमरसारी) के सभी जल स्तम्भों पर जलापूर्ति हो रही है।
		राजस्व ग्राम ढिस्वाणी पेयजल योजना के अन्तर्गत योजना का स्रोत सूख गया है तथा अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्ड पम्प लगाने हेतु सर्वे किया जा चुका है।
		गोडिया–कोलागाड़ की सड़क निर्माण से क्षतिग्रस्त है। पेयजल योजना में अस्थाई रूप से पानी चालू करा दिया गया है।
		बड़ेथ पेयजल योजना स्वैप मोड में स्वीकृत है।
iii.	पत्रांक 5394 दिनांक 11–2–08 एवं पत्रांक 2344 दिनांक 18–7–07	वर्णित पत्र विकास क्षेत्र बीरोंखाल तथा पोखड़ा की पट्टी खाटली साबली तथा कोलागाड की 8 ग्राम सभाओं के 30 गाँवों हेतु पूर्वी नयार नदी से पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु आवश्यक सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह योजना स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित की जानी है। ग्राम सभाओं में समितियों के गठन का कार्य कराया जा रहा है।
iv.	पत्रांक 5390 दिनांक 11–2–08	डांडी प्रतीत नगर रायवाला के निकट सम्पत्तिदेवी पब्लिक स्कूल में पेयजल समस्या का समाधान किया जा चुका है।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

क्रमांक	पत्र का सन्दर्भ	आख्या
1	2	3
1.	60/वि0/07 दिनांक 19.04.07 73/वि0/07 दिनांक 04.05.07 118/वि0/07 दिनांक 28.08.07 115/वि0/07 दिनांक 13.07.07	विकास क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत घोड़ियाना, ज्वारीगाड, खेतू, केदारगली गुरूल्त पेयजल योजना को बीरोंखाल ग्राम समूह (पम्पिंग) पेयजल योजना से जोड़ने हेतु योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन अनु0 ला0 रू0 573.98 लाख पर धनावंटन का प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त एवं धन की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जानी है।
2.	76/वि0/07 दिनांक 08.05.07 160/विधायक/07 दिनांक 07.10.07 एवं 103/वि0/07 दिनांक 02.07.07	पूर्वी नयार नदी महादेव से बरसुन्ड देवता तक पम्पिंग योजना से 39 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराने तथा रसिया महादेव ललितपुर क्षेत्र के अन्तर्गत 20 राजस्व ग्रामों में सम्मिलित 44 बस्तियों हेतु खटलगढ़ नदी से पम्पिंग पेयजल योजना की माँग की पूर्ति हेतु योजना का निर्माण सकल क्षेत्र में समरूप नीति के आधार पर कराया जाना है। ग्राम सभाओं में समितियों के गठन का कार्य कराया जा रहा है।
3.	210/विधायक/23–पेयजल/07–08 दिनांक 13.11.07	चौबट्टाखाल ग्राम समूह (पम्पिंग) पेयजल योजना का प्राक्कलन विरचित है। वर्तमान में इस योजना का निर्माण स्वैप पद्धति से किया जाना विश्व बैंक से हुए अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत शासन की वचनबद्धता है। ग्राम सभाओं में समितियों के गठन का कार्य कराया जा रहा है।

1	2	3
4.	284 / विधायक / 23–पेयजल / 07–08 दिनांक 13.11.07	सीला दुन्दरा कोटी पेयजल योजना का पुनर्गठन स्वैप नीति के अनुसार किया जाना है। ग्राम सभाओं में समितियों के गठन का कार्य कराया जा रहा है।
5.	335 / विधायक / 23–पेयजल / 07–08 दिनांक 20.11.07	विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत बड़ियार ढहिया में रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजना अनुमानित लागत रु0 39.07 लाख डी0डब्लू0एस0सी0 के अनुमोदित है धनावंटन उपरान्त कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
6.	342 / विधायक / 23–पेयजल / 07–08 दिनांक 23.11.07	गैंसोड़ा तलाई पेयजल योजना अनु0ला0 रु0 60.73 लाख के 3 जोनों में कार्य पूर्ण है और 1 जोन में स्रोत विवाद के कारण कार्य बाधित है।
7.	509 / विधायक / 23–पेयजल / 07–08 दिनांक 13.11.07	विकास क्षेत्र एकेश्वर, ग्राम गुराड मल्ला के लिए नयी पेयजल योजना के निर्माण की मांग है। उक्त ग्राम को एकेश्वर स्रोत संवर्द्धन पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 610.76 लाख से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन है।
8.	128 / विधायक / 07 दिनांक 29.08.07 एवं 356 विधायक / 23–पेयजल / 07–08 दिनांक 13.11.07	ग्राम बंवासा–घुड़ियानी–सिन्दुड़ी–बीरोंखाल पेयजल योजना के एलाइमेन्ट बदलने के प्रस्ताव पर कार्यवाही एकल क्षेत्र में समरूप नीति के आधार पर की जानी है। ग्राम सभाओं में समितियों के गठन का कार्य कराया जा रहा है।
9.	180 / विधायक / 23–पेयजल / 07–08 दिनांक 13.11.07	ग्राम बड़ेथ में खराब हैण्ड पम्प की मरम्मत की जा चुकी है। 2 अतिरिक्त हैण्ड पम्पों की मांग के सापेक्ष बोरिंग का कार्य कराया गया, किन्तु पानी उपलब्ध नहीं हुआ।

1	2	3
10.	226/विधायक/23–पेयजल/07–08 दिनांक 13.11.07 357/विधायक/23–पेयजल/07–08 दिनांक 13.11.07 660/विधायक/23–पेयजल/07–08 दिनांक 13.11.07	एकल ग्राम की जो योजनाएं ग्राम सभा के रखरखाव में हैं, उनकी मरम्मत हेतु मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा धन की उपलब्धता के अनुसार धनावंटन किया जाता है।
11.	242/विधायक/23–पेयजल/07–08 दिनांक 13.11.07	विणाधार पोखड़ा में हैण्ड पम्प अधिष्ठापन हेतु सर्वे कराया गया, किन्तु पेयजल अनुपलब्धता की रिपोर्ट प्राप्त हुई।
12.	249/विधायक/23–पेयजल/07–08 दिनांक 13.11.07	डंगवाल खोला (सिन्दुडी) में हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कर दिया गया है।
13.	251/विधायक/23–पेयजल/07–08 दिनांक 13.11.07	कमेड़ी (एकेश्वर) में हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कर दिया गया है।
14.	252/विधायक/23–पेयजल/07–08 दिनांक 13.11.07	विकास क्षेत्र पोखड़ा के अन्तर्गत एकल ग्राम देवकुण्डई तल्ली पेयजल योजना के पुनर्गठन की कार्यवाही स्वैप नीति के अनुसार की जानी है। ग्राम सभाओं में समितियों के गठन का कार्य कराया जा रहा है।
15.	250/विधायक/23–पेयजल/07–08 दिनांक 13.11.07	भरपूर छोटा पेयजल योजना का निर्माण स्वैप नीति के अनुसार करने के लिए समितियों के गठन का कार्य कराया जा रहा है।
16.	368/विधायक/23–पेयजल/07–08 दिनांक 13.11.07	नन्दादेवी–सियोली में हैण्ड पम्प अधिष्ठापन के लिए सर्वे कराया गया किन्तु पेयजल अनुपलब्धता की रिपोर्ट प्राप्त हुई।
17.	457/विधायक/23–पेयजल/07–08 दिनांक 13.11.07	ग्राम कमडई (जमरसारी) के सभी जल स्तम्भों पर जलापूर्ति हो रही है।
18.	512/विधायक/23–पेयजल/07–08 दिनांक 13.11.07	ग्राम सिन्दूडी में हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कर दिया गया है।

1	2	3
19.	576/विधायक/23–पेयजल/07–08 दिनांक 13.11.07	स्योली के अन्तर्गत नन्दादेवी में हैण्ड पम्प अधिष्ठापन के लिए सर्वे कराया गया, किन्तु पेयजल अनुपलब्धता की रिपोर्ट प्राप्त हुई।
20.	624/विधायक/23–पेयजल/07–08 दिनांक 13.11.07	राजस्व ग्राम किरवाणी पेयजल योजना के अन्तर्गत योजना का स्रोत सूख गया है तथा स्रोत उपलब्ध नहीं है, पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्ड पम्प लगाने हेतु सर्वे किया जा चुका है।
21.	629/विधायक/23–पेयजल/07–08 दिनांक 13.11.07	गोठिया–कोलागाड़ की सड़क निर्माण से क्षतिग्रस्त है। पेयजल योजना में अस्थाई रूप से पानी चालू करा दिया गया है।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44–45 पर)

उत्तराखण्ड जल संस्थान

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत प्रस्तावित हैण्डपम्पों की सूची

क्र0सं0	स्थापित किये जाने वाले हैण्ड पम्पों का स्थान	विकास क्षेत्र का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	पणखेत (जनवादेवी) नन्दादेवी– स्योली के लिए	एकेश्वर	हैण्ड पम्प अधिष्ठापित
2.	डंगवाल खोला (सिन्दूडी)	बीरोंखाल	हैण्ड पम्प अधिष्ठापित
3.	ग्राम सिन्दूडी	बीरोंखाल	हैण्ड पम्प अधिष्ठापित
4.	राजकीय इण्टर कालेज भरोलीखाल	बीरोंखाल	हैण्ड पम्प अधिष्ठापित
5.	पब्लिक इण्टर कालेज जोगीमढी	बीरोंखाल	हैण्ड पम्प अधिष्ठापित
6.	ग्राम कमेड़ी	एकेश्वर	हैण्ड पम्प अधिष्ठापित
7.	सांगोधार	एकेश्वर	हैण्ड पम्प अधिष्ठापित
8.	नोगाँवखाल	एकेश्वर	हैण्ड पम्प अधिष्ठापित
9.	जगस्यालखाल	पोखड़ा	हैण्ड पम्प अधिष्ठापित
10.	प्रेमनगर (चमनाऊ)	पोखड़ा	हैण्ड पम्प अधिष्ठापित
11.	पथोलिया	एकेश्वर	
12.	ग्राम दिस्वाणी	बीरोंखाल	
13.	ग्राम डुमैला तल्ला	बीरोंखाल	
14.	बमणखेत (दिल्लानगर)	बीरोंखाल	
15.	रीठाखाल	एकेश्वर	
16.	प्राथमिक विद्यालय वीणाधार	पोखड़ा	
17.	पास्तोली अनु0बस्ती कालोनी के निकट	पोखड़ा	
18.	महादेव सैण	पोखड़ा	
19.	ग्राम बड़ेथ (अतिरिक्त हैण्ड पम्प)	एकेश्वर	

1	2	3	4
20.	प्राथमिक विद्यालय म्वीनखाल	बीरोंखाल	
21.	नाकुरी में बीरोंखाल–कोटद्वार मार्ग पर	बीरोंखाल	
22.	बीरोंखाल (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप)	बीरोंखाल	
23.	ककरोड़ा	बीरोंखाल	
24.	कुडिण्डा (गूडिण्डा)	बीरोंखाल	
25.	बेदीखाल	बीरोंखाल	
26.	सुकई शिवमन्दिर के समीप	बीरोंखाल	
27.	मैठाणाघाट (मानसिंह के घर के समीप)	बीरोंखाल	
28.	सिरोली गाँव	बीरोंखाल	
29.	नौगाँव (बारो की दुकान के समीप)	बीरोंखाल	
30.	नागराजाखाल (मन्दिर के समीप)	बीरोंखाल	
31.	जाखणी	बीरोंखाल	
32.	सन्तूधार	एकेश्वर	
33.	थापला बैण्ड	एकेश्वर	
34.	सीला–दुन्दराकोटी	एकेश्वर	

नत्थी 'ङ'
(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

संलग्नक–1

क्र0सं0	विकास खंड	लाभान्वित की जाने वाली बस्तियों का नाम	बस्ती की श्रेणी		विवरण
			एन0सी0	पी0सी0	
1	2	3	4	5	6
1.	पोखड़ा	मझगाँव	–	पी0सी0	प्रस्तावित
2.	पोखड़ा	भरचूर	–	पी0सी0	प्रस्तावित
3.	पोखड़ा	खान्डई	–	पी0सी0	प्रस्तावित
4.	पोखड़ा	डूंगा	–	पी0सी0	प्रस्तावित
5.	पोखड़ा	बोर गाँव	–	पी0सी0	प्रस्तावित
6.	पोखड़ा	हरूली मल्ली	–	पी0सी0	प्रस्तावित
7.	पोखड़ा	पालीगुन	–	पी0सी0	प्रस्तावित
8.	पोखड़ा	माल्ड बड़ा	–	पी0सी0	प्रस्तावित
9.	पोखड़ा	खेर गाँव	–	पी0सी0	प्रस्तावित
10.	पोखड़ा	माल्ड छोटा	–	पी0सी0	प्रस्तावित
11.	पोखड़ा	लखोली	–	पी0सी0	प्रस्तावित
12.	पोखड़ा	पडियार गाँव	–	पी0सी0	प्रस्तावित
13.	पोखड़ा	कन्डोली	–	पी0सी0	प्रस्तावित
14.	पोखड़ा	सोडियाधार	–	पी0सी0	प्रस्तावित
15.	पोखड़ा	सौंडल	–	पी0सी0	प्रस्तावित
16.	पोखड़ा	सौंडल तल्ला	–	पी0सी0	प्रस्तावित
17.	पोखड़ा	चमनाऊ	–	पी0सी0	प्रस्तावित
18.	पोखड़ा	झल्लू	–	पी0सी0	प्रस्तावित
19.	पोखड़ा	असरगढी	–	पी0सी0	प्रस्तावित
20.	पोखड़ा	देवराज खाल	–	पी0सी0	प्रस्तावित

1	2	3	4	5	6
21.	पोखड़ा	घारतोली	—	पी0सी0	प्रस्तावित
22.	पोखड़ा	मरड़ा	—	पी0सी0	प्रस्तावित
23.	पोखड़ा	कुन्झोली	—	पी0सी0	प्रस्तावित
24.	पोखड़ा	गिंवाली	—	पी0सी0	प्रस्तावित
25.	पोखड़ा	मेंटी	—	पी0सी0	प्रस्तावित
26.	पोखड़ा	नाई	—	पी0सी0	प्रस्तावित
27.	पोखड़ा	माण्डलिया	—	पी0सी0	प्रस्तावित
28.	पोखड़ा	कोला	—	पी0सी0	प्रस्तावित
29.	पोखड़ा	घस्मानी	—	पी0सी0	प्रस्तावित
30.	पोखड़ा	मालकोट	—	पी0सी0	प्रस्तावित
31.	पोखड़ा	ह्यार गाँव (धैरखोला)	—	पी0सी0	प्रस्तावित
32.	पोखड़ा	सिडीयागाड़	—	पी0सी0	प्रस्तावित
33.	पोखड़ा	पितरोड़ा	—	पी0सी0	प्रस्तावित
34.	पोखड़ा	सौडियाखाल बाजार	—	पी0सी0	प्रस्तावित
35.	पोखड़ा	बीनाधार	—	पी0सी0	प्रस्तावित
36.	पोखड़ा	कमेड़ी	—	पी0सी0	प्रस्तावित
37.	पोखड़ा	सिलेथ	—	पी0सी0	प्रस्तावित
38.	पोखड़ा	उबेट	—	पी0सी0	प्रस्तावित
39.	पोखड़ा	लियाखाल	—	पी0सी0	प्रस्तावित
40.	पोखड़ा	ड़डकोट मल्ला	—	एफ0सी0	प्रस्तावित
41.	पोखड़ा	गडोली	—	एफ0सी0	प्रस्तावित
42.	पोखड़ा	पोखरखाल बाजार	—	नयी बस्ती	प्रस्तावित
43.	पोखड़ा	मसूरी का पत्थर	—	नयी बस्ती	प्रस्तावित
44.	पोखड़ा	ढौडियाल की बीणा	—	नयी बस्ती	प्रस्तावित
43.	पोखड़ा	देवराजखाल बाजार	—	नयी बस्ती	प्रस्तावित

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49–50 पर)

संलग्नक–1

उत्तराखण्ड वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में किये गये पौधारोपण तथा उस पर व्यय का वर्षवार एवं जनपदवार विवरण

(रोपित पौधों की संख्या)

जिला	वर्ष 2005–06		वर्ष 2006–07		वर्ष 2007–08	
	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)	व्यय (रु0 लाख में)	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)	व्यय (रु0 लाख में)	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)	व्यय (रु0 लाख में)
देहरादून	22.76	140.33	76.52	142.54	17.29	134.60
टिहरी	20.73	471.39	38.99	617.74	35.40	622.72
उत्तरकाशी	133.82	225.62	113.31	601.86	993.07	697.84
पौड़ी	62.48	687.95	59.94	600.12	51.54	994.49
हरिद्वार	5.03	112.94	7.03	137.76	5.55	110.86
चमोली	42.95	357.01	30.37	856.58	27.89	542.45
रूद्रप्रयाग	12.94	162.67	8.72	179.92	6.85	145.40
योग गढ़वाल मण्डल	300.71	2157.91	334.88	3136.52	1137.59	3248.38
नैनीताल	24.42	358.76	22.76	475.40	24.26	422.37
ऊधमसिंह नगर	16.03	182.10	10.0	102.61	9.73	201.85
अल्मोड़ा	19.87	322.36	32.35	451.12	24.62	441.88
बागेश्वर	5..12	65.32	3.57	54.41	2.87	56.15
पिथौरागढ़	14.62	122.58	13.33	179.84	23.33	254.93
चम्पावत	4.60	48.58	5.05	79.65	8.92	114.32
योग कुमाऊं मण्डल	84.66	1099.70	87.06	1343.03	93.75	1491.30
योग उत्तराखण्ड	385.37	3257.61	421.94	4479.55	1231.34	4739.68

संलग्नक–2

उत्तराखण्ड वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में किये विभागीय वृक्षारोपण का वर्षवार एवं जनपदवार विवरण (है0 में)

	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07	वर्ष 2007–08
देहरादून	3281.00	2154.00	2069.25
टिहरी	2668.00	3922.00	2963.00
उत्तरकाशी	2396.00	1657.00	3395.00
पौड़ी	4712.00	5074.00	4905.00
हरिद्वार	1008.00	541.00	393.00
चमोली	3157.00	3899.00	2575.00
रूद्रप्रयाग	1577.00	821.00	597.00
योग गढ़वाल मण्डल	**18799.00**	**18068.00**	**16897.25**
नैनीताल	2225.17	3600.68	4461.96
ऊधमसिंह नगर	2025.00	1286.95	788.05
अल्मोड़ा	2006.75	3707.55	3394.35
बागेश्वर	910.00	700.00	727.00
पिथौरागढ़	2187.00	1154.00	2016.10
चम्पावत	330.00	417.29	544.53
योग कुमाऊ मण्डल	**9683.92**	**10866.47**	**11931.99**
योग उत्तराखण्ड	**28482.92**	**28934.47**	**28829.24**

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 विधान सभा/102–01–07–2010–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।